द्वितीय माला, खंड ५२—अंक २४

शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१
२६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

( तेरहवां सत्र )

2nd Lok Sabha

( खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

# विषय-सूची


पृष्ठ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर --**

तारांकित *प्रश्न संख्या ९२६ से ९२९, ९३२ से ९३७, ९४० से ९४३, ९४५, ९४७, ९४८, ९५० और ९५१ २७२१—४५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर--**

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०,९३१, ९३८, ९३९, ९४४, ९४६, ९४९ और ९५२ २७४५—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ से १९१५ . . २७४८—७७

**स्थगन प्रस्ताव—**

सिक्किम और भूटान की सीमा पर चीन द्वारा कथित सैनिक तैयारियां २७७७—७९

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--**

दण्डकारण्य के शरणार्थियों का पुनर्वास . . २७७९--८१

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . २७८१--८३

**राज्य सभा से संदेश** . . . . २७८३

**तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में शुद्धि** . . . २७८३—८४

**सभा का कार्य** . . . . . २७८४

**सामान्य आय-व्ययक–सामान्य चर्चा** . . . २७८४—२८१०

श्री रा० स० तिवारी . २७८४—८६

श्री बै० ना० कुरील . २७८६—८८

श्री कोडियान . २७८९

श्री पलनियाण्डी . . . . २७८९—९०

श्री द० अ० कट्टी . . . . २७९०—९१

श्री रा० रा० मिश्र . . . . २७९१—९४

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" . . . २७९४—९८

श्री पद्म देव . . . . २७९८—२८०३

श्री मोरारजी देसाई . . . . २८०३—१०

**लेखानुदानों की मांगें, १९६१-६२** . . . . २८११—१६

**विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१—पारित** . . २८१६—१७

**बीमा संशोधन विधेयक** . . . . २८१७—१८

विचार करने का प्रस्ताव--

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा . . . . . २८१७—१८


---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मूख पृष्ठ तीन पर देखिये]

# लोक-सभा

शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१
२६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### सिंधु नदी का पानी

*९२६. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ को सिंचाई के लिये सिंधु नदी का पानी प्रयोग करने का अधिकार था;

(ख) क्या जल, विद्युत्, सिंचाई और नौवहन समिति ने, जो १९४५ में नियुक्त की गई थी, इस सम्बन्ध में कच्छ के अधिकारों की पुष्टि की थी;

(ग) क्या सिंधु नदी के पानी सम्बन्धी संधि के बारे में पाकिस्तान के साथ वार्ता के समय भारत सरकार ने इस नदी के जल के लिये कच्छ के अधिकार का समर्थन किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). कच्छ दरबार के यह सुझाव देने पर कि कच्छ-क्षेत्र का सिंचन सिंध नदी से हो, सिन्ध जल को कच्छ तक ले जाने की सम्भाव्यता पर १९४७ में विचार किया गया था। केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई तथा नौपरिवहन कमीशन (जिसे अब केन्द्रीय जल तथा विद्युत् कमीशन कहा जाता है) का तब विचार था कि सिन्ध जल को रान तक ले जाने के लिये नहर बनाने की लागत निषेधक (प्रौहिबिटिव) होगी। अतः कमीशन ने यह परामर्श दिया था कि सिन्ध से जल ले जाने वाली नहर के निर्माण के अति अलाभकर प्रस्ताव के स्थान पर कच्छ में उत्तर प्रवाही नदियों पर सिंचाई कार्य बनाये जायें।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : जब यह बात सच है कि कच्छ दरबार को सिन्ध नदी से पानी प्राप्त करने का अधिकार था और ब्रिटिश पोलीटिकल डिपार्टमेंट ने सलाह दी थी कि कच्छ दरबार इस मसले को आगे न बढ़ावे, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वतंत्र भारत में भी इस बात का



2406(Ai) LSD—1.

विचार किया गया था और पाकिस्तान से जो समझौता हुआ क्या उसमें भारत सरकार की ओर से कच्छ दरबार के अधिकार का समर्थन किया गया था, और अगर नहीं किया गया तो क्यों ?

**श्री हाथी** : इसमें अधिकार के समर्थन की कोई बात नहीं है । जब सन् १९४५ में कांस्टीट्यूशन भी ड्राफ्ट नहीं हुआ था और कच्छ एक स्वतंत्र इंडियन स्टेट थी, तब उन्होंने पोलीटिकल डिपार्टमेंट को लिखा था कि सिन्ध नदी से कच्छ को पानी मिल सकता है तो हम कुछ योजना बनावें । पोलीटिकल डिपार्टमेंट ने उस पर विचार किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता ।

**श्री म० ला० त्रिवेदी** : मैं ने जो सवाल पूछा था वह यह था कि क्या भारत सरकार ने जब जब पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में बातचीत चली थी तो कच्छ के इस अधिकार का समर्थन किया था ? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया ।

†**श्री हाथी** : कच्छ राज्य के अधिकार का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । यद्यपि मामले की जांच की जा रही थी, परन्तु बाद में यह पाया गया कि योजना व्यवहार्य नहीं है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या अधिक लागत का पता लगाया गया है और यदि हां, तो वह लागत क्या है ?

†**श्री हाथी** : १९४५ से १९४७ तक इस पर विचार किया गया था । इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु उस समय सिंचाई विभाग ने राजनीतिक विभाग को स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लिखा था कि लागत बहुत ज्यादा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या नहरों अथवा अन्य किसी तरीके से कच्छ को पानी देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ? यदि हां तो वह तरीके क्या हैं ?

†**श्री हाथी** : जी हां । बाद में लगभग २३ सिंचाई कार्य कच्छ अधिकारियों ने आरम्भ किये । उनमें से अधिकांश पूरे हो चुके हैं । एक और कार्य आरम्भ किया जा रहा है । गुजरात राज्य कच्छ की खाड़ी में सिंचाई की व्यवस्था करके उसको भी खेती योग्य बनाने का विचार कर रहा है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या इस से यह समझा जाये कि सिन्धु पानी सन्धि के बारे में पाकिस्तान से बातचीत के समय भारत सरकार ने कच्छ के लिए सिन्धु का पानी लेने का प्रश्न नहीं उठाया था और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस प्रश्न पर संभवतया इसलिए विचार नहीं किया गया था क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक आती थी ?

†**श्री हाथी** : पाकिस्तान से कच्छ, राजस्थान अथवा पंजाब किसी एक राज्य के बारे में बातचीत नहीं की गई थी । कच्छ, राजस्थान अथवा पंजाब को पानी देने का सवाल अन्दरूनी है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह सच है कि पहले सिन्धु का पानी कच्छ आता था और एक भूचाल आने पर इसका कच्छ में आना रुक गया क्योंकि इस पानी के वहां आने के चिह्न मिलते हैं ?

†**श्री हाथी** : पुराने इतिहास में ऐसा वर्णन है । परन्तु ऐसा ८०० वर्ष पहले था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री म० ला० द्विवेदी** : जो अधिकार पाकिस्तान से कच्छ को पानी प्राप्त करने का था, क्या इस समझौते में भारत के किसी दूसरे हिस्से को उसका मुआवजा मिला है और अगर मिला है तो कितना, और क्या उससे वह शर्त पूरी हो जायेगी ?

†**श्री हाथी** : मेरा निवेदन है कि कच्छ को सिन्धु नदी का पानी मिलने का अधिकार है अथवा नहीं इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया। कच्छ भारत का एक स्वतंत्र राज्य था। उसके विरोधी सिन्ध तथा पंजाब दो राज्य थे। कच्छ का अधिकार था अथवा नहीं इसका अभी निर्णय नहीं किया गया। कच्छ का अधिकार था इसका उल्लेख किसी रिकार्ड में नहीं है।

## उर्वरक वितरण जांच समिति

+

†*६२७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
**श्रीमती रेणुका राय** :
**श्री रामी रेड्डी** :
**श्री तंगामणि** : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक वितरण जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) सामान्यतः सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। जिन सिफारिशों को लागू करने में कोई धन व्यय नहीं होता है उनको राज्यों को भेज दिया गया है। अन्य सिफारिशों पर क्रियान्विति से पूर्व और विचार किया जा रहा है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई थीं। क्या उनकी टिप्पणियां मिल गई हैं। यदि हां तो क्या उनको स्वीकार करने के बारे में वह सहमत हो गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी नहीं। अब तक केवल एक राज्य ने अपनी टिप्पणी भेजी है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : एक सिफारिश केन्द्रीय उर्वरक मार्केटिंग निगम की स्थापना की थी। दूसरा सुझाव नाइट्रोजन उर्वरक के मूल्य कम करने के बारे में था। इन दोनों सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : दोनों पर कार्यवाही करने का विचार है। अभी तक उन पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या कार्यवाही की जा रही है ? पिछले सत्र में प्रश्न पूछने पर बताया गया था कि इस सत्र में बताया जायेगा कि क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : रिपोर्ट कुछ महीने पहले ही प्रस्तुत की गई थी । इन प्रश्नों पर धन व्यय होता है और अन्य भी कुछ बातें हैं । अन्तिम निर्णय करने में समय लगता है । परन्तु अब अधिक समय नहीं लगेगा ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि एक निश्चित मात्रा आवंटित होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य में उर्वरक के आयात पर प्रतिबन्ध की सिफारिश है ? क्या सरकार सिंदरी उर्वरक की अधिक मात्रा दक्षिण राज्यों में भेजने पर विचार कर रही है क्योंकि अब तक इन राज्यों को केवल आयात किया गया उर्वरक ही दिया जाता है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सिंद ी उर्वरक को किसी भी राज्य में ले जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है । हम परिवहन व्यय को कम करने का प्रयत्न करते हैं ।

कुछ राज्यों ने अवश्य ऐसी कार्यवाही की है कि उनके राज्य को आवंटित उर्वरक अन्य किसी राज्य में न जाये ।

†**श्री चें० रा० पट्टाभिरामन** : उर्वरक के ग़लत वितरण को रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई ऐसा तरीका निकाला है जिससे छोटे से छोटे किसान को भी अपना कोटा मिल जाये ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हम ने वितरण की स्थिति की जांच कर ली है । समिति ने उस प्रश्न पर भी विचार कर लिया है । परन्तु कार्यवाही तो राज्य सरकारों को ही करनी है । हम ने अपनी कठिनाइयां बता दी हैं और मुझे आशा है कि इस समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों से बातचीत के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हो जायेगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : राज्य सरकारों ने कुल कितने उर्वरक की मांग की है और कितनी उनको दी जा चुकी है? यदि इसमें बहुत अन्तर है तो सरकार इस अन्तर को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है क्योंकि सरकार ने ही किसानों में इसकी मांग करने की भावना जाग्रत की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है । मैं नहीं जानता इसको कितनी बार पूछा जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** : उस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है इस बारे में हम कई बार पूछ चुके हैं । पहले हमें बताया गया कि सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई हैं । इसलिए इन सिफारिशों पर ध्यान दिलाया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : राज्यों तथा किसानों की सभी मांगों को हम पूरा करने में असमर्थ हैं परन्तु फिर भी काफी मांग पूरी कर रहे हैं । पिछले वर्ष ४२ से ४६ प्रतिशत मांग पूरी कर सके थे । इस वर्ष हमें ६० से ६६ प्रतिशत मांग पूरी कर देने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे की योजना पर पूंजी परिव्यय**

+

*९२८. {**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री रामकृष्ण गुप्त :**

क्या **रेलवे मंत्री** १९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन रेलवे के लिए नियत राशि बढ़ाने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : आयोजना आयोग अभी इस मामले पर विचार कर रहा है ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में निर्णय करने में इतनी देरी क्यों हो रही है और देर से देर कब तक फैसला हो जाने की उम्मीद की जाती है ?

**श्री शाहनवाज खां** : इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं । उसका जवाब तो प्लानिंग कमिशन को ही तय करना है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या सरकार ने रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में प्रस्ताव तथा ब्यौरे योजना आयोग को भेज दिये हैं ?

**श्री शाहनवाज खां** : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या मंत्री महोदय ने इस बात का भी कोई खयाल किया है कि पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए इलाकों में नई रेल लाइनें बनाने के लिए एक अनुपात से धनराशि मंजूर कर ली जाय ?

**श्री शाहनवाज खां** : इस सवाल से यह ताल्लूक नहीं रखता है, दूसरा सवाल पूछिये ।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं थर्ड फाईव ईयर प्लान की बात पूछ रहा हूं ।

†**श्री च० द० पांडे** : अधिक धन प्राप्त नहीं है इस कारण से कितनी ही नई योजनाओं को निकाल दिया गया था और माननीय मंत्री सभा में आश्वासन दे चुके हैं कि ज्यूंही योजना आयोग से और अधिक धन मिलेगा तभी पांच अथवा छः साल पहले स्वीकृत लाइनें प्राथमिकता रूप में बनाई जायेंगी ।

**श्री शाहनवाज खां** : अभी तक इस मामले में कोई आखरी फैसला नहीं हुआ है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : अवक्षयण अर्थात् आर्थिक साधनों से ३३५ करोड़ रुपये की राशि शामिल की गई थी परन्तु बाद में इस राशि को बढ़ाकर ३५० करोड़ रुपये कर दिया गया । क्या १५ करोड़ रुपये की वृद्धि योजना आयोग ने स्वीकार कर ली है और उस सीमा तक व्यय बढ़ा दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : योजना आयोग ने हम से कहा है कि हमें २३५० लाख टन माल के यातायात के लिए तैयार रहना चाहिए और इसीलिए एक राशि निश्चित की गई थी । हमने बताया कि तब धनराशि का आवंटन बढ़ाना होगा । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने पूछा है कि मूलतः धनराशि ३३५ करोड़ रुपये थी क्या उसको बढ़ा कर ३५० करोड़ रुपये कर दिया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसके लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : एक प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परसों ही रेलवे की मांगों तथा सामान्य आय-व्ययक पर विवाद समाप्त हुआ था । यदि माननीय सदस्य उस समय की चर्चा से संतुष्ट नहीं हुए तो क्या इस उत्तर से संतुष्ट हो जायेंगे ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह प्रश्न नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक और बात भी है । माननीय उप मंत्री ने बताया कि अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है और मामला विचाराधीन है । उन्होंने विभिन्न लोगों की राय भी मंगाई है । माननीय सदस्य भी अपनी राय भेज सकते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : ठीक है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : परसों ही रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा समाप्त हुई है । क्या और प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में दिया है कि 'रेलवे व्यय २५ करोड़ रुपये बढ़ेगा' । 'यातायात के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया जा रहा है' । मैं केवल यह कहना चाहता था कि बाहर की जनता को बातें मालूम हो जाती हैं और इस सभा को नहीं मालूम होती हैं उन्होंने बताया मामला विचाराधीन है परन्तु समाचारपत्रों में समाचार है कि व्यय बढ़ाया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि समाचारपत्रों के लोग उप-सचिव अथवा अवरसचिव के पास जाते हैं और वह यही कह देता है कि 'जी हां, संभवतया व्यय बढ़ जाये ।' परन्तु यदि माननीय मंत्री यहां ऐसी बात कह देंगे तो वह बात अधिकृत हो जाती है ।

**थाईलैंड से चावल की खरीद**

+

†*९२९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :** }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की खरीद के बारे में थाइलैंड की सरकार से चल रही बातचीत समाप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो बातचीत पूरी होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस )** : (क) से (ग). गत वर्ष चावल की खरीद के बारे में थाइलैंड की सरकार से चल रही बातचीत के कोई परिणाम नहीं निकले हैं। अब वह मामला बन्द हो चुका है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : थाइलैंड सरकार से क्या प्रस्ताव मिला था और उसको क्यों ठुकरा दिया गया ?

†**श्री अ० म० थामस** : सभा को मालुम होगा कि थाइलैंड से हम को लगातार चावल नहीं मिलता है यद्यपि १९४८ से १९५२ तक हम ने कुछ चावल उनसे खरीदा था। १९५२ के बाद हम ने थाइलैंड से चावल नहीं खरीदा है। १९५९ में थाइलैंड दूतावास से एक प्रस्ताव आया था कि हम कुछ चावल खरीदें। इसके बारे में कुछ बातें हुई परन्तु वह सफल नहीं हुई। इन बातचीतों का विवरण बताना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं।

†**श्री तंगामणि** : क्या थाइ सरकार ने भी अपने चावल के वही मूल्य बताये हैं जो संयुक्त अरब गणराज्य ने बताये थे ?

†**श्री अ० म० थामस** : मूल्य अधिक थे ।

**मिनिकाय प्रकाश स्तम्भ**

\+

†*९३२. { **श्री कोडियान** :
**श्री रामकृष्ण गुप्त** :
**श्री पांगरकर** :
**श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन से भारत को मिनिकाय प्रकाशस्तम्भ के विधिसम्मत हस्तान्तरण के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन )** : भारत को मिनिकाय प्रकाशस्तम्भ के विधिसम्मत हस्तान्तरण के समझौते का प्रारूप पर अन्तिम रूप से बना लिया गया है और ब्रिटेन सरकार को विचार के लिए भेजा जा रहा है।

†**श्री कोडयान** : दिसम्बर में प्रश्न के उत्तर में भी यही बताया गया था। इस प्रारूप को बताने में तथा ब्रिटेन से समझौता करने में इतना विलम्ब क्यों लगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : विदेशी सरकार से बातचीत करने में समय लगता है क्योंकि बार बार पत्र-व्यवहार करना पड़ता है। हम ने अब समझौते का प्रारूप भेज दिया है और वह विचार कर रहे हैं।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : यह प्रारूप ब्रिटेन सरकार को कब भेजा गया था ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : यह लगभग एक महीना पहले भेजा गया था और हमें शीघ्र ही उत्तर मिलने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**राज्य व्यापार निगम की सीमेंट विधि से सड़कों का विकास**

†*९३३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम की सीमेंट निधि से देश के विभिन्न खनन क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए धन-राशि का आवंटन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस प्रयोजन के लिए किन खनन क्षेत्रों के वास्ते आवंटन किया गया है; और

(ग) १ फरवरी, १९६१ तक प्रत्येक राज्य के लिए इस प्रकार की कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

राज्य व्यापार निगम की सीमेंट निधि से सड़कों का विकास करने के लिए फरवरी, १९५८ में किये गये विशेष आवंटनों में से तथा १९५८–५९ में सीमेंट पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त धन में से मैसूर, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में लौह-अयस्क के परिवहन के लिए निम्नलिखित सड़कों के विकास/निर्माण के लिए २०२·८० लाख रुपये के अनुदान दिये गये हैं :

| सड़क का नाम | स्वीकृत अनुदान (लाख रुपयों में) | खान क्षेत्र |
|---|---|---|
| **मैसूर राज्य** | | |
| १. तलगुप्पा होनवार सड़क | ३८·५८ | चितलद्रुग और शिमोगा ज़िले |
| २. बनसन्दरा–हसन सड़क | १८·१२ | बनसन्दरा और तुमकुर ज़िले |
| ३. हसन–मंगलौर सड़क | २६·६४ | |
| ४. हुबली–करवार सड़क | ६·४८ | बेल्लारी ज़िला |
| ५. लोंडा–सदाशिवगढ़ सड़क | ९६·१७ | बेलगाम ज़िला |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | |
| ६. महबूबाबाद–यल्लांधू सड़क | ५·०० | बय्याराम खनिज क्षेत्र |
| **उड़ीसा राज्य** | | |
| ७. तुमका–कोबारबध सड़क | ११·८१ | सुकिन्डा खनिज क्षेत्र |
| जोड़ | २०२·८० | |

ये योजनायें तदर्थ कार्यक्रम के भाग के रूप में स्वीकार की गई हैं और ऐसी योजनाओं के लिए और अनुदान नहीं दिये गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इन २ करोड़ रुपयों में से लगभग १८६ लाख रुपया केवल मैसूर राज्य के लिए आवंटित किया गया था। राज्य व्यापार निगम अथवा सरकार ने ९० प्रतिशत रुपया किस कारण से एक ही राज्यों को दे दिया है ?

**डा० प० सुब्बरायन** : ऐसा इस कारण हुआ कि बहुत सा अयस्क राज्य से संबंधित बन्दरगाह को जाता है। इसलिए उसकी ओर शीघ्र ध्यान देना जरूरी है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या माननीय मंत्री उड़ीसा, आन्ध्र तथा मैसूर से लौह अयस्कों के वार्षिक निर्यात बतायेंगे ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मुझे इस की जानकारी नहीं है।

†**श्री पलनियाण्डी** : मद्रास में प्रत्येक वर्ष लगभग २० लाख टन सीमेंट बनता है और राज्य व्यापार निगम की सड़क विकास निधि में से उस राज्य को कोई धनराशि क्यों नहीं दी गई है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : आवंटनों पर विचार करते समय मैं हमें परिवहन के महत्व पर विचार करना होता है। हमें पता लगा कि जिन राज्यों को हमने यह निधियां दी उनमें मद्रास राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण सड़कें बनने को थीं।

†**श्री आचार** : विवरण में कुछ धनराशि हसेन-मंगलौर सड़क के लिए आवंटित की गई है। सड़क का मुख्य भाग दक्षिण कनारा ज़िले में लगभग ७०–८० मील है और इसकी लौह अयस्कों का निर्यात करने में आवश्यकता होगी। इसमें धनराशि बनसंदरा तथा तुमकुर जिलों के बारे में दिखाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि दक्षिण कनारा जिले को कोई आवंटन क्यों नहीं किया गया।

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि वह माननीय सदस्य के बताये अनुसार धन व्यय करे। सड़क निर्माण का आरम्भ किया गया है और निश्चित रूप से माननीय सदस्य के ज़िले का ध्यान समय आने पर रखा जायेगा।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : राष्ट्रीय राजपथ को सरकार ने क्या प्राथमिकता दी है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : वर्तमान योजना में राष्ट्रीय राजपथ नहीं आते हैं।

†**श्री त्यागी** : राज्य व्यापार निगम के पास कितनी सीमेंट निधि है ? क्या चूने के पत्थर, जिप्सम आदि पदार्थों, जो सीमेंट बनाने के काम में आते हैं, की खानों को जाने वाली सड़कों को मान्यता दी गई है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : लगभग ९ करोड़ रुपया उपलब्ध है। सड़कों का महत्व देखते हुए हमने २ करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित कर दी है। माननीय मित्र द्वारा बताई गईं सभी बातों पर विचार हो रहा है।

†**श्री सूपकार** : क्या राज्यों को आवंटन विभिन्न राज्यों के प्राप्त अयस्कों के आधार पर किया जाता है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मुख्यतः हम लौह अयस्कों का ध्यान रखते हैं। रुकावट आ जाने के कारण अब कोयले का भी ध्यान रखना होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : माननीय मंत्री के उत्तर से क्या यह समझा जाये कि ९ करोड़ रुपये में से दो करोड़ रुपया लौह अयस्क खान क्षेत्रों को दिया गया और शेष ७ करोड़ रुपया अन्य सड़कों पर भी व्यय नहीं किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : मामला विचारारधीन है । हम राज्य सरकारों के प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जब वह हमें मिल जायेंगे तब निधि आवंटित कर देंगे ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या इस काम के लिए महाराष्ट्र राज्य को भी कोई राशि दी जायेगी क्योंकि रत्नागिरी से पर्याप्त लौह अयस्क निर्यात किए जाते हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम राज्यों की मांगों पर विचार नहीं करते हैं । हम तो समस्त भारत का ध्यान रखते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों के आवंटनों के ब्यौरे जानना चाहते हैं । यदि माननीय सदस्य आवंटनों के लिए नियत सिद्धान्तों पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति देने को तैयार हूं । अन्यथा वह सुझाव दें और सरकार उन सुझवों पर विचार करेगी ।

## रेल मार्ग के साथ संचार लाइनें

†९३४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने ए० सी० बिजली से रेल गाड़ियां चलाने की पद्धति चालू होने के साथ दूर-संचार व्यवस्था में परिवर्तन करने की योजना को हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस सिलसिले में कुछ उपकरणों को विदेशों से मंगवाने की आवश्यकता पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पं० सुब्बरायन)** : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे पर ए० सी० बिजली से गाड़ियां चलाया जाना शुरू होने पर पटरियों के निकट खुले तार वाले दूर संचार सर्किटों को खतरा रहेगा । इस खतरे को दूर करने के लिए अल्युमिनियम के बन्द केबल खुले तारों के स्थान पर लगाये जा रहे हैं । इन केबुलों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से दूसरे इन्तज़ाम भी किये जा रहे हैं ।

(ग) हमारे देश में पहली बार इस प्रकार का काम हो रहा है । सामान्यत: इस काम के लिए अपेक्षित समस्त केबल तथा उपकरण आदि विदेशों से आयात करने होंगे । परन्तु अब ट्रांसमिशन उपकरण तथा संबंधित बिजली संयंत्र डाक तथा तार विभाग में बनाये जाते हैं और देश में ही निर्मित होते हैं । केबल विशेष प्रकार के केबल तथा कुछ अन्य सामान का आयात किया जा रहा है ।

(घ) केबल तथा यह सामान देश में नहीं बनाये जाते हैं ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : इस परियोजना में कितनी धनराशि लगी है तथा आयात की गई मशीनों के लिए कितनी राशि लगी है ।

†**डा० पं० सुब्बरायन** : ठीक आकड़े मैं नहीं बता सकता हूं ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : इन तारों का बुरा प्रभाव होने के कारण, नई पद्धति लागू करन के कारण जो दुर्घटनायें होंगी उनको कम करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : यदि माननीय सदस्य ने उत्तर सुना होता तो उनको मालूम हुआ होता कि हम एलुमीन्यिम के विशेष तार जमीन में लगा रहे हैं जिससे खतरा कम हो जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या देश में यंत्रों के निर्माण के लिए आवश्यक एलुमीनियम उन समवायों को दिया जा रहा है जो इन यंत्रों को सरकार के लिए बनाने के उत्सुक हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** समवाय उन्हें नहीं बना रही हैं । यह तार डाक तथा तार विभाग के द्वारा और हमारे कारखानों में बनाये जा रहे हैं । इसलिए और किसी के द्वारा इनके निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या सरकार इन लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए तथा स्वयं-चालित ट्रंक कनेक्शन्स के योग्य बनाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** स्वयंचालित ट्रंक कनेक्शनों से इसका कोई संबंध नहीं है । यह तो रेलों पर बिजली लगाने वाले तार हैं ।

**हैदराबाद-विशाखापत्तनम विमान सेवा**

†*९३५. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच विमान सेवा जारी रखने के बारे में इस बीच निश्चय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). निगम ने इस बीच हैदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच हफ्ते में तीन बार विमान सेवा चालू रखने का निश्चय किया है ।

**गन्ने की किस्में**

†*९३६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में गन्ने की अच्छी किस्में नहीं पाई जातीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कोयम्बतूर की तुलना में उत्तर भारत के गन्ना अनुसन्धान केन्द्रों में पूरा साज-सामान नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में विभिन्न किस्मों के गन्नों के लिये अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी नहीं ।

(ख) यह तुलना ठीक नहीं है क्योंकि सेंट्रल शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टिट्यूट, कोयम्बटूर भारत के सभी भागों के लिये उपयुक्त किस्में तैयार करने में लगा हुआ है जब कि उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थित राज्य अनुसन्धान केन्द्र कोयम्बटूर द्वारा दी गयी किस्मों में से अपने अपने प्रदेशों के लिये उपयुक्त किस्मों का परीक्षण तथा चुनाव करते हैं। इसलिये कोयम्बटूर और राज्य केन्द्रों के कार्य अनुपूरक हैं। इस के अतिरिक्त राज्य केन्द्र गन्ना बोआई के दूसरे पहलुओं के संबंध में अनुसन्धान कार्य भी करते हैं। प्रत्येक केन्द्र में अपने निजी अनुसन्धान कार्य के लिये पूरा पूरा साज-सामान है।

(ग) और (घ). जी नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब राज्यों में केवल अच्छी किस्में निकालने के लिये गन्ना अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि वे जरूरी नहीं समझे जाते।

**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गन्ने की रिक्वरी है ९·७ और तीन चार सौ मन प्रति एकड़ शूगर केन यील्ड है, जबकि साउथ में रिक्वरी १३, १४ प्वाइट है और १५०० मन प्रति एकड़ का यील्ड है। इस पर भी मंत्री महोदय स्टेटमेंट में कहते हैं कि :

> "जी नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब राज्यों में केवल अच्छी किस्में निकालने के लिये गन्ना अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि वे जरूरी नहीं समझे जाते।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर भारत में रिसर्च स्टेशन स्थापित किये बिना वहां की रिक्वरी और यील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने तथा सरकार को अपनी नीति बदलने के लिये आग्रह करने के हेतु प्रश्नकाल का उपयोग कर रहे हैं। वे केवल जानकारी मांग सकते हैं। जानकारी दी जा चुकी है। यदि वे सरकार से आग्रह करना चाहते हों, तो वे कोई दूसरा अवसर ढूंढें।

**श्री विभूति मिश्र** : मेरा सवाल यह है कि साउथ में जैसी वैरायटीज पैदा होती हैं, वैसी नार्थ में पैदा नहीं होती हैं। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कहते हैं कि यह नैसेसरी नहीं है। दोनों में एक सी समता नहीं रहती है। मिनिस्टर साहब को जवाब देना चाहिये कि उत्तर भारत में ऐसी वैरायटीज पैदा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं, जिन से यहां की यील्ड और रिक्वरी अच्छी हो ?

**डा० पं० शा० देशमुख** : इस जवाब का कारण यह है कि हमारी राय से कोयम्बटोर और उत्तर के स्टेशनों में काफी वैरायटीज की अदला बदली होती है। जो वैरायटी कोयम्बटोर में अच्छी रहती है, उस को उत्तर में भेजा जाता है और जो अच्छी निकलती है, उस का प्रचार होता है। फिलहाल इस का जो इन्तजाम है, वह हमारी राय से काफी है,। मगर केवल स्पेशल इम्प्रूव्ड वैरायटीज उगाने के लिये ही नहीं, मगर फडामेंटल रिसर्च करने के लिये थर्ड फाइव-इयर प्लान में कुछ स्टेशन बनाये जाने वाले हैं--यू० पी० में घोघ्राफट और गोला में, बिहार में चम्पारन में और पंजाब में रोहतक में। लेकिन ये शूगरकेन की ही इम्प्रूव्ड वैरायटीज के लिये नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा और सुनिये...

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं।

**श्री विभूति मिश्र** : अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान में यह है कि जस्टिस होना चाहिये। मैं एक मैम्बर हूं और मेरे साथ जस्टिस होना चाहिये। मैंने प्रश्न रखा है और मुझे सवाल पूछने की इजाजत दी जानी चाहिये। आप के विधान के प्री-एम्बल में है कि जस्टिस होना चाहिये। मैं चाहता हूं.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं । उत्तर पूरा हो चुका है और वह यह है कि उत्तरी और दक्षिणी भारत में अनुसन्धान केन्द्र हैं, एक विशिष्ट क्षेत्र में किया गया अनुसन्धान जांच के लिये दूसरे क्षेत्र में भेज दिया जाता है और इस प्रकार सारा अनुभव इकट्ठा कर लिया जाता है । सरकार की राय में और अधिक अनुसन्धान केन्द्र खोलना जरूरी नहीं है । यदि माननीय सदस्य इस पर जोर देते हैं तो मैं यहां उस के लिये अनुमति नहीं दे सकता । वे एक प्रस्ताव रख सकते हैं और यदि सरकार उसे स्वीकार न करे तो अपने पक्ष में बहुमत इकट्ठा कर लें । और स्वतः उसका भार उठायें । मुझे उत्तर से सन्तोष है । माननीय सदस्य यह समझ लें जब मेरी राय में उत्तर सन्तोषजनक होता है तो मैं अगला प्रश्न उठाता हूं । मैं ने उन्हें एक और सवाल पूछने की इजाजत दी । मैं ने बताया कि सरकार ने निर्णय कर लिया है और उस के लिये पूरे पूरे कारण भी बताये जा चुके हैं । वह सरकार को यह समझाना चाहते हैं कि और अधिक अनुसन्धान केन्द्र होने चाहियें । मुझे आशंका है कि प्रश्नकाल उस के लिये उचित अवसर नहीं है ।

**श्री खुशवक्त राय** : क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं ? मैं आप को दिखाऊंगा कि उत्तर पूरा नहीं है ।

क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने की जो किस्में बोई जाती हैं वे दो तीन साल में खराब हो जाती हैं इसी वजह से जो शक्कर की प्राप्ति है, वह कम होती जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का यह कहना है कि पिछले दो तीन साल में कम प्राप्ति हुई है और इस लिये गन्ना खराब है ।

†**श्री खुशवक्त राय** : गन्ने के किस्मों के कारण ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुसन्धान की कमी के कारण तो नहीं । सवाल यह है कि विभिन्न किस्मों की जांच करने के लिये और अधिक अनुसन्धान केन्द्र क्यों नहीं खोले जाते । माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि वर्तमान अनुसन्धान केन्द्र पर्याप्त हैं । यदि कोई खास किस्म ठीक तरह से लाभदायक न हो तो वे उस की ओर ध्यान दे रहे हैं । और माननीय सदस्य माननीय मंत्री का ध्यान उस ओर दिला सकते हैं ।

†**श्री त्यागी** : औचित्य प्रश्न के हेतु जब सभापति ने अगला प्रश्न पुकारा हो तो पुरानी प्रथा तोड़ी न जाये और पहले के प्रश्न पर कोई और अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें । सभापति के निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिये अन्यथा सभा में शांति नहीं रहेगी (**अन्तर्बाधा**) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे प्रसन्नता है । मैं अगला प्रश्न पुकारता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे सब उस समय के लिये रक्षित रखे जायें जब इस मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगें उठायी जायेंगी । अगला प्रश्न ।

## जलढाका रेलवे पुल

\+

†*६३७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
**श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी सीमान्त रेलवे के चपडामड़ी और नगरकाता स्टेशनों के बीच नये जलढ़ाका रेलवे पुल का निर्माण पूरा हो चुका है,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर क्या लागत आयी है ;

(ग) क्या यह आसाम लिंक मार्ग को दृढ़ बनाने का व्यापक योजना का एक अंग है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का कितना भाग क्रियान्वित किया जा चुका है और कितना भाग अभी क्रियान्वित किया जाना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी हां। यह पुल लगभग ४४.३५ लाख रुपये की लागत से बनाया गया था और ४ जनवरी, १९६१ से आवागमन के लिये खोल दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) चार पुलों पर गर्डर खड़े करने और माल में रेलवे लाइन के रेखांकन के सिवा सारा काम पूरा हो चुका है। ये काम जारी हैं और अनुमान है कि मई, १९६१ तक ये पूरे हो जायेंगे ।

यहां मैं यह भी बता दूं कि इन में से एक पुल डिडिमा नदी पर होगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस योजना पर कितनी रकम खर्च की जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कौन सी परियोजना ? मैंने इस पुल के बारे में आंकड़े दे दिये हैं। यह पुल लगभग ४४.५३ लाख रुपये की लागत से बनाया गया था ।

**पंचायत राज**

\+

†*९४०. **श्री भक्त दर्शन :**
**श्री शि० ना० रामौल :**

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकेन्द्रीकरण द्वारा पंचायत समितियों को सत्ता सौंपने की योजना को संघ राज्य क्षेत्रों में किस प्रकार लागू करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पचायतें पहले से ही काम कर रही हैं मनीपुर और त्रिपुरा में पचायतें स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक काम काज किया जा रहा है। शीघ्र ही विनियमन लागू किये जाने वाले हैं । हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में क्षेत्रीय परिषदें हैं जिन के कुछ कार्य हैं और जिन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त हैं दिल्ली के लिये एक मंत्रणा समिति भी है। प्रत्येक राज्य क्षेत्र में विद्यमान स्थिति को देखते हुए इस बात पर विचार किया जा रहा है कि पंचायत और क्षेत्रीय परिषद् के बीच में कोई मध्यवर्ती संविहित निकाय होना चाहिये अथवा नहीं और यदि हां, तो उस का क्या रूप, कार्य और शक्तियां होनी चाहियें । जिन राज्य क्षेत्रों में अभी तक पंचायतें नहीं हैं वहां किसी भी रूपमें उच्चतम निकाय की स्थापना भी पंचायतों के कार्य से प्राप्त अनुभव पर निर्भर होगी ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या माननीय मंत्री जी का कुछ अंदाजा है कि देर से देर कबतक इन सब क्षेत्रों में पंचायतों का निर्माण हो जायेगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : यह केवल भविष्य में करने का प्रश्न नहीं है। उस की ओर अभी ही ध्यान दिया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**श्री भक्त दर्शन** : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में जो पंचायतें अब तक बनी हैं, उन को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो कि राजस्थान या आंन्ध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश में पंचायतों को प्राप्त हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई समानता लाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : मैं समझता हूं कि मैंने जवाब में यह बताया है कि जहां तक सम्भव है इन सभी राज्य क्षेत्रों में लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण लागू करने के लिये कोशिश की जा रही है ।

†**श्री हेडा** : पंचायत राज की तीन दौर वाली एक योजना है । क्या पहले निर्वाचित ग्राम पंचायतें बनाने का सरकार का विचार है या वह सिरे से या और किसी दूसरे स्तर से आरम्भ करेगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : हम नीचे के स्तर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : किन शक्तियों को विकेन्द्रित करने तथा इन ग्राम पंचायतों को सौंपने का विचार है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : माननीय सदस्य का प्रश्न संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है अथवा . . . . . .

†**श्री त्यागी** : संघ राज्य क्षेत्र ।

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति** : जहां ऐसी क्षेत्रीय परिषदें हैं जिन्हें पहले से ही कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, वहां मेरे विचार से उन परिषदों के सम्बन्ध में ही इस प्रश्न को हल करना होगा । इसलिये उसमें कुछ समय लगेगा । फिर, जहां तक राज्य क्षेत्रों में लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण का सम्बन्ध है, कई मन्त्रालयों को अवश्य ही सहमत होना पड़ेगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझूं कि यह निश्चित नहीं किया गया है कि कौन कौनसी शक्तियां विकेन्द्रित की जायें और यह मालूम किये बिना ही कि कौनसी शक्तियां उन्हें सौंपी जायेंगी, पंचायतें बनायी जा रही हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति**: मैं नहीं समझता कि मान ीय सदस्य ठीक कह रहे हैं । उदाहरण के लिये, दिल्ली में पंचायतें बनायी गयी हैं और कृषि, पशु पालन, सहकारिता आदि के विकास के लिये उन्हें शक्तियां और अधिकार दिये गये हैं । कुछ पंचायतों को तो निरीक्षण विषयक शक्तियां भी दी गयी हैं । इसके अलावा एक मन्त्रणा समिति भी है । इसलिये यह बात नहीं कि पंचायतें यों ही बना दी जाती हैं । उन्हें कुछ शक्तियां और कार्य सौंपे जाते हैं । उन्हें कुछ साधन भी दिये जाते हैं ।

†**श्री त्यागी** : ये शक्तियां कुछ नहीं हैं । यह काम तो किसी को भी सौंपा जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा यह सुझाव है कि माननीय मन्त्री माननीय सदस्यो की जानकारी के लिए पुस्तकालय में उस याजना की प्रति रख दें जिसमें यह बताया गया हो कि वर्तमान स्थानीय निकायों से पंचायतो को कौन कौनसी शक्तियां हस्तान्तरित की जा रही हैं, उनकी वित्तीय शक्तियां, साधन आदि क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**श्री विभूति मिश्र :** पंचायतों की जो ज्युडिशल साइड है, उसमें जो जो लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग का क्या सरकार ने कोई इन्तिजाम किया है ? इन पदों के लिये चुने जाने के बाद क्या यह जरूरी नहीं है कि उन को ट्रेनिंग कुछ दी जाये ताकि वे मुकदमो का फैसला ठीक तरह से कर सकें ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** उस सवाल पर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

†**श्री पलनियाण्डी :** क्या पंचायतों को शक्तियां देने के लिये किसी संघ राज्य क्षेत्र में कोई पंचायत अधिनियम पारित किया गया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत अधिनियम पारित हुआ है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** माननीय मन्त्री ने अभी अभी बताया है कि शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ मन्त्रालयों को सहमत होना पड़ेगा । मैं यह जानना चाहती हूं कि वह सहमति प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और शक्तियों के वास्तविक विकेन्द्रीकरण से पहले वह सहमति प्राप्त करने में कितनी देर लगेगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** गृह मन्त्रालय और हमारे मन्त्रालय के बीच परामर्श हो रहा है और इस बात के लिये कि इन पंचायतों और सर्कल पंचायतों को यथाशीघ्र शक्तियां और कार्य सौंपे जायें, कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री बसुमतारी :** इस बात को देखते हुए कि मनीपुर और त्रिपुरा में परम्परागत परिषदें हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि इन आदिम जाति क्षेत्रों में परम्परागत परिषदों और इन पंचायतों के बीच क्या सम्बन्ध होगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां पहले से ही निर्वाचित परिषदें हैं ।

†**श्री बसुमतारी :** मैंने "परम्परागत परिषदें" कहा है ।

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** इस प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** यदि इन पंचायतों को केन्द्रीय सरकार के निदेश के अनुसार शक्तियां दी जाती हैं, तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पंचायतों को भिन्न भिन्न शक्तियां किस प्रकार मिली हुई हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि पंचायत राज्य-विषय है और कोई निदेश नहीं दिया जाता । कभी कभी कोई सुझाव दे दिये जाते हैं और जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है, राज्य अपने निजी विधान बनाते हैं ।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान में.....

†**अध्यक्ष महोदय :** राजस्थान संघ राज्य क्षेत्र नहीं है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान में जिला स्तर पर पंचायत परिषदें हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें कौन कौनसी शक्तियां दी गयी हैं । क्या न परिषदों को कोई शक्ति नहीं दी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री पद्म देव :** क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि हिमाचल में जो टेरिटोरियल कौंसिल है उसके प्रशासनिक अधिकार क्या हैं, या वह केवल म्यूनिसिपैलिटी की शक्ल रखती है ? और उस सूरत में वहां के लोगों के डिमाक्रेटिक अधिकार क्या हैं ?

**श्री ब० सू० मूर्ति :** क्षेत्रीय परिषदें हमारे मन्त्रालय द्वारा नहीं निर्मित की जातीं ।

## कलकत्ता से त्रिपुरा को सामान का परिवहन

†*९४१. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा जाने वाला २ लाख मन से अधिक सामान भारवाही जहाज सेवाओं की पर्याप्त सुविधाओं के न होने से कलकत्ता में पड़ा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी वजह से त्रिपुरा के लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) माल यातायात में एकाएक वृद्धि हो जाने के कारण जो वर्ष के इस भाग में असाधारण नहीं है, सौदागरों के पास पड़ा माल जो ४,००० मन होने का अनुमान है, इण्डियन इएयरलाइन्स कार-पोरेशन अपने भारवाही जहाजों की सेवा बढ़ा कर उसे पहुंचा देगा ।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या त्रिपुरा भेजा जाने वाला माल अब तक उठा लिया गया है और अब तक कितना माल उठाया जा चुका है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जैसा कि मैंने बताया है, सबसे ताजी सूचना यह है कि कुछ माल पड़ा हुआ है और यथाशीघ्र माल उठाने के लिये माल ढोने वाले जहाजों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जायगी ।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी :** माननीय मन्त्री के उत्तर से मालूम पड़ता है कि अभी काफी माल पड़ा हुआ तु । क्या मैं जान सकती हूं कि कुछ गैर अनुसूचित जहाजों को यह माल ढोने का मौका दिया जायगा ताकि त्रिपुरा के लोगों की तकलीफ कम हो जाये ?

†**णश्री मुहीउद्दीन :** मैं समझता हूं कि दो बातें जो मान ली गयी हैं वह ठीक नहीं हैं । पहली बात यह कि काफी माल पड़ा हुआ है । मैंने बताया है कि वह लगभग ४००० मन है । वह बहुत जल्द ही उठाया जायगा । दूसरी बात यह कि माननीय सदस्य ने कहा कि जनता को कष्ट हो रहा है । जहां तक हमारी जानकारी है, अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ नहीं गयी हैं । इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## हुगली में डूबे जहाज

†*९४२. **श्री ब्रजराज सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में हुगली में डूबे जहाजों से अनुमानत: कितनी हानि हुई है;

(ख) इन जहाजों के डूबने के क्या कारण थे;

(ग) क्या इन घटनाओं के बारे में कोई जांच करवाई गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)**: (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: विवरण में यह कहा गया है कि एम्पायर ओबेरेन के डूबने के सम्बन्ध में कलकत्ते के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने जांच की थी और उसकी रिपोर्ट की प्रति आवश्यकक कार्यवाही के लिये कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स के पास भेज दी गयी है। यह प्रति पोर्ट कमिश्नर्स के पास कब भेजी गयी और कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

†**डा० प० सुब्बारायन्** : पोर्टकमिश्नर्स उस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। वे इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यह रिपोर्ट लगभग दो महीने पहले भेजी गयी थी और इस पर विचार हो रहा है दो या तीन पनाधिकारी इसमें फंसे हुए हैं। एक अधिकारी जिसे न्यायालय ने दोषी समझा दुर्घटना में मर गया।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह साफ कहा गया है कि चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय दिया कि कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कार्यवाही करने में देर क्यों हो रही है?

†**डा० प० सुब्बारायन्** : एम्पायर ओबेरन के कमाण्डर श्री प्रेस्टन दुर्घटना में मर गये। दूसरा व्यक्ति श्री रामजू था जो लाइटर नम्बर पी० सी० ७ का साझी था और इस बात के लिए उत्तरदायी था कि जो उसे करना चाहिये था उसने नहीं किया। तीसरा व्यक्ति श्री अमलेन्द्र लाल कार, डिप्टी कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स आफिस का था। उसे मांझी.नाव के लाइसेंस संबंधी नियम, आदि के बारे में जानकारी नहीं थी। चौथा व्यक्ति विशेषा कार्य पर तैनात हार्बर मास्टर श्री ई० एच० राबे था जिसने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया कि ठीक ढंग से व्यवस्था की गयी है या नहीं। पांचवा व्यक्ति चीफ़ रिवर सर्वेयर श्री किंग था जिसने किसी सक्षम अधिकारी से आदेश लिये बिना जहाज पर तीन अतिरिक्त व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति दी। इन लोगों के विरुद्ध शिकायतों पर पोर्ट कमिश्नर्स द्वारा विचार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इसके लिए जो भी दंड आवश्यक होगा वह दिया जायगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : सरकार ने यह मान लिया है कि दो नौकाएं हुगली नदी में डूबी पड़ी हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हुगली नदी का तल साफ करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि दूसरे जहाज चल सकें और उन पर कोई असर न पड़े।

†**डा० प० सुब्बारायन्** : जहाजों को चलने के लिए नदी का जल पूरी तरह साफ किया जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न जांच के बारे में है कि इस दुर्घटना की जांच की गयी है या नहीं। अगला प्रश्न।

## रेलवे में भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन

†*९४३. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में सभी रेलों पर भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन कार्य कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण रेलवे में क्या सफलता मिली ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९६०-६१ अभी बन्द नहीं हुआ है। पत्री वर्ष १९६० की स्थिति नीचे दी जाती है :—

भ्रष्टाचार के ९८ मामलों का पता चला। १३८ मामलों का जिनमें पुराने अवशिष्ट मामले भी हैं, वर्ष में अन्तिम निपटारा किया गया और विविध दंड अर्थात् बरखास्तगी, नौकरी से निकाला जाना अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति, पदावनति, वार्षिक वेतन वृद्धि और पास रोकना आदि, १६० कर्मचारियों को दिये गये हैं। माल रखने के शैडों, माल लादने के स्थानों आदि की अकस्मात जांच की गई, और परिणामस्वरूप प्रशासन को १,१४,४०१ रुपये ४८ नये पैसे की बचत हुई।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार विभिन्न मामलों के संबंध में इस सतर्कता निदेशालय और मुख्य सुरक्षा अफसर के राय के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

†**श्री तंगामणि** : क्या डिवीज़न स्तर पर सर्तकता अफसर होते हैं या क्या तीन या चार में डिवीज़नों के लिये केवल एक सर्तकता अफसर होता है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह केवल मुख्यालय में प्रशासनिक स्तर पर होता है। डिप्टी जनरल मैनेजर इस का प्रमुख अधिकारी होता है और उस की सहायता के लिये दूसरे सर्तकता अफसर होते हैं जो दौरा करते रहते हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने इस नाम "भ्रष्टाचार विरोधी संगठन" का नाम हटाने की वांछनीयता का विचार किया है जिससे पहले ही भ्रष्टाचार का आभास मिलता है और बदल कर इस का नाम सर्तकता संगठन या ऐसा ही कोई और समुचित नाम रखने का विचार किया है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : नाम, 'भ्रष्टाचार विरोधी संगठन' नहीं है बल्कि 'सतर्कता विभाग' है।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ऐन्टी करप्शन आर्गेनाइजेशन जो है वह केवल सदर्न रेलवे में है या और रेलवेज पर भी एक्स्टेंड किया गया है ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सब रेलवेज पर है।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों के द्वारा जो रेलवे का सामान तोड़ फोड़ कर या चुरा कर उन ठेकेदारों को बेच दिया जाता है जो कि उसे सप्लाई करते हैं, उसे रोकने के लिये भी ऐन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने आप के डिपार्टमेंट को कोई सुझाव दिये हैं, और यदि दिये हैं तो वे क्या हैं ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : कई ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने देखा कि रेलवे कर्मचारी इस किस्म के गलत काम करते हैं और उन्होंने उन को पकड़ने में मदद दी है।

†**पण्डित कृ० चं० शर्मा**: उन को कितने मामलों की सूचना दी गई है ?

**श्री शाहनवाज खां** : इस साल में ९८ केसेज़ करप्शन के पकड़े गए हैं और इनमें जिन रेलवे एम्पलाईज़ ने चोरी वगैरह में हिस्सा लिया था उनके केस भी शामिल हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं ने पूछा कि क्या उसकी रोकथाम के लिए कोई सुझाव दिए गए हैं। उसका उत्तर नहीं दिया गया।

**श्री शाहनवाज खां:** जी हां, दिए गए हैं। हर वक्त दिए जा रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव:** इन मामलों में कितने गजेटिड अफसर अन्तर्ग्रस्त थे और उन्हें क्या दण्ड दिये गये थे? क्या उपमंत्री ने कहा है कि इस सतर्कता विभाग से एक लाख रुपये की बचत हुई है। इस बचत का कैसे अनुमान लगाया गया है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** चार गजेटिड अफसर अन्तर्ग्रस्त थे। क्या दंड दिया गया यह यहां नहीं बताया जाता। राशि की कैसे बचत हुई इसके लिये पृथक प्रश्न पूछा जाए।

## 'ट्विन पायनीयर' विमान

†*९४५. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्काटलैंड के एक सार्थ द्वारा निर्मित 'टिवन पायनीयर' विमान की दिल्ली में एक प्रदर्शन उड़ान की गयी थी;

(ख) क्या सरकार का इस विमान को अपने उपयोग के लिए खरीदने का विचार है;

(ग) क्या इसको खरीदने के बारे में शर्तें तय की जा चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** इस प्रदर्शन उड़ान का आयोजन क्यों किया गया था और इसका क्या उद्देश्य था?

†**श्री मुहीउद्दीन:** हमने इस का आयोजन नहीं किया। निर्माता इसे लाये हैं और वे प्रदर्शन करना चाहते थे।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** क्या इस विमान की **लाभ-हानि** और परिवहन क्षमता का ध्यान किया गया है और क्या सरकार किसी उद्देश्य के लिये इस विमान का उपयोग करने का इरादा रखती है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : परिवहन क्षमता, हानि लाभ आदि का विचार करने का प्रश्न नहीं है। ये लोग इस का प्रदर्शन करना चाहते थे ताकि उनको क्रेता मिल जाएं और हमने प्रयोगात्मक उड़ान करने की उनको अनुमति दे दी।

## होटलों के लिए ऋण

+

†*९४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त:**
**श्री दी० चं० शर्मा:**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटलों के निर्माण के लिए मेसर्स ओबराय होटल्स (लिमिटेड) को ऋण दिलवाने की प्रस्थापना पर विचार कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस ऋण की मुख्य शर्तें और निबंधन क्या हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) से (ख). ईस्ट इंडिया होटल के जिसके प्रबन्ध अभिकर्ता मसर्स ओबराए होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड हैं, १८० लाख रुपये के ऋण की अपनी मूल प्रार्थना हटा ली है जो उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम को दी थी और जो सरकार के विचारधीन थी। यह समझा जाता है कि कम्पनी ने अब कम राशि के ऋण के लिये औद्योगिक वित्त आयोग से प्रार्थना की है और वह मामला निगम के विचाररधीन है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त**: माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि इस होटल के मैनेजर ने ऋण के लिये औद्योगिक वित्त निगम से प्रार्थना की है। अब उसने कितना ऋण मांगा है?

†**डा० प० सुब्बरायन्**: अब उन्होंने ९५ लाख रुपये का ऋण मांगा है।

†**श्री अन्सार हरवानी**: माननीय मंत्री ने कहा कि मैसर्स ओबराय होटल्स का सहायक ईस्ट इंडिया होटल्स ने ऋण की प्रार्थना की और बाद में उसे वापिस ले लिया। प्रार्थनापत्र वापिस लेने के कारण क्या थे?

†**डा० प० सुब्बरायन्**: उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी राशि का नियोजन करना तथा वापिस लौटाने की गारंटी देना संभव नहीं होगा। यह कारण था।

†**श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या गैर सरकारी क्षेत्र में किसी होटल उद्योग को ऋण दिया गया है?

†**डा० प० सुब्बरायन्**: इस विशिष्ट होटल के लिये ऋण नहीं दिया गया है।

## डाक तथा तार विभाग में कल्याण पदाधिकारी

\+

*९४८. **श्री भक्त दर्शन:**
**श्री रामकृष्ण गुप्त:**
**सरदार इकबाल सिंह:**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न-संख्या ८२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग में कल्याण पदाधिकारियों के पदों को रखने या समाप्त करने के प्रश्न के बारे में क्या निश्चय किया गया है?

**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: इस मामले की अभी जांच की जा रही है।

†**श्री भक्त दर्शन**: इस प्रश्न का इतनी लंबी अवधि तक निपटारा क्यों नहीं हो सका?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्)**: इस पर विस्तारपूर्वक विचार करना अपेक्षित था और विचार किया जा रहा है।

†**श्री भक्त दर्शन**: जब कभी ये पद समाप्त किये जायेंगे इस काम की देख भाल करने के लिये क्या व्यवस्था की जाएगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बारायन्** : हम विचार करेंगे कि जब ये पद समाप्त किये जायेंगे तो क्या किया जाना चाहिये ।

†**श्री भक्त दर्शन:** यदि ये पद हटा दिये जाते हैं तो क्या वर्तमान पदाधिकारियों को कोई वैकल्पिक पद दिये जाने की कोई संभावना है ?

†**डा० प० सुब्बारायन्** : हम उन लोगों के लिये जिन्हें हम विभाग के लिये अनिवार्य नहीं समझते वैकल्पिक पद देने का हमेशा प्रयत्न करते हैं ।

## आयोजन-एवं-जिला पंचायत अधिकारी

†*९५०. **श्री तंगामणि** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन की इस सिफारिश को सभी राज्यों में क्रियान्वित किया गया है कि जिले में आयोजन-एवं-जिला पंचायत अधिकारी होना चाहिये जो जिला विकास परिषद् का सचिव भी हो ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने राज्यों में इसे कार्यान्वित किया गया है ; और

(ग) इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में क्या विशेष कठिनाइयां हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग) . स्थानीय स्वायत्त सरकार की केन्द्रीय परिषद् की जो छटी बैठक नवम्बर १९६० में बंगलौर में हुई थी उस की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं । राज्यों ने उत्तर दिया है कि वे इस समय ऐसा कोई परिवर्तन नहीं चाहते । अन्य राज्यों से अभी उत्तर नहीं आये ।

†**श्री तंगामणि** : कई राज्यों में जिला विकास परिषदों की स्थापना करने वाला नया अधिनियम पारित हो चुका है । क्या इन राज्यों ने जिला पंचायत अफसर को, जो योजना अफसर भी होता है, जिला विकास परिषद् का सचिव बनाने की सिफारिश को कार्यान्वित किया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : बहुत से राज्य अब स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्रियों के सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प पर विचार कर रहे हैं । केवल दो राज्यों ने कहा है कि वे संकल्प में की गई सिफारिश के अनुसार इस समय अफसर नियुक्त करना नहीं चाहते ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच नहीं है कि मद्रास में जिला विकास परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं और वहां कोई जिला पंचायत अफसर नहीं होता, और केवल एक डिवीज़नल पंचायत अफसर ही होता है और वहां विकास परिषद् का कोई सचिव नहीं होता ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति**: मैं यह सूचना ग्रहण करता हूं । मद्रास सरकार भी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न कर रही है ।

## अमरीका को चीनी का निर्यात

*९५१. **श्री ब्रजराज सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम समाचारों के अनुसार अमरीका भारतीय चीनी का पर्याप्त मात्रा में आयात करने पर सहमत हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी आयात करने की अनुमति दी गई है और मूल्य आदि के बारे में आयात की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या अमरीका को चीनी के इस निर्यात से भारत को कोई हानि होगी और यदि हां, तो क्या यह हानि भारतीय चीनी मिल संघ उठायेगा या भारत सरकार उठायेगी ;

(घ) क्या देश में चीनी के मूल्य पर उक्त निर्यात का कोई प्रभाव पड़ेगा ;

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ; और

(च) संभावित निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी अभी तक नहीं ।

(ख) से (च). प्रश्न ही नहीं होता ।

†**श्री अजराज सिंह** : क्या भारतीय चीनी मिल संघ के प्रतिनिधियों द्वारा अमरीका में कोई बातचीत की जा रही थी ?

†**श्री अ० म० थामस**: जी, हां । अमरीकी सरकार से प्रार्थना की गई है । हाल ही में इस संस्था के जो संविहित निर्यात अभिकरण हैं सभापति और उपसभापति का एक शिष्टमण्डल अमरीका गया था ।

†**श्री अजराज सिंह** : चूंकि अमरीका को भारतीय चीनी के निर्यात की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है, क्या सरकार ने यह देखने के लिये किसी अस्थायी प्रस्ताव पर विचार किया कि यदि अमरीका को चीनी का निर्यात किया ही जाना है, तो उपभोक्ता को कोई हानि न उठानी पड़े ?

†**श्री अ० म० थामस**: वास्तव में यह खूब विख्यात है कि यदि हमें अमरीका से अभ्यंश मिल सकता है, तो हमें हानि कम होगी । औसतन हमें निर्यात पर बाहर भेजी गई चीनी पर प्रति मन लगभग १३ रुपये की हानि होती है । यदि इस का अमरीका को निर्यात किया जायगा तो हानि केवल ७ रुपये प्रति मन होगी ।

**श्री विभूति मिश्र** : क्या यह सही है कि हमारे फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर और अमरीका की सरकार में शूगर के रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई बातचीत होने वाली है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यदि ऐसा हुआ भी तो यह बाद में ही होगा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या भारत से चीनी के लिये उन के द्वारा बनाई गई अमरीकी कीमत यहां चीनी की उत्पादन लागत से बहुत कम है ?

†**श्री अ० म० थामस**: : अमरीका के बारे में यह स्थिति है कि ४५५ लाख टन संसार की कुल खपत में से वे ८४.१० लाख टन की खपत करते हैं और केवल ४२ लाख टन का उत्पादन करते हैं । वे ४२ लाख टन का आयात करते हैं । अपने देशी उत्पादन को बचाने के लिये वे यह भाव कायम रख रहे हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : यदि हम अमरीका को चीनी भेजना चाहते हैं, उन बाजारों में एक विशेष गुण, प्रकार की चीनी ही ली जाती है। हम उस प्रकार की चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस:** : यह सच है कि अमरीका सीधे उपभोग की चीनी जो हम तैयार करते हैं उस का आयात नहीं करता । वे केवल कच्ची चीनी मंगवाते हैं । इस समय कच्ची चीनी की दर पर सीधे उपभोग की चीनी देना भी ठीक होगा । बाद में, यदि अमरीका किसी विशिष्ट किस्म की चीनी लेना स्वीकार करेगा तो हम वैसी चीनी दे सकेंगे ।

†**श्री हेडा** : मा० उपमंत्री ने जिस १३ रुपये प्रति मन की हानि का उल्लेख किया हैं, क्या वह उत्पादन शुल्क को मिला कर किया गया है या उस के बिना किया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस में उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** : क्या अमरीकी सरकार केवल क्यूबा का मुकाबला करने के लिये हम से ऊंचे दामों पर चीनी खरीद रही है या उन्हें वास्तव में ही इस की जरूरत है ?

†**श्री अ० म० थामस:** मुझे खेद है कि ऐसी गलतफहमी फैली हुई है, चाहे वह अज्ञान के कारण है या और किसी कारण अमरीका उन सब देशों से चीनी ले रहा है जो इसका निर्यात करते हैं । ऐसी बात नहीं है कि अकेले हमारे पास ही पक्षपात किया गया है । यह सर्वविदित है कि अमरीका सरकार ने क्यूबा का अभ्यंश रद्द कर दिया है जो लगभग ३० लाख टन था और वह चीनी खुले विश्व बाजार में आ रही है । अब हम अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों को भी चीनी भेजते हैं चाहे क्यूबा के साथ हमारा संबंध वैसा ही है । अतः हम अमरीका में अधिक माल भेजना चाहते हैं, जो सर्वथा व्यापारिक सौदा है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : पेरने के मौसम में चालू वर्ष में चीनी के उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से, क्या अमरीका के अतिरिक्त अन्य देशों को भारतीय चीनी निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री अ० म० थामस** : पिछले वर्ष के उत्पादन में से हमने ५०,००० टन का निर्यात घोषित किया है । चालू वर्ष के लिये हम ने इसे ५०,००० टन अस्थायी तौर पर निश्चित किया है । हम बाद में इसे बढ़ा सकते हैं । हम ने १ लाख टन के निर्यात की घोषणा की है जिस में से हम ने ९ मार्च १९६१ तक लगभग ७२००० टन का निर्यात किया है । हम अन्य देशों को भी इस का निर्यात करने की संभाव्यता का पता लगा रहे हैं ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार का सदस्य है क्योंकि हम इस के सदस्य हुए बिना चीनी का निर्यात नहीं कर सकते ?

†**श्री अ० म० थामस:** : अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत हमें निर्यात करने के लिये १।। लाख टन का अभ्यंश मिला है । यदि हमें अमरीका को निर्यात करना है, तो हमें करार का सदस्य बनना पड़ता है । किन्तु अमरीका को किया गया अभ्यंश इस करार के अन्तर्गत मिले हुए अभ्यंश में नहीं नहीं गिना जायगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : भारत से अमरीका द्वारा अधिक चीनी खरीदे जाने की संभावना की दृष्टि से, क्या खाद्य मंत्रालय ने परिवहन संबंधी कठिनाइयों के बारे में भारत की स्थिति का विचार किया है और यदि हां, तो क्या रेलवे समय पर पत्तनों पर चीनी भेजने के लिये सक्षम होगी ?

†**श्री अ०म०थामस** : माननीय सदस्य को इस विषय में कोई शंका नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यदि हम चीनी का निर्यात करने की स्थिति में होगे तो रेलवे मंत्रालय भी उपेक्षित परिवहन दे सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : केवल एक प्रश्न बचा है ,जो महत्वपूर्ण है । इसे ले लिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय**: : मैं उस प्रश्न को भी पूरा करना चाहता था किन्तु प्रश्न काल पूरा हो चुका है ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## बेगमपेट में 'एवियेशन बेस'

†*९३०. **श्री उस्मान अली खां**: : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेगमपेट 'एवियेशन बेस' को चालू रखने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) हैदराबाद में इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के मेन्टीनेंस बेस के कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिये कोई तात्कालिक योजना नहीं है ।

## पोस्टकार्ड बेचने की स्वचालित मशीन

†*९३१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ न० पै० के पोस्टकार्ड बेचने के लिये बनायी गयी स्वचालित मशीन (आटोमेटिक स्लॉट मशीन) जिसे बम्बई के मुख्य डाकघर में लगाया गया है, सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य शहरों के मुख्य डाकघरों में भी ऐसी ही मशीनें लगाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ग) यदि हां, तो किन शहरों में ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

## पैकेज प्रोग्राम

†*९३८. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा**: : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

"पैकेज प्रोग्राम' के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में खेती की गयी मुख्य फसलों की उपज में कुल और प्रति एकड़ वृद्धि कितनी हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष १९६१–६२ में इस 'पैकेज प्रोग्राम' के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पैकेज प्रोग्राम के अन्दर आने वाले क्षेत्रों में कुल उपज में वृद्धि तथा बोई गई फसलों की प्रति एकड़ उपज का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । तथापि उन जिलों में जहां कार्यक्रम चालू वर्ष में आरम्भ किया गया था, फसल काटने के प्रयोगों का आयोजन किया जा रहा है । प्रयोग पूर्ण हो जाने तथा परिणामों का विश्लेषण किये जाने के पश्चात् ही उपज सम्बन्धी सांख्यिकी उपलब्ध होगी ।

(ख) पश्चिम गोदावरी आन्ध्र प्रदेश के पहले सात जिलों, रायपुर (मध्यप्रदेश) पाली (राजस्थान), तंजौर (मद्रास), लुधियाना (पंजाब), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) और शाहबाद (बिहार) में, जहां इस समय यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, सामान्यतया २० प्रतिशत क्षेत्र में काम पहले वर्ष में किया गया था । आशा की जाती है कि पूरे जिले में यह कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये बाद में के वर्षों में इस क्षेत्र का धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा ।

शेष राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, केरल, उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा काश्मीर में प्रत्येक राज्य में एक जिले में इस कार्यक्रम का विस्तार करने का भी फैसला किया गया है ।

**बबेरघाट और हिली से रेल सम्पर्क**

†*९३९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बबेरघाट से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इस महत्वपूर्ण जिला सदर मुकाम को रेल से जोड़ दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या बबेरघाट और हिली को नई उत्तर बंगाल रेल लाइन के साथ जोड़ने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) तीसरी योजना की प्रारूप रूपरेखा में यह प्रस्ताव नहीं है ।

**विभागीय भोजन-व्यवस्था**

†*९४४. **श्री वें० प० नायर:** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रेलवे में विभागीय भोजन-व्यवस्था सेवा में सुधार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). विभागीय भोजन-व्यवस्था प्रतिष्ठानों का संचालन सामान्यतया सन्तोषजनक समझा जाता है । अधीक्षण को कड़ा करने/मजबूत करने, कर्मचारियों को अधिक व्यापक और विस्तृत प्रशिक्षण देने, खुराक के अवयव के रूप में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के गुण, प्रकार का नियन्त्रण करने और उत्तम उपकरणों का प्रबन्ध करने की दिशा में अग्रतर उन्नति करने के लिये प्रयत्न लगातार किये जाते रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मलाया के लिए भारतीय रेलवे आयोग

†*९४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाया सरकार के अनुरोध पर मलाया की रेलवे के संचालन का अध्ययन करने और इस बारे में उन्हें सलाह देने के लिये एक रेलवे आयोग मलाया भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). मामला सरकार के विचाराधीन है ।

## तालमेल समिति की सिफारिशें

†*९४९. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय और योजना आयोग की तालमेल समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कृषकों को, जो अपने खेतों में सुधरे हुए तरीकों को अपनाना चाहेंगे, राजसहायता देने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) सरकार का निश्चय क्या है ?

†**कृषि मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) कृषि उपज के क्षेत्र में खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय एवं सामुदायिक विकास तथा सहकार-मन्त्रालय के बीच समन्वय लाने के उद्देश्य मन्त्रियों के स्तर पर और अफसरों के स्तर पर केन्द्रीय सरकार में काम करने वाली समितियों की सार्वधिक बैठकें होती रहती हैं जिसमें दोनों मन्त्रालयों के बीच समन्वय लाने वाले प्रश्नों पर विचार किया जाता है और ये समितियां समुचित सिफारिशें करती हैं । इन सिफारिशों पर कार्रवाई, केन्द्र के सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा, जहां आवश्यक होता है, राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है ।

(ख) और (ग). किसानों को अपने खेतों में खेती के नये निकाले गये तरीकों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में अर्थ-सहायता देने से सम्बन्धित सिफारिश राज्यों के साथ परामर्श से इस समय विचाराधीन है ।

## कृषि आयोग

†*९५२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
**श्री पांगरकर :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री हेमराज :**
**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री २२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि के सभी पक्षों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से एक कृषि आयोग नियुक्त किरने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : यह मामला अभी राज्य सरकारों के साथ परामर्श से विचाराधीन है, जिनके विचार पूछे गये हैं ।

**खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सहायता**

†१८४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये भारत को सहायता देगा;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका किन परियोजनाओं में प्रयोग किया जाएगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) जी, हां ।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन भारत को अपने विस्तृत प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रविधिक सहायता के रूप में सहायता देता है, जिसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति, विदेशों में भारतीयों के प्रशिक्षण के लिये अधिछात्रवृत्तियां देना, और खोज के कामों के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति के साथ सहायक उपकरण देना आदि आते हैं ।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन से प्राप्त प्रविधिक सहायता, कृषि, पशु पालन और डेयरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, वन विज्ञान और पोषक आहार सम्बन्धी विभिन्न विकास परियोजनाओं में प्रयोग किये जाने के लिये जारी रहेगी ।

**खाद्य तथा कृषि संगठन**

†१८४५. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) यह राशि किस किस परियोजना के लिये प्राप्त की गयी थी ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन विशेषज्ञों की नियुक्ति विदेशों में भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये छात्रवृत्तियों और खोज के कार्यों में लगे हुए विशेषज्ञों को सहायक उपकरणों के सम्भरण के रूप में केवल प्रविधिक सहायता ही देता है । यह सहायता प्रत्येक पत्री वर्ष के आधार पर दी गयी थी :

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में यह सहायता वित्तीय दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार से है :—

| वर्ष | उपकरण भारत को दी गयी सहायता डालर | डालर |
|---|---|---|
| १९५६ . . | ७५,००० | ३३०,००० |
| १९५७ . . . | — | ३८०,००० |
| १९५८ . . | — | ३७८,५४० |
| १९५९ . . | — | ३७४,५४० |
| १९६० . . . . . | — | ३५५,००० |

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन से यह प्रविधिक सहायता कृषि, पशु चिकित्सा, गौशालाओं, मीन क्षेत्रों तथा वन विद्या सम्बन्धी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये प्राप्त हुई थी ।

†मूल अंग्रेजी में

## उत्तर रेलवे में मुसाफिरखाने

†१८४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में उत्तर रेलवे की मीटर लाइन के किस किस स्टेशन पर प्रतीक्षालय तथा प्रतीक्षा कक्ष बनाये गये थे या उन का विस्तार किया गया था; और

(ख) १९६१–६२ में किस किस स्टेशन पर उन का निर्माण किया जायेगा या विस्तार किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) बिदियाड तथा अलाय में नये प्रतीक्षालय बनाये गये हैं और डेगाना तथा मुजानगढ़ स्टेशनों पर प्रतीक्षा कक्षों का विस्तार किया गया है ।

इन के अतिरिक्त सुरपुरा, श्री बालाजी, समराऊ, राजकियाबास, सालावास, भिवानी, गुड़गांव तथा झवेलवाली स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों का निर्माण किया जा रहा है और नागौर, पीली बगान तथा संगरिया स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों के विस्तार का कार्य हो रहा है ।

१९६०–६१ में मीटर लाइन के किसी भी स्टेशन पर प्रतीक्षा कक्षों का निर्माण अथवा विस्तार नहीं किया गया ।

(ख) १९६०–६१ में रामगढ़ उजलवास में एक प्रतीक्षालय निर्माण के सम्बन्ध में एक प्राक्कलन मंजूर कर दिया गया है और झवेलवाली स्टेशन पर भी एक प्रतीक्षालय बनाने का विचार है । चूरू, चरकी दादरी, सरदार शहर, शेरेकां, टिब्बी, डिडवाना, मकराना और जालौर स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों के विस्तार का विचार है । परन्तु उक्त कार्यों की वास्तविक कार्यान्विति राशि की उपलब्धि पर निर्भर करती है । १९६१–६२ में किसी भी प्रतीक्षा कक्ष के निर्माण या विस्तार का कोई विचार नहीं है ।

## त्रिपुरा में मोटर दुर्घटनायें

†१८४७. **श्री पांगरकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के उत्तरार्द्ध में त्रिपुरा तथा मनीपुर में कुल कितनी दुर्घटनायें हुई थीं; और

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) त्रिपुरा में ३२ और मनीपुर में ३० ।

(ख) क्रमशः ५ और ८ व्यक्ति ।

## अशोधित तेल के आयात के लिये नौवहन शुल्क

†१८४८. **श्री पांगरकर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०में भारत स्थित तेल शोधक कारखानों के द्वारा भारत को अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी नौवहन कम्पनियों को कितनी विदेशी मुद्रा अदा करनी पड़ी है; और

(ख) भारतीय और विदेशी जहाजों को नौवहन शुल्क के रूप में कितनी राशि अदा की गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) तेल शोधक कारखानों द्वारा १९६० में अशोधित तेल के आयात के लिये समुद्री भाड़े के रूप में ५५१ लाख रुपये अदा किये गये थे।

(ख) सम्पूर्ण राशि विदेशी जहाजों को ही अदा की गयी थी, क्योंकि इस समय समुद्र पार तेल व्यापार के लिये कोई भी पंजीबद्ध भारतीय तेल वाहक जहाज नहीं है।

## बीस वर्षीय सड़क योजनायें

†१८४९. { **श्री हेम राज :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा बीस वर्षीय सड़क योजनाओं को अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा उन योजनाओं पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों द्वारा केन्द्रीय राज्य तथा जिला स्तरों पर जिन सड़कों का कार्य प्रारम्भ करना है उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** :(क) से (ग). राज्यों की दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन सड़क योजनाओं का तैयार करना मुख्य रूप से विभिन्न राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। १९८०–८१ को समाप्त होने वाले २० वर्षों में परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सम्पूर्ण देश की सड़क सम्बन्धी आवश्यकताओं की मोटे तौर पर एक रूप रेखा भारत के लिये सड़क विकास योजना (१९६१–८१) पर चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट में दी हुई है। इस रिपोर्ट पर विस्तारपूर्वक विचार करने का काम तब तक के लिये छोड़ दिया गया है, जब तक कि सरकार द्वारा नियुक्त वह समिति अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेती जो कि परिवहन के विभिन्न साधनों में तालमेल तथा दीर्घकालीन नीति सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी थी। इस दौरान में सड़क के सुनियोजित तथा समन्वित विकास का विनिश्चय करने के लिये, विभिन्न राज्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता से जिला सड़कों के नक्शे तैयार कर रहे हैं जिनमें चीफ इंजीनियर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आगामी २० वर्षों के लिये सड़कों की रूप रेखा दिखाई जा रही है। अभी तक आसाम, बिहार, मद्रास और त्रिपुरा की सरकारों ने अपने नक्शे पूरे कर लिये हैं उन पर अब विचार किया जा रहा है। शेष राज्यों द्वारा ये नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

## केन्द्रीय तम्बाकू समिति का मुख्य कार्यालय

†१८५०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया था कि केन्द्रीय तम्बाकू समिति के मुख्य कार्यालय को मद्रास से गंटूर ले जाया जाये ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

**तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर**

†१८५१. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर की प्रावस्था १ की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा काल सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**कुर्दुवाड़ी स्टेशन पर प्लेटफार्म**

†१८५२. **श्री नलवुर्गकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में कुर्दुबाड़ी जंक्शन पर बड़ी लाइन और छोटी लाइन के बीच एक सामान्य प्लेट फार्म बनाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). बड़ी लाइन और छोटी लाइन की गाड़ियों के लिये एक सामान्य प्लेटफार्म बनाने के प्रश्न का सम्बन्ध कुर्दुबाड़ी-मिराज सेक्शन को बड़ी लाइन या मीटर लाइन के रूप में बदल देने के प्रश्न से अन्तर्बद्ध है । एक प्रश्न के बारे में निर्णय होते ही, इस प्रश्न के बारे में विचार प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(घ) जी हां ।

**उड़ीसा में गहरे पानी में मछली पकड़ना**

†१८५३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये उड़ीसा में गहरे पानी में मछली पकड़ने सम्बन्धी लोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और उस पर लगभग कितना खर्च आयेगा ;

(ग) क्या इस के लिये १९६१-६२ के लिये उड़ीसा को कोई राशि मंजूर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं;

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में उड़ीसा द्वारा कार्यान्विति के लिये एक 'पाइलट पावर फ़िशिंग इन दी सी' की योजना मंजूर की है ।

(ख) आशा है कि इस योजना पर लगभग ५७·२५ लाख रुपयों का खर्च आयेगा और इस के अन्तर्गत मछली पकड़ने वाली ३० नौकायें होंगी जोकि नदी के मुहाने से ७ से २५ फैदम तक की गहराई में चलेगी ।

(ग) १९६१-६२ के लिये राज्य योजना के लिये ४·४३ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ पर पुल**

†१८५४. **श्री रामी रेड्डी** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद-करनूल रोड (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७) की मील ६९/२ पर एक पुल बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितना।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां । परन्तु क्या इस कार्य को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा या नहीं, यह राशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

(ख) ९,७२,००० रुपये ।

**उत्तर रेलवे में स्वास्थ्य केन्द्र**

†१८५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के निदेश के अनुसार १९५९-६० और १९६०-६१ में उत्तर रेलवे में कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) उन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) चार ।

(ख) ७,४९,००० रुपये ।

**मुकरियां स्टेशन पर भारिक[1]**

†१८५६. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुकेरियां स्टेशन पर कितने पंजीबद्ध भारिक हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में उन से प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन शिकायतों के कारणों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २ ।

(ख) और (ग). १३-३-१९६१ को समाप्त होने वाले दो वर्षों की कोई शिकायत नहीं आई है ।

**बटाला जंक्शन**

†१८५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में बटाला जंक्शन पर गाड़ी में चढ़ने वालों और उतरने वालों की कितनी संख्या थी और कितने यात्रियों ने वहां केवल गाड़ी बदली थी ;

(ख) क्या इस स्टेशन के प्लेटफार्म पर पानी के लिये कोई नलकूप या नलका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Porters.

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) आने वाले यात्री ४,०६,८४५
जाने वाले यात्री ३,९३,९१३
गाड़ियां बदलने वाले ५९,४३६

(ख) जी हां पानी के नलके हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों को भोजन व्यवस्था सम्बन्धी लाइसेन्स**

†१८५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में उत्तर रेलवे में चाय तथा फलों के स्टालों के लिये लाइसेन्सों के लिये अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया था ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये गये थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ६१ ।

(ख) १५ ।

**मध्य रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल**

†१८५९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री पांगरकर :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६१ को मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में रेलवे सुरक्षा बल के कितने कर्मचारी थे ;

(ख) उन में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे ; और

(ग) १९५९-६० में प्रत्येक डिवीजन में उन के संधारण पर कितना खर्च आया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

| डिवीजन | १-३-६१ को कुल संख्या | उनमें अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या | १९५९-६० में व्यय (१००० रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| हेडक्वार्टर | १६९ | १४ | ७८० |
| सशस्त्र विंग | ९४३ | ११५ | ७२० |
| बम्बई | १८२० | २६६ | २०६१ |
| भुसावल | ९०६ | ७८ | ८७८ |
| नागपुर | ७९० | १६३ | ७१० |
| झांसी | ८५९ | १०१ | १०६३ |
| शोलापुर | ३८५ | ७० | ४०४ |
| सिकन्दराबाद | ७७८ | ९८ | ७९२ |
| कुर्दुवाडी प्रशिक्षण केन्द्र | २३९ | ३९ | २८३ |
| अग्नि बुझाने की सेवा | १७८ | ७ | ४९६ |

†मूल अंग्रेजी में

**उत्तर रेलवे पर पुल**

†१८६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे के पुराने पुलों के पुनर्निर्माण, पक्का करने या मरम्मत करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उस का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). पुलों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत का कार्य उन की आयु के आधार पर नहीं अपितु अवस्था के आधार पर किया जाता है। पुलों को पक्का इस दृष्टि से किया जाता है कि उन पर भारी इंजन बिना किसी रुकावट या भय के चलाये जा सकें। या जब बाढ़ों के कारण पुल खराब हो जाते हैं, उस समय भी पुलों की मरम्मत की जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल ७५ पुलों का पुनर्निर्माण किया गया है या उन्हें पक्का किया गया है। जहां तक मरम्मत का सम्बन्ध है, वह कार्य तो वार्षिक निरीक्षण के परिणामस्वरूप बहुत से पुलों के सम्बन्ध में किया गया है।

**रेल के माल डिब्बों में सामान लादना**

†१८६१. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के जनवरी और फरवरी के महीनों में भारतीय रेलों द्वारा औसतन कितने माल डिब्बों में सामान लादा गया ; और

(ख) ये आंकड़े पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). एक विवरण सलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

**चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें**

१८६२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा-सचिवों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये १९५९-६० में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा-सचिवों को परामर्श, वासस्थान एवं विशेषज्ञ सेवाओं, औषध तथा अन्तरंग उपचार आदि के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सदस्यता प्राप्त है। अतः उन के इलाज पर हुए खर्च का अलग ब्योरा नहीं रखा जाता और न ही यह व्यवहार्य है।

**को-एक्सियल केबल परियोजना**

†१८६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख टेलीफोन ट्रंग मार्गों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए अन्डरग्राउन्ड को-एक्सियल केबल (भूमिगत समाए तार) परियोजना को पूरा करने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगती हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : नई दिल्ली-आगरा-कानपुर-लखनऊ सेक्शनों में यह कार्य पूरा हो गया है। आसनसोल-ससराम सैक्शन में कार्य इस समय हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के कटाव की रोक-थाम**

**१८६४. श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बा जिला (हिमाचल प्रदेश) में किन-किन स्थानों पर वर्ष १९६०–६१ में मिट्टी का कटाव रोकने का काम पूरा किया गया ;

(ख) उस पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) किस प्रकार का काम किया गया ?

**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) चम्बा जिला (हिमाचल प्रदेश) के निम्न स्थानों पर भूमि कटाव को रोकने का काम किया गया और वह समाप्ति पर है :—

(१) भारमौर सब-तहसील (भारमानी गांव के उत्तरी सिरे पर और चम्बा भारमानी सड़क के दोनों तरफ, मील पत्थर नं० ३७–३८ के बीच)

(२) चूराह तहसील (मील पत्थर नं० २१–२२) के बीच और चम्बा भंडाल पी० डब्ल्यू० डी० सड़क के दोनों तरफ)

(३) चम्बा तहसील (१) चम्बा कस्बे के आसपास का क्षेत्र (२) चेंड खंड जलगृह का भाग, गून रारी गांव और सिहुमटा गांव की बेकार भूमियां (३) खालीनाल और छोनाल जलगृह ।

(ख) ३१ जनवरी, १९६१ तक २,२९,८१७ रुपये ।

(ग) वनरोपण और दूसरे इंजिनियरिंग कार्य जैसे रक्षा-बांध, गुली प्लगिंग, निरीक्षण पथों का निर्माण, मालियों की झोंपड़ियां, नदी किनारों का केनालाइजेशन, चारागाह-भूमियों का सुधार, आड बनाना और इन कार्यों की देखभाल ।

**जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में सिंचाई योजनायें**

**१८६५. श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा की उप-तहसील पांगी में सिंचाई के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ख) क्या सिंचाई के प्रयोजन के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

(ख) सिंचाई के लिये सर्वेक्षण का काम जारी है ।

**साग सब्जियों की खपत**

†**१८६६. श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में साग सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त की प्रति व्यक्ति खपत के स्तर से कुछ बढ़ गयी है; और यदि हां, तो कितने प्रतिशत बढ़ी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सरकार का तृतीय पंचवर्षीय योजना में साग सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में साग सब्जियों के उत्पादन के विकास के लिये लगभग ७१.६७ लाख रुपये की लागत की एक योजना सम्मिलित की गयी है। आशा है कि योजना की कार्यान्विति से विभिन्न राज्यों के लगभग ७६,२०० एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में साग सब्जियां पैदा की जा सकेंगी। साग सब्जियां उगाने वालों को विभिन्न प्रकार के कीड़ों और रोगों का मुकाबला करने के लिये कीटाणु नाशक औषधियां, औषधियां छिड़कने वाले यन्त्र, बढ़िया बीज और प्राविधिक सलाह दी जायेगी।

स्वीकृत किस्म के बीजों के बितरण तथा उत्पादन के कार्य को सुकर बनाने के लिये साग सब्जियों के बीजों के प्रमाणीकरण की योजना के अधीन कार्यक्रम के विस्तार का भी विचार है।

## उड़ीसा में मेडिकल कालेज

†१८६७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में एक और मेडिकल कालिज चलाने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के सुझाव को सरकार ने मंजूरी दे दी है; और

(ख) क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिये व्यवस्था करते समय इसके लिये भी कोई राशि आवंटित की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने पहले ही बुर्ला में दूसरा मेडीकल कालेज प्रारम्भ कर दिया है। उस राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में तीसरा कालेज खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की तीसरी योजना भी स्वास्थ्य कार्य दल द्वारा मंजूर कर दी गई है। राज्य सरकार ने तीसरे मेडीकल कालेज के लिये १५ लाख रुपये निर्धारित किये हैं।

## टेलीफोन तथा तार सम्बन्धी सुविधायें

†१८६८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के सीमान्त क्षेत्र में विशेषतया निम्नलिखित स्थानों पर टेलीफोन तथा तार सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं :—

(१) सिंगम
(२) देवदार
(३) भभर
(४) वाव
(५) थरड
(६) सन्तलपुर
(७) वाराही
(८) राधनपुर

---

†मूल अंग्रेजी में

(९) अंजर

(१०) मचाऊ

(११) भीमसोर

(१२) अडेसर ; और

(ख) यदि हां, तो ये सुविधायें देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

**कलकत्ता पत्तन के मेरीन आफिसर**

†१८६९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
**श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता पत्तन के मेरीन आफिसर्स की सेवा-शर्तों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण जिसमें समिति की प्रमुख सिफारिश दी गई संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २७४१/६१]**

(ग) ये सिफारिशें अभी कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों के विचाराधीन हैं ।

**जहाजों की मरम्मत**

†१८७०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री ९ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जहाजों की मरम्मत की संस्थापनाओं के विकास और विस्तार के लिए जहाज की मरम्मत करने वाले शेष सार्थों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख) तीन और सार्थों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं । चार सार्थों के उत्तर अभी आने बाकी हैं । शेष सार्थों से उत्तर प्राप्त हो जाने पर मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## माघ मेला के लिए विशेष रेलगाड़ियां

†१८७१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद के माघ मेले के तीर्थयात्रियों के लिये कितनी विशेष रेलगाड़ियों का प्रबन्ध किया गया था; और

(ख) माघ मेले की अवधि में कितने तीर्थयात्रियों ने रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)**: (क) इलाहाबाद में जनवरी, १९६१ में माघ मेले के सम्बन्ध में यातायात की अतिरिक्त भीड़भाड़ की निकासी के लिय इलाहाबाद को तथा इलाहाबाद से कुल ८८ विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं ।

(ख) जिन से लगभग २,७४,४७५ यात्रियों ने माघ मेले की अवधि में सामान्य रेल सेवाओं और विशेष रेलगाड़ि यों द्वारा यात्रा की थी उनमें से लगभग १,१४,०९० यात्रियों के विशेष रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा किये जाने का अनुमान है ।

## हृदय रोग

१८७२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ अमरीकी डा० विलियम हिबर्ज़िग ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान यह कहा था कि हृदय रोग तम्बाकू पीने से होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी परीक्षा करवाई है और वह जनता को तम्बाकू न पीने का परामर्श देगी ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

## होमियोपैथिक औषधियां

†१८७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार होमियोपैथिक औषधियों, होमियोपैथिक इंजेक्शनों को सम्मिलित करके, के प्रतिमान को नियंत्रित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही किन परिस्थितियों के कारण की जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री(श्री करमरकर)** : (क) भेषज अधिनियम और भेषज नियमों के अन्तर्गत होमियोपैथिक औषधियों पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है यद्यपि भेषज अधिनियम में "भेषज" पद की व्याख्या में होमियोपैथिक भेषज भी आ जाते हैं । ऐसे भेषजों पर भेषज नियमों के अन्तर्गत एकमात्र प्रतिबन्ध यह लगाया गया है कि उन पर 'होमियोपैथिक औषधि' का लेबल लगाया जाना चाहिए । सरकार ने भेषज नियमो के अन्तर्गत होमियोपैथिक इंजेक्शन के नियंत्रण का प्रस्ताव भेषज प्रविधिक मंत्रणा बोर्ड को निर्दिष्ट किया है ।

(ख) इस जांच की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भेषज नियमों, जिनमें यह उपबन्ध है कि होमियोपैथिक औषधियों पर 'होमियोपैथिक औषधि' शब्द अंकित होने चाहिए, के अन्तर्गत दी गई छूट का कुछ पक्षों ने अनुचित लाभ उठाया है । वे 'होमियोपैथिक औषधि' के लेबल के अन्तर्गत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

ऐसे भेषज बेच रहे हैं जो उस प्रणाली में नहीं आते हैं। इससे न केवल उस प्रणाली की बदनामी होती है वरन् सामान्य जनता को भी नुकसान पहुचता है। सरकार की जानकारी में यह बात भी लाई गई है कि होमियोपैथिक इंजेक्शन बिक्रीहेतु बाजार में आ गए हैं। ऐसे होमियोपैथिक इन्जेक्शनों के विक्रय और वितरण की अनुमति देना उस समय तक ठीक नहीं समझा जाता है जब तक कि वे जीवाणुओं से मुक्त और विष-रहित न सिद्ध हो जायें।

**राष्ट्रीय पक्षी**

†१८७४. **श्री संगण्णा :**
**श्री उस्मान अली खाँ :**
**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री कोरटकर :**
**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
**श्री बहादुर सिंह :**
**श्री नेकराम नंगी :**
**श्री अरविन्द घोषाल :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्यपशु बोर्ड ने भारत सरकार को किसी पक्षी को भारत का राष्ट्रीयपक्षी घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). भारतीय वन्य पशु-बोर्ड ने अपनी फरवरी, १९६१ में हुई पिछली बैठक में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण परिषद के मई, १९६० में टोकियो में आयोजित बारहवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रखे गए इस सुझाव पर विचार किया था कि प्रत्येक देश एक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करें। इस सुझाव का उद्देश्य जनसाधारण का ध्यान पक्षियों के महत्व की ओर आकर्षित करना है। कौन से पक्षी को राष्ट्रीय घोषित किया जाए इसके बारे में अनेक सुझाव पेश किए गए थे परन्तु बोर्ड ने अभी तक इस मामले में सरकार से कोई सिफारिश नहीं की है क्योंकि अंतिम सिफारिश करने के पूर्व जनता और राज्य सरकारों के विचार प्राप्त कर लेना वांछनीय समझा गया।

**गुड़गांव जल संभरण योजना**

†१७८५. **श्री सम्पत :**
**श्री सै० अ० मेहदी :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़गांव जल संभरण योजना का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं, योजना का राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है परन्तु पंजाब स्वच्छता बोर्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

ने उसका प्रशासकीय तौर से कुछ १०,३४,४३५ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदन कर दिया है ।

(ख) राज्य सरकार ने योजना के लिए गुड़गांव की नगरपालिका को ७३,५००० रुपए का सहायतार्थ अनुदान मंजूर किया है ।

**क्लिनिक्स तथा नर्सिंग होम्स का विनियमन**

†१८७६. **श्री प्र० गं० देव :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**डा० विजय आनन्द :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने क्लिनिकों और नर्सिंग होमों के विनियमन का प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

**बाघ नदी पर बांध**

†१८७७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भण्डारा जिले की बाघ नदी की कोहेरा स्थित बांध परियोजना का उद्घाटन हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत क्या है ;

(ग) उसमें से केन्द्र कितने का भुगतान करेगा ; और

(घ) बांध की ऊंचाई तथा लम्बाई कितनी होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना की लागत ६०९.७७ लाख रुपए है ।

(ग) इस परियोजना के लिए इस अवस्था में किसी केन्द्रीय सहायता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि परियोजना का अभी तक क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन नहीं किया गया है ।

(घ) यह मिट्टी का बांध जो वेणुगंगा की सहायक बांध नदी पर बनाया जायेगा ३५०० फीट लम्बा होगा तथा उसकी अधिकतम ऊंचाई ७५.३१ फीट होगी ।

**डाक तथा तार विभाग में 'लोअर सलेक्शन ग्रेड'**

†१८७८. **श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८-५९ और १९५९–६० में रेलवे डाक सेवा, टेलीग्राफ यातायात और टेलीग्राफ इंजीनियरिंग शाखाओं में कितने 'अलाउंस' पद ऊंचे करके सर्किल-वार लोअर सेलेक्शन ग्रेड में कर दिए गए हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त पदों में से कितने (१) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रवरण और (२) वरिष्ठता के आधार पर भरे गए थे ;

(ग) कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे गए थे ; और

(घ) उपरोक्त संवर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). टेलीग्राफ यातायात तथा टेलीग्राफ इंजीनियरिंग शाखाओं में एलाउंस के पद (टेलीफोन मानीटरों के पदों को छोड़कर) अभी तक लोअर सिलेक्शन ग्रेड में अपग्रेड नहीं किए गए हैं। डाकघर, रेलवे डाक सेवा और टेलीफोन मानीटरों के संवर्ग में एलाउंस वाले पदों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) डाकघर, रेलवे डाक सेवा और टेलीफोन मानीटरों के संवर्गों के लोअर सिलेक्शन ग्रेड की दो-तिहाई रिक्ततायें और टेलीग्राफ यातायात और टेलीग्राफ इंजीनियरिंग शाखाओं (टेलीग्राफ मानीटरों को छोड़कर) के समस्त पद वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं और डाक घर, रेलवे डाक सेवा और टेलीफोन मानीटरों के संवर्गों की एक तिहाई रिक्ततायें प्रवरण के आधार पर भरी जाती हैं। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अवक्रमण के मामलों का उच्च स्तर पर पुनर्विलोकन किया जाता है और अवक्रमण के प्रत्येक मामले में निर्णय किए जाने के एक महीने के अन्दर मंत्री को प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से प्रवरण के मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

## उड़ीसा में प्राप्त भूमि संरक्षण योजना

†१८७९. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की सरकार ने भूमिसंरक्षण में प्रशिक्षण की अवधि के विस्तार के लिये कोई योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण के लिए कितनी अवधि का प्रस्ताव किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). जी हां, जून १९६० में राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा था कि उनके द्वारा कनिष्ठ भूमि संरक्षण सहायकों (अथवा उप-सहायकों) के लिए संगठित प्रशिक्षण कोर्स की अवधि ६ महीनो से बढ़ाकर ११ महीने कर दी जानी चाहिए।

यह राज्य के भूमिसंरक्षण कार्य के हित में वांछनीय नहीं समझा गया और तदनुसार राज्य सरकार से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। उनसे इस विषय में और कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**कठुआ-माधोपुर रेलवे लाइन**

†१८८०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
**श्री रामकृष्ण गुप्त :**
**श्री वी० चं० शर्मा :**
**शेख मुहम्मद अकबर :**

क्या **रेलवे** मंत्री २२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कठुआ और माधोपुर के बीच रेलवे लाइन बनाने के मामले में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उस रेलवे लाइन को कठुआ से आगे जम्मू तक बढ़ा दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) इस लाइन के निर्णय के लिये प्राक्कलन १७-२-६१ को मंजूर किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा अभी तक अनुमोदित की गई नई लाइनों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

**एन्ड्रॉथ द्वीप में प्रकाश स्तम्भ**

†१८८१. **श्री नल्लाकोया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन्ड्रॉथ द्वीप में प्रस्तावित प्रकाश स्तम्भ का निर्माण किस तारीख तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(ख) उसके कितनी अवधि में पूर्ण हो जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) नवम्बर, दिसम्बर, १९६१ में ।

(ख) एन्ड्रॉथ द्वीप मानसून के दिनों में मुख्य भूमि (मेनलैण्ड) से सर्वथा अलग हो जाता है इसलिए सिविल इजीनियरिंग निर्माण-कार्य वर्ष में केवल लगभग छै महीने तक ही किया जा सकता है । परन्तु अनुमान है कि यदि मौसम की स्थिति सामान्य रही तो वह कार्य अप्रैल, १९६३ तक पूरा किया जा सकेगा ।

**मद्रास को चीनी का संभरण**

†१८८२. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास सरकार से कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त हुई है कि उत्तर भारत की चीनी का कुछ महीनों तक सम्भरण नहीं किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वर्ष १९६० में मद्रास सरकार को उत्तर भारतीय चीनी मिलों से कितनी चीनी (माहवार आंकड़े अपेक्षित हैं) दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) हां श्रीमान्, मद्रास सरकार ने उत्तर भारतीय चीनी मिलों से चीनी का आवण्टन मार्च, १९६१ के अन्त तक रोक देने का अनुरोध किया है ।

(ख) प्रार्थना नोट कर ली गई है और फरवरी तथा मार्च में उत्तर भारतीय चीनी का कोई आवण्टन नहीं किया गया है ।

(ग) १९६० में उत्तर भारतीय चीनी मिलों से मद्रास राज्य को चीनी का आवण्टन निम्न प्रकार किया गया था :

| | | | |
|---|---|---|---|
| जनवरी, १९६० | २००० टन | जुलाई, १९६० | ७००० टन |
| फरवरी, १९६० | २०००टन | अगस्त, १९६० | ५००० टन |
| मार्च, १९६० | २००० टन | सितम्बर, १९६० | ५००० टन |
| अप्रैल, १९६० | ३००० टन | अक्टूबर, १९६० | ६७३३ टन |
| मई, १९६० | ३४८९ टन | नवम्बर, १९६० | ५००० टन |
| जून, १९६० | ५००० टन | दिसम्बर, १९६० | ४१५६ टन |

**मनीपुर में खरमलोक तथा मूंगशानखौंग जल विद्युत् परियोजनायें**

†**१८८३. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की खरम लोक तथा मूंगशानखांग जल-विद्युत योजनाओं के सम्बन्ध में कोई अग्रेतर प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इन योजनाओं के सम्बन्ध में सर्वे और अनुसन्धान कार्य पूरा हो चुका है; और

(ग) उनके कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** :(क) से (ग). खरमलोक परियोजना के सम्बन्ध में अनुसन्धान पूरा हो गया है और योजना आयोग की सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण एवं विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी मन्त्रणा समिति ने उस परियोजना को स्वीकृति दे दी है । निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने की सम्भावना है ।

लुंगशानखांग योजना प्रारम्भिक अनुसन्धान किये जाने पर आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं पाई गई है और उसके क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

**मनीपुर में कृषिकों को उपकरण का संभरण**

†**१८८४. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में १९६०–६१ में टेक्नीकल कोआपरेशन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्ड क्षेत्रों में कृषकों को सामग्री और उपकरण का सम्भरण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनका सम्भरण निशुल्क किया था अथवा भुगतान पर और इस सम्बन्ध में कितना धन खर्च किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख).आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

†मूल अंग्रेजी में

**मनीपुर में टिम्बर ट्रीटिंग प्लाण्ट**

†१८८५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग में चालू किया गया "इमारती लकड़ी 'ट्रीटिंग' कारखाना" वाणिज्यिक पैमाने पर चलाया जाता है ;

(ख) क्या उसकी आय तथा व्यय का पृथक् हिसाब रखा जाता है; और

(ग) कारखाने में कितने व्यक्ति काम में लगे हुए हैं और वर्ष १९६०–६१ में कितना कार्य हुआ ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**मनीपुर में मूल्यांकन समिति**

†१८८६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर प्रशासन द्वारा इसका निर्धारण करने के लिये एक मूल्यांकन समिति स्थापित की गई है कि मनीपुर में सामुदायिक विकास खण्डों की योजना क्रियान्वित की गई है और वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य पूरे हुए हैं अथवा नहीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन पेश किया है अथवा अपना मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ कर दिया है ;

(ग) क्या कोई अन्य अधिकारी भी इस समिति से अलग मूल्यांकन कार्य करने के लिये है; और

(घ) क्या उस अधिकारी का प्रतिवेदन उपलब्ध है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**पुष्प प्रदर्शिनियां**

†१८८७. **श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित भारतीय कृशि गवेषणा संस्था द्वारा वर्ष १९६० में कितनी पुष्प प्रदर्शिनियां आयोजित की गईं ;

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया ; और

(ग) इन पुष्प प्रदर्शिनियों में कितनी गैर सरकारी नर्सरियों ने भाग लिया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने वर्ष १९६० में कोई भी पुष्प प्रदर्शिनी आयोजित नहीं की । परन्तु संस्था के वनस्पति-विज्ञान विभाग के मैदान में दो पुष्प प्रदर्शिनियां हुई थीं जिनमें से एक का आयोजन रोज सोसाइटी आफ इण्डिया और दुसरी का दिल्ली एग्री-हार्टिकल्चरल सोसाइटी ने किया था ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**मनीपुर के लिए कृषि सम्बन्धी ऋण**

†१८८८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ के लिये मनीपुर में कृषि सम्बन्धी मंजूर ऋणों का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लोगों को कितनी राशि दी गई है और किस व्यक्ति को अधिक से अधिक कितनी राशि दी गई है ?

**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** (क) : कृषि सम्बन्धी ऋणों की ६ लाख रुपये की मंजूर राशि में से ४.८६ लाख रुपये फरवरी १९६१ के अन्त तक बांटे गये थे। शेष राशि के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपयोग किये जाने की आशा की जाती है।

(ख) लोगों के समूहो को ४.५५ लाख रुपये और व्यक्तिगत लोगों को ०.३१ लाख रुपये दिये गये हैं। किसी एक व्यक्ति को अधिक से अधिक २००० रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

**मद्रास सर्कल में डाक कर्मचारियों की कमी**

†१८८९. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सर्कल के रेलवे डाक सेवा में तीसरी और चौथी दोनों श्रेणियों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारी बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) त्रिची डिवीजन और मदुरै में वर्तमान कमी क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां। २०७६ में से तीसरी श्रेणी के ८९ पद और १२१४ में से चौथी श्रेणी के १२ पद खाली हैं।

(ख) २२ अभ्यर्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण समाप्ति पर नियुक्त किया जाएगा। ३२ लोगों का एक और वर्ग शीघ्र ही प्रशिक्षण के लिये भेजा जाने वाला है। अधिक अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिये कार्य किया गया है।

(ग)

| | तीसरी श्रेणी | चौथी श्रेणी |
|---|---|---|
| त्रिची डिविजन | सात | कोई नहीं |
| मदुरै उप अभिलेख कार्यालय | चार | कोई नहीं |

**अगरतला नगर का विकास**

†१८९०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की राजधानी वृहत अगरतल्ला नगर की योजना तीसरी पंचवर्षीय यो ना में कार्यान्वित होने वाली है।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो कितने परिवार निकाले जायेंगे तथा पुनः बसाये जायेंगे और ति एकड़ क्या प्रतिकर दिया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) इस समय कोई सही आंकड़े नहीं बताये जा सकते । तथापि वर्तमान संकेतों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या अधिक नहीं होगी । विधि के अनुसार उचित प्रतिकर दिया जायेगा ।

**पंजाब में चेचक**

†१८९१ **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने चेचक को समाप्त करने के लिये केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). भारत सरकार के कहने पर पंजाब सरकार ने शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से गुड़गांव जिला में एक चेचक अग्रिम परियोजना आरम्भ की है । भारत सरकार को सहायता के लिये कोई दूसरी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

**असैनिक उड्डयन विभाग में नियुक्तियां**

†१८९२. { **श्री बहादुर सिंह** :
**श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक उड्डयन विभाग के किन पदों पर नियुक्ति के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री या समान शिक्षा योग्यता अपेक्षित है ;

(ख) क्या यह सच है कि जहां किसी कनिष्ठ पद के लिये विश्वविद्यालय डिग्री या समान शिक्षा योग्यता का आग्रह किया जाता है, वहां कुछ दूसरे कनिष्ठ पदों के लिये यह योग्यता अपेक्षित नहीं होती ; और

(ग) कितने अफसरों के पास यह डिग्री या समान शिक्षा योग्यता नहीं है किन्तु उन्हें १००० रुपये, १५०० पये और १७३० रुपये से अधिक मासिक वेतन दिया जाता है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) असैनिक उड्डयन विभाग के निम्न पदों के लिये ये सीधी भर्ती से भरे जाते हैं विश्वविद्यालय डिग्री या समान शिक्षा योग्यता अनिवार्य होती है :—

**गजटिड पद**

१. डायरेक्टर आफ रैगुलेशन्स एंड इन्फर्मेशन

२. डायरेक्टर आफ ट्रेनिंग एंड लाईसेंसिंग

३. डायरेक्टर आफ रिसर्च एंड डिवेलप्मेंट

४. डिप्टी डायरेक्टर आफ रैगलेशन्स एंड इन्फर्मेशन

५. डिप्टी डायरेक्टर आफ़ रिसर्च एंड डिवेलपमेंट

६. सीनियर साइंटिफिक अफसर

---

†मूल अंग्रेजी में

७. साइंटिफिक अफसर

८. असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऐंड मकैनिकल अफसर

९. टैक्निकल अफसर

१०. असिस्टेंट टेक्निकल अफसर

११. सीनियर एयरक्राफ्ट इन्स्पैक्टर

१२. एयरक्राफ्ट इन्स्पैक्टर

१३. असिस्टेंट एयरक्राफ्ट इन्स्पैक्टर

१४. चीफ इन्जीनियर, सिविल एविएशन ट्रेनिंग अफसर

१५. डिप्टी चीफ़ इंजीनियर, सिविल एविएशन ट्रेनिंग सैंटर

१६. ग्राउंड इंजीनियरिंग इन्स्ट्रक्टर

१७. इंजीनियर इंस्ट्रक्टर

१८. सीनियर इंस्ट्रक्टर नैवीगेशन

१९. स्टोर्स अफसर

२०. मैडिकल अफसर

२१. जूनियर मैडिकल अफसर

२२. इन्स्पैक्टर आफ एक्सीडैंट्स

२३. सीनियर स्टैटिसटिकर अफसर

२४. प्रोजेक्ट अफसर

**नान-गजटिड पद**

१. सीनियर टैक्निकल असिसटेंट

२. जूनियर टैक्निकल असिसटेंट

३. मैथेमैटिकल असिसटेंट

४. लेबारेटरी असिसटेंट

५. लाइब्रेरियन

६. रिसैपशनिस्ट

(ख) सीधी भर्ती द्वारा भरे गये कनिष्ठ गजटिड पदों के लिये, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां पदों से संबद्ध कार्य स्वरूप की दृष्टि से प्रविधिक या अन्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, विश्व-विद्यालय डिग्री या समान शिक्षा योग्यता पर सामान्यतया आग्रह किया जाता है। नान गजटिड पदों के लिये, केवल उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित ६ ग्रेडों को छोड़कर, डिग्री या समान शिक्षा योग्यता पर आग्रह नहीं किया जाता।

(ग) जिन अफसरों के पास विश्वविद्यालय डिग्री या समान शिक्षा योग्यता नहीं है, किन्तु जिन्हें १००० रुपये, १५०० रुपये और १७५० रुपये का मासिक वेतन मिलता है, उन की संख्या क्रमशः ३३, १, और ३ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## उत्तर प्रदेश में तार घर

†१८९३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कई तार घर कुछ दूसरे राज्यों में उस विभाग के मुख्यालय के साथ मिले हुए हैं ;

(ख) क्या इस से इन स्थानों की तार सेवा में अनावश्यक विलंब होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विलंब को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां सीधे और छोटे व्यवहार्य मार्गों पर यातायात के आने जाने को ठीक चलान के लिये ट्रांज़िट सैंटरों तक ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## सहकारी संस्थायें

†१८९४. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में देश में स्थापित किये गये (१) ग्रामीण सहकारी सेवा संस्थाएं, (२) विपणन सहकारी संस्थाएं, और (३) सहकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन तीनों शीर्षों के अन्तर्गत इस के लिये तीसरी योजना का लक्ष्य क्या है ; और

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कितने स्थापित किये गये थे या स्थापित किये जाने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित और स्थापित की जाने वाली संस्थाओं की संख्या नीचे दी जाती है :

| | पहले तीन वर्षों में लक्ष्य पूर्ति १९५६-५९ | १९५९-६० और १९६०-६१ में प्रत्याशित लक्ष्य पूर्ति |
|---|---|---|
| (१) ग्रामीण सहकारी सेवा संस्था | — | ६७४००* |
| (२) विपणन सहकारी संस्था | १०६३ | ८०६ |
| (३) सहकारी बैंक | सब प्रकार के सहकारी बैंकों संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है । योजना में केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने का कोई कार्यक्रम नहीं था । | |
| (ख) (१) ग्रामीण सहकारी सेवा संस्था | | ८०९.३०* |
| (२) प्रारंभिक विपणन सहकारी संस्थाएं | | ५९९ |
| (३) सहकारी बैंक . . | | कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । |

* इस में सहकारी सवा संस्थाओं का नया संगठन एवं वर्तमान संस्थाओं के सहकारी सेवा संस्थाओं के रूप में पुनर्गठन सम्मिलित है ।

†मूल अंग्रेजी में

| | पहले तीन वर्षों में लक्ष्य १९५९-६० और पूर्ति १९५६—५९ | १९६०-६१ में प्रत्याशित लक्ष्य पूर्ति |
|---|---|---|

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जम्मू और काश्मीर राज्य में निम्न संख्या में संस्थाएं स्थापित होने की आशा है :

| | |
|---|---|
| (१) ग्रामीण सहकारी सेवा संस्थाएं | ४५०* |
| (२) विपणन सहकारी संस्थाएं | ४० |
| (३) सहकारी बैंक | वर्तमान केन्द्रीय बैंकों की ८ शाखाएं स्थापित होने की आशा है । |

जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये तीसरी योजना का लक्ष्य है :

| | |
|---|---|
| (१) ग्रामीण सहकारी सेवा संस्थाएं | ४५०* |
| (२) प्रारंभिक विपणन सहकारी संस्थाएं | २४ |
| (३) सहकारी बैंक | सहकारी केन्द्रीय बैंकों की १० शाखाएं खोली जायेंगी । |

यह कार्यक्रम अस्थायी है क्योंकि अन्तिम योजना तैयार नहीं की गई है ।

## गुजरात में मत्स्यपालन

†१८९५. **श्री मो० वं० ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने गुजरात राज्य सरकार को अपने खर्च से मत्स्य-पालन का विकास करने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या यह सच है कि भारत सरकार को मत्स्यपालन के विकास के विरुद्ध गुजरात के कुछ लोगों का विरोध और अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं । गुजरात सरकार अपनी मत्स्यपालन विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिये स्वयं जिम्मेवार है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि मत्स्यपालन का विकास न किया जाए । तथापि उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि देश भर में मत्स्यपालन का विकास करना राष्ट्रीय हित में है ।

*इस में सहकारी सेवा संस्थाओं का नया संगठन एवं वर्तमान संस्थाओं के सहकारी सेवा संस्थाओं के रूप में पुनर्गठन सम्मिलित है ।

†मूल अंग्रेजी में

## पंजाब में कुक्कुटपालन का विकास

†१८९६. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी योजना में कुक्कुटपालन विकास के लिये पंजाब को कोई राशि आवंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि,

(ग) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में कुक्कुटपालन विकास के लिये कोई योजनाएं पेश की हैं ; और

(घ) इस विषय में पंजाब में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) . दूसरी योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय कुक्कुटपालन विकास योजना के लि पंजाब सरकार को ९.१२ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी ।

(ग) योजना के अन्तर्गत लक्ष्य पंजाब सरकार के परामर्श से तैयार किय गये थे ।

(घ) १६ के लक्ष्य में से १४ कुक्कुटपालन विस्तार एवं विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं । दिसम्बर १९६० तक, इन खण्डों मे १.६६७ लाख अंडे पैदा किये गये हैं जिन में से ८७९५७ अंडों का उपयोग चूजे निकालने के लिय किया गया है, अभिजनन कार्य के लिये ८३३२ पक्षियों का वितरण किया गया है, कुक्कुटपालन क्षेत्र का २६३ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और तथा अपने कुक्कुटपालन केन्द्रों को सुधारने के लिये तार के जाल खरीदने के लिये खंडों में ९७ व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति ५० रुपये की सहायता दी गई है ।

## पंजाब में कोढ़ नियंत्रण

†१८९७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना में पंजाब में कोढ़ नियंत्रण के लिये राज्य सरकार को कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) किन योजनाओं के लिये इस राशि का आवंटन किया गया है और किन योजनाओं पर यह खर्च की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५८-५९ वर्ष में पंजाब सरकार ने १.२४३ लाख रुपये की राशि का व्यवस्थापन किया है १९५६-५७ और १९५७-५८ में ऐसी कोई सहायता नहीं दी गई थी । केन्द्रीय सहायता की प्रक्रिया मे १९५९-६० में परिवर्तन आ था । शोधित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सहायता वर्गवार ी जाती है, व्यक्तिगत योजनाओं के लिये नहीं दी जाती । १९५९-६० में 'बीमारियों के नियंत्रण के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य की योजनाओं' वर्ग के लिये ४.८८ लाख रुपये की राशि दी गई थी, जिसमें कोढ़ नियंत्रश की योजना भी शामिल है । वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में ३३ लाख रुपये की राशि, कोढ़ नियंत्रश योजना समेत सब राज्यों की योजनाओं के लिये अस्थायी रूप से आवंटित की गई थी ।

(ख) जैसा कि प्रश्न की कण्डिका (क) के उत्तर में बताया गया है, राशि रीढ़ नियंत्रण समेत बीमारियों के नियंत्रण के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य की योजनाओं के वर्ग के लिये आवंटित की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न बीमारियों के नियंत्रण के लिये जो आवंटन किया जाता है वह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

## हिमाचल प्रदेश में अंगोरा बक सम्बन्धी प्रयोग

१८९८. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में अंगोरा बक सम्बन्धी प्रयोग किये जा रहे हैं और यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है और हिमाचल प्रदेश में अंगोरा बक का भविष्य क्या है; और

(ख) क्या पशमीने वाली भेड़ें पालने और इस बारे में विकास तथा प्रचार के बारे में कोई अनुसन्धान किया जा रहा है, और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):(क) जी हां । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने मोहेर उत्पादन हेतु १-४-१९५८ से ५ साल के वास्ते बकरियों की संतति को विकसित करने के लिये एक अनुसन्धान योजना मंजूर की है । हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी दशा के अन्तर्गत इस योजना का उद्देश्य हिमालय की लम्बे बाल वाली पहाड़ी बकरियों को. आयात किये गये अंगोरा बकों से संकरण करके स्थानीय वातावरण के उपयुक्त अंगोरा बकरियों को उत्पन्न करना है, जिस से स्थानीय पहाड़ी बकरियों की बहादुरी और कद के साथ साथ आयात किये गये अंगोश की मोहेर किस्म का मिश्रण हो जायेगा । १९६० के गर्मियों के महीनों में पहली बार स्थानीय बकरियों की संकर प्रजनन क्रिया की गई और अभी परिणाम की प्रतीक्षा है ।

(ख) जी, नहीं ।

## हिमाचल प्रदेश में पौष्टिक खाद्य-पदार्थों की कमी

१८९९. श्री पद्म देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में मांस, दूध, घी आदि पोष्टिक पदार्थों की अत्याधिक कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि इन वस्तुओं की कमी के कारण वहां तपेदिक बहुत फैल रहा है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिये क्या पग उठा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही हाउस की टेबल पर रख दी जायेगी ।

## स्नोडन अस्पताल, हिमाचल प्रदेश

१९००. श्री पद्म देव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञान है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल स्नोडन में रोगियों के रहने का स्थान बहुत कम है;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि अस्पताल की इमारत पुरानी है, वर्षा में इस की छतें टपकती हैं और इस हिमपात में एक कमरे की छत भी गिर गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार इस अस्पताल के निर्माण में शीघ्रता करेगी जिस की दो मंजिलें तैयार हो चुकी हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### अपर बानगंगा परियोजना, मध्य प्रदेश

१९०१. श्री चांडक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने मध्य प्रदेश में अपर बानगंगा परियोजना का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब आरम्भ होगा और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने अपर बानगंगा परियोजना (मध्य प्रदेश में अपर बान गंगा नामक कोई परियोजना नहीं है ) के समस्त क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान पूर्ण कर लिये हैं, और अब परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्कीमों को सम्मिलित करने के लिये राज्य सरकारें ही उत्तरदायी होती हैं, न कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्कीमों को सम्मिलित करने के लिये अभी कोई फैसला नहीं हुआ है ।

(घ) भाग (ग) को ध्यान में रखते हुए इस का प्रश्न ही नहीं उठता ।

### बाग नदी परियोजना

१९०२. श्री चांडक : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की सरकार ने बाग नदी परियोजना का काम आरम्भ कर दिया है,

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना में डूबने वाली भूमि का अधिक भाग महाराष्ट्र की बजाय मध्य प्रदेश का है जब कि दोनों राज्यों का जलागम क्षेत्र बराबर होगा,

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना की लागत प्रति एकड़ एक हजार रुपये से अधिक होगी,

(घ) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा आपस में तय की गई शर्तों पर संयुक्त रूप से इस परियोजना का निष्पादन किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (ङ). चूंकि इस विषय पर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकारें आपस में पत्र-व्यवहार कर रही हैं और इस लिये परियोजना के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

### पुराने और खराब माल-डिब्बों को पुनः चलाना

†१९०३. श्री कोरटकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय गाड़ी परीक्षक सम्मेलन ने रेलवे बोर्ड के इस प्रस्ताव के विरुद्ध इस आधार पर संकल्प पारित किया है कि पुराने और खराब वैगनों को पुनः चलाया न जाये, क्योंकि इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जायेगा और इन की मरम्मत पर बहुत भारी खर्च होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सम्मेलन के सुझावों को स्वीकार करना चाहती है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) कोई शासकीय सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### सुपारी के वृक्षों की बीमारी

†१९०४. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के क्षेत्रों में विशेषकर नेडाभंगड तालुक में खूब फैली हुई सुपारी वृक्षों की फैलोलीफ बीमारी की विस्तारपूर्वक जांच की गई है;

(ख) क्या यह विषाणु बीमारी है, और यदि हां, तो इस का क्या नाम है;

(ग) एक वृक्ष से सारे वृक्षों पर इस बीमारी के पहुंचने का माध्यम क्या है; और

(घ) यदि इस बीमारी का कोई प्राकृतिक उपाय है, तो क्या है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जांच आरम्भ कर दी गई है ।

(ख) से (ग). अभी इन का निष्कर्ष नहीं निकाला गया ।

### उड़ीसा में सालन्दी परियोजना

†१९०५. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सालन्दी परियोजना के संबंध में बनाई जाने वाली नहरों का कंटूर सर्वेक्षण अब तक पूरा किया जा चुका है;

(ख) क्या भारत सरकार के इंजीनियर और विशेषज्ञ अभी तक सालन्दी परियोजना के स्थान पर जा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है;

(घ) इस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ङ) अब तक काम में कितनी प्रगति की गई है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सूचना प्राप्त की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (ग). जी हां ।

(च) मार्च, १९६१ के अन्त तक ३०.५२ लाख रुपये खर्च होने की आशा है ।

(ङ) बांध के दक्षिने भाग पर अधिक पानी बहन के मार्ग के लिये नीवों की खुदाई का काम आरम्भ कर दिया गया है बांध के स्थान तक अच्छे मौसम में चलने योग्य सड़क बनाई जा रही है। कर्मचारियों के लिये मकान की व्यवस्था करने एवं भाद्रा में कार्यालय स्थापित करने का प्रबन्ध प्रायः पूर्ण किया जा चुका है।

## उड़ीसा में सिंचाई परियोजनायें

†१९०६. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की तीसरी योजना में सम्मिलित सिंचाई की सब मध्यम परियोजनायें कार्यान्विति के लिये अन्तिम सत्र में अनुमोदित की जा चुकी हैं ।

(ख) क्या इन में से किसी परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये १९६१–६२ में उड़ीसा को कोई आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि आवंटित की गई है और किन किन परियोजनाओं के लिये ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उड़ीसा की तीसरी योजना में सिंचाई की मध्यम और बड़ी योजनाओं को शामिल करने के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं के लिये अनुमोदन देने का प्रश्न तीसरी योजना की प्रस्थापनाओं के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के पश्चात् ही उत्पन्न होगा ।

(ख) और (ग). उपरोक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## दिल्ली में गेहूं और चावल के दामों में वृद्धि

†१९०७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गेहूं और चावल के दामों में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जाने का प्रस्ताव है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). दिल्ली में गेहूं और कुछ किस्मों के चावल के दामों में हाल ही में थोड़ी मौसमी वृद्धि हुई है। ऐसी मौसमी वृद्धि रबी की फसल से पूर्व मन्दी की अवधि में साधारणतया हुआ करती है और इसे रोकने के लिये कोई विशिष्ट कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

## उड़ीसा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

†१९०८. श्री बै० च० मलिक : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में वर्ष १९६१ की अगली अप्रैल, सीरीज में कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जायेंगे;

(ख) क्या उन नये खंडों के लिये स्थान का चुनाव कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो जिलेवार उन खंडों के क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब०सू०मूर्त्ति) : (क) अप्रैल, १९६१ में उड़ीसा राज्य को १८ पूर्व विस्तार खंड आवंटित किये जाने हैं। अप्रैल, १९६० में आवंटित १६ पूर्व विस्तार खंड अप्रैल, १९६१ में प्रथम प्रावस्था में परिवर्तन के लिये तैयार हो जायेंगे।

(ख) और (ग). नये खंडों के लिये स्थान का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और आवंटन के अनुरूप इस मंत्रालय को नाम बताये जायेंगे। अतः इस समय यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

## उड़ीसा में टांटीघाई परियोजना

†१९०९. श्री बं० च० भलिक: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि, उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण योजना के अधीन टांटीघाई परियोजना को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितना धन मंजूर किया गया है;

(ग) क्या निर्माण-कार्य आरम्भ करने के लिये ठेकेदार को आदेश दे दिया गया है; और

(घ) क्या परियोजना पर कार्य अगली बाढ़ से पहले पूरा हो जायेगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय ऋण सहायता के लिये अनुमोदन के लिये टांटीघाई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ). जानकारी उपलब्ध नहीं है।

## खाद्य विभाग में राजपत्रित पदाधिकारी

†१९१०. श्री राधा रमण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ में और १९६० में प्रत्येक में खाद्य विभाग में कितने राजपत्रित पदाधिकारियों को उन की अधिवार्षिकी के बाद सेवा में विस्तार किया गया। अथवा दुबारा रोजगार दिया गया;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अराजपत्रित पदाधिकारियों की क्या संख्या है जिन के लिये सेवा में विस्तार करने अथवा पुनः रोजगार दिलाने की सिफारिश नहीं की गयी; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). वर्ष १९५९ और १९६० में खाद्य विभाग में और खाद्य विभाग के अधीन चार प्रादेशिक निदेशालयों में उन राजपत्रित पदाधिकारियों की संख्या क्रमशः ५ और ३ है जिन्हें अधिवार्षिकी के बाद सेवा में विस्तार किया गया या पुनः रोजगार पर लगाया गया।

एक विवरण संलग्न है जिस में प्रत्येक श्रेणी में उन अराजपत्रित पदाधिकारियों की संख्या बताई गई है जो वर्ष १९५९ में और १९६० में अधिवार्षिकी पर पहुंच गये परन्तु जिन्हें दोनों वर्षों में सेवा में विस्तार नहीं किया गया अथवा पुनः रोजगार पर नहीं लगाया गया। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९].

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक मामले में सेवा में विस्तार अथवा पुनर्नियोजन इस मामले के बारे में नियमों और आदेशों के अनुसार और पदाधिकारी की सेवा का रिकार्ड देखते हुए लोक-हित में किया जाता है।

## दिल्ली दूध योजना

†१९११. **श्री अ० म० तारिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूध संभरण योजना के दूध वितरण केन्द्रों में अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है और इस कारण वहां काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). दुध वितरण केन्द्रों का निर्माण अस्थायी होने के कारण उन में शुरू में बिजली नहीं लगाई गई थी। परन्तु उन में रोशनी के लिये लालटेन अथवा मोमबत्तियां दी जा रही हैं। अब यह फैसला किया गया है कि उन में बिजली लगा दी जाये।

## दिल्ली दूध योजना

†१९१२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दू वितरण केन्द्र में खाली बोतल की जमानत के लिये ली गई कीमत उस की वास्तविक कीमत से अधिक होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली दूध ोजना द्वारा दूध की खाली शीशे की बोतलों के लिये वसूल किया गया मूल्य इस के असली मूल्य से कुछ अधिक है। यह कुछ वृद्धि उपरिव्यय को पूरा करने के लिये है ?। परन्तु बोतल की कीमत बोतल वापस करने पर लौटा दी जाती है।

## सड़कों का निर्माण

†१९१३. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अधीन (राज्य-वार) कुल कितने मील लम्बी ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं ; और

(ख) न सड़कों को देश की सड़क योजना में स्थायी रूप से जोड़ने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)**: (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०.]**

(ख) इन सड़कों के संधारण के लिये खंड आयव्ययक में कोई धन उपलब्ध नहीं है। तथापि पंचायती राज की स्थापना से यह आशा की जाती है कि इन सड़कों के संधारण का काम पंचायतें/पंचायत समितियां संभाल लेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

**महारानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा के दौरान विशेष रेल गाड़ियां**

†१६१४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री अ० मु० तारिक :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा के समय कितनी विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की गई थी ;

(ख) इन विशेष रेलगाड़ियों से कितने यात्रियों ने यात्रा की ; और

(ग) महारा ी की रेलवे यात्रा के सम्बन्ध में रेलवे ने कुल कितना व्यय किया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ख़ां)** : (क) और (ख). यह आशा की गई थी कि २१ जनवरी, १६६१ को महारानी के आगमन के अवसर पर पास के स्टेशनों से बहुत से व्यक्ति दिल्ली आयेंगे। दिल्ली आने वाले इन यात्रियों को आने और दौरे के बाद वापस जाने के लिये सुविधायें देने के सम्बन्ध में स्टेशनों से दिल्ली/नई दिल्ली के लिये ७ विशेष गाड़ियां चलाई गईं और ७ ही वापस भेजी गईं। इन विशेष गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की ठीक संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

**दक्षिण रेलवे पर माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना**

†१६१५. **डा० विजय आनन्द** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः मार्च, १६६१ को दक्षिण रेलवे पर १५ रेलवे माल-डिब्बे पटरी से उतर गये ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी, हां। ६ मार्च, १६६१ को लगभग ४–२६ बजे प्रातः जब संख्या २६०७ अप गुड्स दक्षिण रेलवे के मैसूर डिवीज़न के बंगलौर सिटी-अरसीकेरे सैक्शन पर दोड्डबेले–निडघंद स्टेशनों के बीच जा रही थी तो १५ डिब्बे पटरी से उतर गये।

कोई हताहत नहीं हुआ।

दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

---

## स्थगन प्रस्ताव

**सिक्किम और भूटान की सीमा पर चीन की कथित सैनिक तयारी**

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे दो माननीय सदस्य श्री खुशवक्त राय और श्री ब्रजराज सिंह का निम्नलिखित एक स्थगन प्रस्ताव मिला है :—

> "सिक्किम और भूटान सीमाओं के साथ साथ साम्यवादी चीन सैनिक तैयारियां कर रहा है। यह गुप्त बात उन दो चीनी सैनिकों ने बताई है जिन को गत तीन महीनों में भारतीय सैनिकों ने भारतीय प्रदेश के भीतर गिरफ्तार किया था।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

यही प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है ।

†**श्री खुशवक्त राय** (खेड़ी) : मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं । आप को याद होगा कि २२ फरवरी को जब मैं ने यह प्रश्न एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में सभा में उठाया था तो माननीय प्रधान मंत्री ने इस बात को ग़लत बताया था । उन्हों ने उस समय कहा था "जिस बात का संभवतया कोई अस्तित्व ही न हो उस की हमें जानकारी किस प्रकार हो सकती है ।" अब हमारे सैनिकों ने एक चीनी सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है और इस से स्पष्ट हो गया है कि मैं ने उस समय जो कुछ कहा था वह सच था । इस के अतिरिक्त १६ मार्च को इलाहाबाद में हमारे प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया था कि "भारतीय प्रदेश को चीनियों से छुड़ाने के लिये भारत ने सभी कार्यवाहियां कर रखी हैं । हमें हिमालय से नहीं लड़ना है । इस कारण मैं चाहता हूं कि सरकार स के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य दे ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह समाचार 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है । माननीय सदस्य ने बताया कि यह जानकारी दो तथाकथित चीनी भगोड़ों से मिली है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को न तथाकथित चीनी भगोड़ों से यह जानकारी किस प्रकार मिली ।

†**श्री खुशवक्त राय** : यह जानकारी टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुई है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : टाइम्स आफ इंडिया का हम किस प्रकार विश्वास कर सकते हैं । मैं नहीं जानता कि टाइम्स आफ इंडिया को यह समाचार कहां से मिला । इन चीनी सैनिकों से अभी पूछताछ नहीं की गई है । मैं नहीं जानता कि जो जानकारी हम को अभी नहीं मिली वह टाइम्स आफ इंडिया को किस प्रकार मिल गई । संभव है यह तथाकथित भगोड़े भगोड़े न हो कर जासूस हों । हम अफवाहों का विश्वास किस प्रकार कर सकते हैं । हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है । इतना मैं बताना चाहता हूं कि सिक्किम अथवा अन्य किसी भी स्थान पर हम उन का मुकाबला कर सकते हैं । किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिये सिक्किम पूरी तरह सुरक्षित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य यही तो जानना चाहते थे । एक या दो महीने पहले माननीय प्रधान मंत्री ने बताया था कि इस प्रकार के समाचार में कोई सार नहीं है । अब यही बात समाचारपत्र में प्रकाशित हुई है । माननीय सदस्यों को जानकारी समाचारपत्रों से ही मिल सकती है । इसीलिये जब इस प्रकार का समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित होता है तो ठीक ही है कि सभा-नेता सभा में बता कि अभी कुछ नहीं हुआ है और उन चीनी सैनिकों से पूछताछ नहीं की गई है । परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि यदि जानकारी और किसी प्रकार से नहीं मिल सकती है तो समाचारपत्रों के सभी समाचा ों को ठीक माना जाये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : एक सैनिक गिरफ्तार हुआ है ; दो नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभव हो वह जासूस हों । संभव है वह भगौड़े हों । यह गंभीर मामले हैं और सभा को इन के बारे में मालूम होना चाहिये ।

†**श्री खुशवक्त राय** : हम सभी को बड़ा सतर्क रहना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मामला स्पष्ट हो गया है इसलिये मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अपनी अनुमति नहीं देता हूं । सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि वह हमेशा सतर्क रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : चीनी सैनिकों से पूछताछ के बाद क्या सरकार कोई वक्तव्य देगी ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस मामले में सरकार की कठिनाइयों को समझने का मेरा अनुरोध है । यह बड़ा ही नाजुक मामला है । जब किसी व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो वह कोई भी सूचना दे सकता है । हम उस सूचना का कुछ और अर्थ लगा सकते हैं अन्य व्यक्ति कुछ और अर्थ लगा सकते हैं । यदि हम उस सूचना को ज़ाहिर करते हैं तो यह बड़ा ही खतरनाक खिलवाड़ होगा । सीमा संबंधी मामलों में सरकार का विश्वास किया जाना चाहिये । मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का यह इरादा नहीं है कि सभा से कोई बात छिपाई जाये । परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रकार के मामलों की सार्वजनिक चर्चा करना ठीक नहीं होगा ।

†**श्री त्यागी** : सार्वजनिक चर्चा की किस ने मांग की है ।

यह समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हो ुका है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समाचार का खण्डन करेगी जिस से जनता के मन में जो आशंका उत्पन्न हो गई है वह दूर हो जाये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं उस का खण्डन पहले ही कर चुका हूं ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### दण्डकारण्य में शरणार्थियों का पुनर्वास

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "दण्डकारण्य के कृषि योग्य बनाये जाने वाले क्षेत्र में बसने के लिए पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों का पर्याप्त उत्साह न दिखाना ।"

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : श्रीमान्, दण्डकारण्य योजना विशेषतया इसलिये आरम्भ की गई थी कि जिससे पश्चिमी बंगाल के शिविरों में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित कराया जा सके तथा इस क्षेत्र में रहने वाले आदिमजाति के व्यक्तियों का कल्याण किया जा सके ।

भारत सरकार ने दण्डकारण्य क्षेत्र के विकास पर १५.४३ करोड़ रुपया व्यय करने की स्वीकृति दी थी । मार्च १९६१ तक अनुमानित व्यय लगभग १०.५४ करोड़ रुपये हुआ था । ४.७८ करोड़ रुपये की लागत की मशीनें तथा यन्त्र खरीदे गये थे । इसमें २.६८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय हुई थी । आगामी वित्तीय वर्ष (१९६१–६२) की योजनाओं के लिये ७.०० करोड़ रुपये का आय-व्ययक में उपबन्ध किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

योजना के अधीन सबसे पहले पश्चिमी बंगाल के शिविरों से १७० परिवार १९५९ मार्च में पहुंचे थे। फरवरी, १९६१ के अन्त तक पश्चिमी बंगाल के शिविरों से २०२३ परिवार वहां पहुंच गये हैं। इनमें से १४९८ परिवार मार्च १९६० तक जा चुके थे। अप्रैल तथा सितम्बर के बीच ६६ परिवार गये थे। अक्तूबर, १९६० से फरवरी १९६१ के पांच महीनों में ४५९ परिवार वहां गये। इन आंकड़ों से पता लग जाता है कि बड़ी धीमी गति से परिवार वहां जा रहे थे।

अचानक ही मार्च १९६० में पश्चिम बंगाल व शिविरों से परिवार दण्डकारण्य में जाने कम हो गये जबकि इससे पहले बड़ी संख्या में जा रहे थे। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसका पुनः मूल्यांकन करने का विचार किया था कि इन परिवारों को दण्डकारण्य किस प्रकार भेजा जाये तथा जब तक इनको भूमि नहीं मिल जाती तब तक क्या रोजगार दिया जाये। तभी से अर्थात् अप्रैल १९६० से इन परिवारों का वहां जाना बन्द हो गया। पश्चिम बंगाल विधान सभा में भी इस पर बड़ी चर्चा हुई है।

अप्रैल से जून १९६० तक स्थिति पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : वक्तव्य कितना लम्बा है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: पांच पृष्ठ का है। मैं इसको सभा पटल पर रख सकता हूं और सारांश भी बता सकता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]**

जब इस विषय पर पश्चिमी बंगाल विधान-सभा में बातचीत चली तब मुख्य मन्त्री ने वहां एक वक्तव्य भी दिया था और मैंने उन्हें निमन्त्रण दिया था कि वह दण्डकारण्य जाकर सब चीजें खुद अपनी आंखों से देख लें। वह वहां गये और विधान-सभा के अनेक सदस्यों को भी हमने निमन्त्रण दिया। पश्चिमी बंगाल के अनेक सम्पादक भी वहां पहुंचे थे। उन सब से एकमत होकर यह कहा था कि यह परियोजना व्यावहारिक है और इसमें पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को आसानी से बसाया जा सकता है।

कुछ मांगें भी की गयी जैसे यह कि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा की राज्य सरकारों के समान ही बंगाल सरकार को परियोजना के काम में शामिल किया जाय। और यह भी कहा गया कि इस प्राधिकार को काफी स्वायत्तता दी जाय। इन सब मांगों को मान लिया गया था।

उसके बाद भारत के प्रधान मन्त्री और बंगाल के मुख्य मन्त्री की बैठक हुई और उसमें कुछ निर्णय भी किये गये। उस समय प्रश्न उठा कि क्या वही तरीका कि जो अपनी इच्छा से जाना चाहे, जारी रखा जाय क्योंकि इससे सफलता नहीं मिली थी या फिर नोटिस जारी किये जायं। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री की राय थी कि अभी इच्छा से जाने के तरीके को जारी रखा जाय।

उसके बाद सितम्बर, १९६० में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री फिर मिले और फिर इसी प्रश्न पर विचार हुआ। फिर यही सुझाव आया कि पहला तरीका जारी रखा जाय। उससे कुछ न हुआ। तब हमने पश्चिमी बंगाल सरकार को सलाह दी कि वह दण्डकारण्य सप्ताह मनायें और कैम्पों में रहने वाले विस्थापितों को बतायें कि वहां उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। यह भी किया गया। इसके बावजूद भी ज्यादा सफलता न मिली।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके बाद मैंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री से बातचीत की और यह फैसला किया कि नोटिस जारी कर दिये जायं ।

एक महीना पहले वहां के अध्यक्ष ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री को लिखा कि पूरे वर्ष में वहां पर केवल ५०० विस्थापित परिवार आए हैं जब कि उन्हें तुरन्त २००० परिवार चाहिये थे । उन्होंने यह भी लिखा कि विस्थापितों का आगमन जारी रहना चाहिये । मैंने भी बंगाल के मुख्य मन्त्री को चिट्ठी लिखी और उन्होंने हाल ही में जबाब दिया कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं किन्तु कैम्पोंमें बैठे विस्थापित दण्डकारण्य जाने का विरोध करते हैं और कोई नहीं कह सकता कि उनमें से कितने दण्डकारण्य जायेंगे ।

हम अब तक १० करोड़ रुपया खर्च चुके हैं । १९६१-६२ के लिये भी हम ७ करोड़ रुपया रख रहे हैं । इसके आलावा भारत सरकार बंगाल के कैम्पों पर भी ४८ करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है । ऐसी हालत को ज्यादा देर चलने नहीं दिया जा सकता । सारा खर्चा भारत सरकार ही कर रही है । मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने भूमि दी है । इस कारण विस्थापितों को वहां जाकर रहना चाहिये । यदि वह नहीं जाना चाहते तो हम इन कैम्पों को ज्यादा देर चालू नहीं रख सकते ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे पास समय नहीं अतः औचित्य प्रश्न का सवाल पैदा नहीं होता । माननीय सदस्य अपनी शंकाओं को पुनर्वास मन्त्रालय की मांगों के समय उठा सकते हैं ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**लेखा-परीक्षित लेखे और विनियोग लेखे—**

**डाक व तार तथा रेलवे**

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल रखता हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५९-६० और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९६१ की एक प्रति ;

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७४२/६१]**

(२) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन रेलवे १९६१;

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७४३/६१]**

(३) वर्ष १९५९-६० के लिए विनियोग लेखे रेलवे, भाग १—समीक्षा ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७४४/६१जी]**

(४) वर्ष १९५९-६० के लिये विनियोग लेखे रेलवे भाग २ विनियोग लेखे का ब्यौरा ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७४५/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

(५) खण्ड लेखे (पूंजी के विवरणों सहित जिनमें ऋण लेखे भी शामिल हैं) संतुलन पत्र और लाभ हानि का लेखा, रेलवे, १९५९-६०

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या २७४६/६१]**

**नीवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन**

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत नीवैली लिग्नाइट निगम लिमिटेडके वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।;

(२) उपर्युक्त निगम के काम पर सरकार की समीक्षा की एक प्रति ;

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७४७/६१]**

†**श्री खशवक्त राय** (खेरी) : यह प्रतिवेदन राज्य सभा में कल रखा गया था । क्या यह सम्भव नही कि लोक-सभा में भी साथ ही रखा जाता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें ज्यादा अन्तर नहीं समझना चाहिये ।

**ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड और वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन**

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० पे० सुब्बारायन)** : मैं समवाय अधिनियम की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अधीन निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) पूर्वी नौवहन निगम लिमिटेड का वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां;

(२) पश्चिमी नौवहन निगम लिमिटेड का वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणिचां;

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ए० एल टी० २७३८/६१]**

**समद्र सीमा शल्क और केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम के अधीन अधि सूचनायें**

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)** : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा ४ के अधीन निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :

(क) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २५०;

(ख) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २५१;

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क और केन्द्रीच उत्पादन शुल्क

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २५३;

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७४८/६१]**

**अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें**

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १५ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२६ की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७३९/६१]**

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ७ जुलाई, १९५६ के एस० आर० ओ० संख्या १५५४ और १५५५ को रद्द करने वाली दिनांक ४ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २६७ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७५१/६१]**

(२) कृषि उत्पाद (विकास और भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २६९ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७५२/६१]**

---

## राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है :—

(१) राज्य-सभा को, उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक, १९६१, जो लोक सभा द्वारा ६ मार्च, १९६१ को पारित किया गया था, के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी ;

(२) राज्य सभा को, उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१, जो लोक-सभा द्वारा १४ मार्च, १९६१ को पारित किया गया था के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी ।

---

## तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में शुद्धि

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १६ फरवरी, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में मैंने कहा था कि हमने पहले पहल राज्य सरकारों को ६ की अदायगी के बारे में लिखा है और हम उनकी राय की प्रतीक्षा कर रहे हैं । परन्तु सही चीज यह है कि अभी इस प्रश्न पर विचार किया ही जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

श्री चन्द्रशेखर के इस प्रश्न पर कि क्या आयुर्वेद के विद्यार्थियों को विदेशी विद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है, मैंने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में हमें जो जैसी सुविधाएं देता है वैसी ही हम उसे देते हैं। किन्तु यह व्यवस्था आयुर्वेद के बारे में नहीं है।

सदन की असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

---

## सभा का कार्य

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान मैं यह बताना चाहता हूं कि अगले सप्ताह निम्न मन्त्रालयों के अनुदानों की मांगो पर विचार किया जायगा :—

(१) शिक्षा मन्त्रालय

(२) स्वास्थ्य मन्त्रालय

(३) वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय

(४) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

(५) विधि मन्त्रालय

(६) गृह-कार्य मन्त्रालय

(७) निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय।

---

## सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

†अध्यक्ष महोदय : अब श्री तिवारी अपना भाषण जारी रखें।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि प्रजातन्त्री राज्य में प्रजा हित के लिए, प्रजा की उन्नति के लिए यदि कुछ टैक्स लगाये जाते हैं, तो उस पर कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता है। वित्त मन्त्री जी ने ये टैक्स इसलिये लगाये हैं ताकि जो घाटा था उसको पूरा किया जा सके। आय का जो अनुमान लगाया गया था वह ९६२.९२ करोड़ था और जो खर्च का अनुमान लगाया गया था वह १०२३.५२ करोड़ था और इस प्रकार से घाटा ६०.६० करोड़ का रह जाता था। वित्त मन्त्री महोदय ने ६० करोड़ ८७ लाख के नए टैक्स लगाये हैं और इसके फलस्वरूप २७ लाख रुपये की बचत का अनुमान किया गया है।

इन टैक्सों में कुछ ऐसे टैक्स हैं जो लगने ही चाहियें थे उदाहरणार्थ एक लाख के ऊपर पांच प्रतिशत के हिसाब से जो टैक्स लगता था उसको बढ़ा कर दस रुपया प्रतिशत कर दिया गया है। इसका असर केवल उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जिन की आमदनी एक लाख से अधिक है। मैं इस टैक्स को उचित मानता हूं।

हमारे कुछ साथियों ने राजा-महाराजाओं का, उनके प्रिवी पर्सिस का जिक्र किया है कि उसको जब्त कर लिया जाना चाहिये। मैं इसको नहीं मानता हूं। राजाओं ने अपने शासन को जो छोड़ा है, अपनी गद्दी को जो छोड़ा है, उसमें बहुत त्याग का परिचय दिया है। उनके साथ इसी कांग्रेस सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

ने एक समझौता किया था और उस समझौते के आधार पर ही उनको प्रिवी पर्स दिया जाता है। अब यह जरूरी नहीं है कि उनसे मजदुरी कराई जाए या उनका प्रिवी पर्स उनसे छीना जाए। इसको मैं अनुचित समझता हूं।

हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने कुछ टैक्स लगाये हैं जिनका असर आम जनता पर पड़ता है जैसे सुपारी है, तेल है, दियासलाई है, कपड़ा है, ताम्बा है, पीतल है। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका बोझ छोटे से छोटे आदमी पर भी पड़ता है। मैंने पहली तारीख को एक बोतल तेल मंगाया। इसके लिये पहले मुझे साढ़े चार आने देने होते थे लेकिन अब पांच आने देने पड़े। एक दिन में ही भाव बढ़ गया। हमारी शिकायत यह नहीं है कि टैक्स न लगें, लेकिन टैक्सों को वसूल करने का जो ढंग है वह बिल्कुल ही गलत है। इस गलत ढंग का नतीजा यह होता है कि सरकार को तो आमदनी हो नहीं पाती है, बीच वाले जो होते हैं, जो दलाल लोग होते हैं वे आमदनी कर जाते हैं और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि टैक्स लगाने की जो प्रणाली है, इसको बदला जाए और जिन चीज़ों पर टैक्स लगाये जायें वे वहां लगाये जायें जहां उन चीज़ों का उत्पादन होता है। उसके बाद वह चीज़ सारे देश में जाए बिकने के लिए, तो कोई भी टैक्सों का विरोध नहीं करेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि टैक्सों की वसूली करने के लिए जो इंसपैक्टर जाते हैं, या दूसरे लोग जाते हैं, वे लोगों को बहुत परेशान करते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे दूकानदारों को, परेशान करते हैं। यह भी देखने में आया है कि परेशानी के साथ साथ टैक्स का रुपया भी सरकार को पूरा नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स वसूल करने का जो ढंग है, जो तरीका है, इसको आप बदलें। जिस तरह से आपने कपड़े पर टैक्स लगाया है और वह टैक्स जहां कपड़े का उत्पादन होता है, वहीं लग जाता है और फिर बाजार में टैक्स लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है, उसी तरह से आप दूसरी चीजों के बारे में भी कर सकते हैं। अगर टैक्सों की गतिविधि को ठीक कर दिया जाए, तो जो टैक्स आपने लगाये हैं, उनका इतना अधिक विरोध नहीं हो सकेगा।

दियासलाई आदि के बारे में हमारे वित्त मन्त्री जी ने राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए कहा है कि दियासलाई पर इसलिये टैक्स नहीं लगाया गया है कि गरीब आदमी पर बोझ पड़े बल्कि इसलिए लगाया गया है ताकि इस उद्योग की उन्नति हो सके। लेकिन मुझे आपके सामने तीन चार बातें कहनी हैं और मैं आशा करता हूं कि उनकी ओर ध्यान दिया जाएगा।

पहली बात मुझे कृषि के बारे में कहनी है। अगर आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो आपको कोई ऐसा नियम बनाना होगा जिससे कि काश्तकार को, किसान को, जो तकावी दी जाती है, या जो बीज दिया जाता है. या अन्य दूसरी चीज़ें दी जाती हैं, वे बिना किसी रुकावट के और समय पर उनको मिल जाया करें। आज ऐसा नहीं होता है। आज इस काम के लिए किसानों को तहसीलों में, सरकारी अफसरों के पास तथा दूसरी जगहों पर कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और अपना समय बरबाद करना पड़ता है। यह सब समय उनका बेकार जाता है। अगर उनको समय पर और बिना दिक्कत के ये सब सुविधायें प्राप्त हो जायें तो उनका यह समय बच सकता है। दर दर उनको भटकना पड़ता है, तब कहीं जाकर सुनवाई होती है। ऐसी हालत में खेती की कैसे तरक्की हो सकती है। मैं चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें।

[श्री रा० स० तिवारी]

इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि आप एक ऐसा कायदा कानून बनायें ताकि उनके काम-काज में कोई रुकावट न पड़े, बाधा न पड़े। मैं समझता हूं कि खेती की उन्नति में ये जो सोसाइटीज़ हैं, ये जो ग्राम पंचायतें हैं, ये ज्यादा सहायक साबित हो सकती हैं। इसलिये जब तक ग्राम पंचायतों और सोसाइटीज़ को आप नहीं बनाते हैं तब तक कृषि का उत्पादन यथेष्ट मात्रा में नहीं बढ़ सकता है और न ही कृषक का भला हो सकता है।

उद्योगों के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। उद्योगों को आपने इतना बढ़ावा दिया है कि पिछले दस सालों में ६६ फीसदी उत्पादन बढ़ गया है। एग्रीकल्चर का भी पिछले दस सालों में ३३ फीसदी बढ़ा है लेकिन उसमें फसलें बेकार हो जाने की वजह से घटा बढ़ी हो जाती है।

अब मुझे सीमा के बारे में कुछ कहना है। सीमा के बारे में भी अभी अभी आपके सामने एक काम-रोको प्रस्ताव आया था। देखा जाता है कि हफ्ते में, या दो हफ्तों में सीमा पर कुछ न कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घट जाती हैं। इन हमलों के कारण एक मील दो मील, दस गज़, पचास गज़ हमारी भूमि दबती चली जा रही है। अगर हम शान्ति और अहिंसा के सिद्धान्तों पर ही जमे रहे तो और भी भूमि हमारी दबती चली जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें और उचित कदम उठायें। मैं आपका ध्यान अंग्रेजों की जो पालिसी थी, उस ओर दिलाना चाहता हूं। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन जमा लिया था तो पांच छः सौ जो रियासतें थीं उनको दबाये रखने के लिए उन्होंने सौ सौ मील के एरिया में फौज और पालिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिये थे। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप देश की सीमा को एक सीमा प्रान्त बना दें और उस सीमा प्रान्त में अपनी फौजें रख दें। दस दस या पन्द्रह, पन्द्रह मील के फासले पर अपने एजेन्टों को मुकर्रर कर दें। जिस तरह से ब्रिटिश सरकार के जमाने में पोलिटिकल एजेन्ट्स हुआ करते थे और उनके ऊपर ए० जी० जी० हुआ करते थे उसी प्रकार से आप अपनी फौज के अंग बना कर एजेन्ट्स के रूप में वहां पर बिठला दें तो मैं समझता हूं कि दूसरों के आगे बढ़ने की कोशिश को हम रोक सकेंगे। मेरा निवेदन यह है कि सीमा की रक्षा का अविलम्ब प्रयत्न किया जाय। आप ने सीमा के बारे में १६.२० करोड़ रु० रक्खा है जो कि फौज के अधिक खर्च में काम आयेगा। अगर यह नाकाफी है तो मैं समझता हूं ज्यादा रुपया रखने पर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। आप हाई वेज़ के लिये रुपया रख रहे हैं। मैं कहता हूं कि वह सब आप बन्द कर दें केवल एक सीधी रोड आसाम से काश्मीर तक बनायें। इसके लिये आप ने ७ करोड़ रु० रक्खा है। मैं तो समझता हूं कि अगर आप और भी ज्यादा रुपया रक्खें जिसमें एक सीधी सड़क आसाम से काश्मीर तक बन जाय ताकि लोग आसानी से बेरोक टोक आ जा सकें और सीमा की रक्षा कर सकें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

चौथी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आप यहां के पिछड़े हुए इलाकों की ओर ध्यान दें। आप को मालूम है कि वास्तव में पिछड़े इलाके वे हैं जोकि पहले छोटी छोटी रियासतें थे और अब वे प्रदेशों में मिल कर उन के हिस्से बन गये हैं। लेकिन वे प्रदेश के साथ तरक्की नहीं कर रहे हैं। इसलिये उन को प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बस्निबत कुछ ज्यादा फेसिलिटीज़ मिलनी चाहियें। अगर इस के लिये आप यहां से रुपया दें तो पिछड़े हुए प्रदेश पूरी तरह से उन्नति कर सकते हैं। मैं ने आप के सामने इन्हीं चार बातों की ओर विशेष कर ध्यान आकर्षित किया है और मैं समझता हूं कि आप इन की ओर ध्यान देंगे।

**श्री बैं० ना० कुरील** (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी का बजट जो सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है उस के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है। यह

†मूल अंग्रेज़ी में

बजट हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना की इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी सरकार इन योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करती चली जा रही है देश के निर्माण के लिये, देश के उत्थान के लिये । यह बजट इस बात की भी पुष्टि करता है कि देश का जो आर्थिक ढांचा है उस का निर्माण सुनिश्चित योजनाओं के आधार पर स्थायी रूप से किया जा रहा है । देश के उत्थान के लिये, उस के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिये सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग २३ अरब रु० खर्च किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उस का लगभग दूना अर्थात् ४८ अरब रुपया खर्च किया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग ८० करोड़ रुपया खर्च करने की बात है । देश के विकास के लिये इतनी धनराशि का जुटाना, देश के अन्दर से और बाहर से, एक सराहनीय और बड़ा काम है । वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट रक्खा है उस में इस की काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

आज विकास के युग में, निर्माण के युग में जो अरबों रुपया खर्च हो रहा है देश का स्तर ऊंचा उठाने के लिये, उस के सम्बन्ध में इस देश की गरीब जनता महसूस करती है कि उन योजनाओं को लागू करने में, जिन का लाभ सभी गरीब जनता को होने वाला है, पिछड़े वर्ग के लोगों को बढ़ने का मौका मिलने वाला है, हरिजनों का उत्थान होने वाला है, देरी कर रही है और ढिलाई हो रही है । यह कहना भी कि टाल मटोल हो रही है अनुपयुक्त नहीं होगा । आज भूमि नियंत्रण योजना या सीलिंग लगाने की योजना है । आप इस प्रश्न को ही लिजिये । सरकार ने कई बार निश्चय किया कि जिन लोगों के पास गांवों में अधिक जमीनें हैं, जो स्वयं खेती नहीं करते और न उन के परिवारों में कोई खेती करता है, लेकिन जो भूमिहीनों, हरिजनों और गरीबों का शोषण करते हैं, उन की जमीनें नियंत्रित करेगी क्योंकि इस तरह से पैदावार नहीं बढ़ पाती जोकि आज हिन्दुस्तान की सब से बड़ी समस्या है और उस में कठिनाई पड़ती है । ऐसे लोगों की जमीनों पर नियंत्रण लगाने का निश्चय सरकार ने किया, सीलिंग लगाने का निश्चय किया, परन्तु इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और उस में देरी हो रही है । देरी होने से जो उद्देश्य था कि इस प्रकार की फालतू जमीनों को ले कर हरिजनों और भूमिहीनों को दिया जायेगा, वह उद्देश्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि जिन लोगों के पास अधिक जमीनें हैं वे उन को बेचे डाल रहे हैं या अपने सगे सम्बन्धियों के नाम दर्ज करा रहे हैं । इस तरह से जो इन लोगों में ढाढ़स बंधा था, सन्तोष हुआ था, जिन हरिजनों को अभी तक कोई लाभ नहीं पहुंचा था उन में भी असन्तोष फैलने लगा है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आप की मद्य निषेध योजना है वह भी इसी प्रकार की योजना है जिस का सीधा सम्बन्ध गरीब जनता से है और जिस का लाभ करोड़ों मजदूरों और हरिजनों के बाल बच्चों को मिलने वाला है । उस योजना के लागू होने के बाद उस में बहुत ढिलाई हो रही है । कभी कभी कहा जाता है कि उससे कुछ लाभ नहीं हुआ । आज जहां जहां मद्य निषेध योजना लागू है भी वहां ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि वह फेल हो गई है । मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत बात है । योजना सफल है, मगर कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं । उन में से, मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाय, कुछ तो हमारे बड़े बड़े अफसर हैं जिन को जरूरत से ज्यादा तन्ख्वाहें मिलती हैं और वे नशे का शौक करते हैं और कुछ व्यापारी लोग हैं जो नशे की चीजों का व्यापार करते हैं और उस से अन्धाधुन्ध नफा उठाते हैं । वे लोग हिन्दुस्तान में इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं कि इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा है । मेरे जिले रायबरेली में यह मद्य निषेध योजना लागू है और मैं जानता हूं कि वहां के लोगों को फायदा हुआ है । वहां की म्युनिसिपैलिटी में जो मेहतर भाई नौकरी करते थे, वे वहां की दुकानों से उधार ताड़ी पिया करते थे और जिस दिन तन्ख्वाह मिलती थी, उस दिन सारी की सारी तन्ख्वाह गेट पर दूकानदार ले लिया करते थे । लेकिन आज वह हालत नहीं है । जो हमारे हरिजन लोग हैं, पिछड़ी जाति

[श्री बै० ना० कुरील]

के लोग हैं, वे शादी विवाहों में होड़ लगाया करते थे कि कौन अधिक शराब देता है। जो अधिक शराब खर्च करता था वह बड़ा समझा जाता था। अब इन सब चीजों से फुर्सत मिली, उन के बाल बच्चों को राहत मिली। इसलिये यह योजना ऐसी है जिस का सीधा सम्बन्ध जनता से है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह ऐसे लोगों से जो इस के खिलाफ वातावरण पैदा कर रहे हैं सतर्क रहे और इस योजना को तुरन्त सब जगह लागू करे।

इसी प्रकार से आज हमारी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रश्न है। हम ने अपने संविधान के द्वारा देश के सामने वादा किया है कि हम गरीब जनता के, साधारण जनता के और उन के बाल बच्चों के पढ़ने का इन्तजाम करेंगे, निःशुल्क शिक्षा का इन्तजाम करेंगे। परन्तु इस देश में अनिवार्य शिक्षा तो दूर रही, निःशुल्क शिक्षा का भी प्रबन्ध अच्छी तरह से नहीं हुआ है। यह जो योजना है उस की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। आज देश के लोग सोच रहे हैं कि जहां से हम अरबों रुपया योजना के ऊपर खर्च कर रहे हैं उस में से ही क्या शिक्षा की दिशा में राहत नहीं दे सकते देश की साधारण जनता को। अगर आज ऐसा नहीं होता तो फिर कब समय आयेगा। जब हम शिक्षा की ओर कदम बढ़ायेंगे और साधारण जनता के बच्चों को शिक्षा देंगे, और उन को ऊंचे उठने का मौका देंगे ? आज हमारा उद्देश्य है कि हम सब को समानता का अधिकार देंगे, सब को समान अवसर देने और उन्नति करने का मौका देंगे। यह योजना भी ऐसी है जिस के बारे में हमारी मांग है कि उस के ऊपर ध्यान दिया जाय और विचार किया जाय।

इसी तरह से आप की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे सफल हों। लेकिन गांवों में कहीं कहीं अभी भी जो हमारी मूल आवश्यकता की चीजें हैं वे उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जैसे पीने का पानी। किसी किसी गांव में अभी तक पीने का पानी नहीं मिल पाया है और रहने का स्थान नहीं है। लोग घर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन को घर बनाने के लिये जगह नहीं है। इन चीजों की तरफ भी ध्यान दिया जाय। सरकार के पास मैशिनरी तो है ब्लाकडेवलपमेंट की। उन से सर्वे कराया जाय कि किन गांवों में अभी तक कुवें नहीं हो पाये हैं और कहां पानी की आवश्यकता है और किन गांवों में ऐसे लोग हैं जो घर बनाना चाहते हैं। उन को घर बनाने का स्थान देना चाहिये।

मैं वित्त मंत्री जी से सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाउस में भी और बाहर भी इस प्रकार की धारणा बन चुकी है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और धनी अधिक धनी होता जा रहा है। मैं इस का उत्तर चाहता हूं। या तो यह गलत है तो इसका तर्क वह बतावें। और यदि यह सही तो यह बतावें कि सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं कि धनी अधिक धनी न हों और जो गरीब हैं वे अधिक गरीब न होने पायें बल्कि धनी हों।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। कल या परसों श्री रामेश्वर टांटिया ने कहा था कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गोवध होता है। राजस्थान की तो मैं नहीं जानता लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस के विरुद्ध कानून बनाया है जिस का नाम है एंटी काऊ स्लाटर ऐक्ट। इस के अन्तर्गत इस काम को जुर्म करार दिया गया है और उस के लिये सजा दी जाती है।

यही कुछ मामूली बातें हैं जिन को मैं आप के सामने रखना चाहता था। गांवों में जो आप के टैक्स का सीधा असर पड़ा है वह मैं समझता हूं कि मिट्टी के तेल का पड़ा है। और लोगों ने भी इस के बारे में कहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सब से पहले मैं विदेशी सहयोग के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं । श्री जॉसेलीन हैनेसी ने कलकत्ता के स्टेट्समैन में लेख लिखते हुए लिखा है कि ७७ सहयोगी संस्थानों में से ३ विदेशी फर्मों को भारत में ५० से ९९ प्रतिशत तक की पूंजी का सहयोग देने के लिये आज्ञा मिली है । इस से प्रकट है कि भारत सरकार विदेशी सहयोग को स्वतंत्रता से बढ़ावा दे रही है । इस के अलावा यह भी पता चला है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने दुर्गापुर में एक उर्वरक कारखाना लगाने का निश्चय किया है जिस के ५१ प्रतिशत अंश अमरीकियों के पास होंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र की अनुमति ले ली है ।

तेल की खोज में भी पहले सरकार का यह कहना था कि हम गैर-सरकारी फर्मों को इस काम में शामिल नही करेंगे परन्तु अब धीरे धीरे सरकार अपने आधार से हटती जा रही है । इसी तरह यहां पर एक विनियोजन केन्द्र बना है । हम पहले भी सरकार को उन खतरों से सावधान कर चुके हैं और अब भी करते हैं ।

दूसरी चीज अनाज के बारे में है । वित्त उपमंत्री ने बताया कि १९५०–५१ की तुलना में अनाज के उत्पादन में ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वस्तुतः १९५०–५१ में फसलों को नुकसान पहुंचा था इस कारण पैदावार अच्छी नहीं हुई थी । उससे पहले बड़ी पैदावार हुई थी । यदि हम आज की पैदावार की तुलना १९४९ की पैदावार से करें तो वृद्धि ४० प्रतिशत से कम ही ठहरेगी । तीसरी योजना में हमें पूरा अनाज पैदा करना चाहिये पर मैं समझता हूं कि हम फिर भी १००० लाख टन अनाज पैदा नहीं कर सकेंगे । आजादी के बाद से हम खेती बाड़ी पर १५०० करोड़ रुपये खर्च चुके हैं परन्तु दूसरी योजना का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाये ।

उधर हम नवम्बर, १९६० तक १,१६९ करोड़ रुपये का अनाज बाहर से मंगवा चुके हैं । हमारी सरकार किसानो को पैदावार बढ़ाने के लिये कहती है मगर उनकी हालत तो देखिये । किसानों की मजूरी कम हो गयी है । जो लोग खुद खेती करते हैं उन्हें फायदा नहीं होता । हमारे देश मे ६९ प्रतिशत लोग खेतिहर मजदूर हैं । इसी तरह से भूमिहीन लोगो की संख्या भी बड़ी है । एक साधारण किसान परिवार में ५.२१ व्यक्ति होते हैं जिन में से २८.१ प्रतिशत कमाने वाले और शेष खाने वाले होते हैं । इस कारण किसानो की दशा को सुधारने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार को अनाज की पैदावार बढ़ाने पर ही जोर देना चाहिये ; यदि इस दिशा में ध्यान न दिया गया तो हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा । मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न का पूर्ण अध्ययन करने के लिये एक उच्चायोग या स्थायी संसदीय समिति की भी नियुक्ति की जानी चाहिये ।

†**श्री पलनियाण्डी** (पेरम्बलूर) : मैं वित्त मंत्री को इस महान प्रयास के लिये बधाई देता हूं ।

मैं आंकड़ों के अधेड़बुन में न पड़कर जनसाधारण की भांति यह बता देना चाहता हूं कि कम से कम मद्रास राज्य ने आजादी के बाद, शिक्षा, सिंचाई और उद्योगों के मामले में काफी तरक्की की है । हमारे राज्य में ३०० आबादी वाले गांवों में भी पाठशालायें हैं । हमारे यहां हर जिले में पोलीटेक्नीक बने हैं ।

सिंचाई के क्षेत्र में भी हमारा राज्य काफी उन्नत हुआ है । हमें आशा है कि हमें कृष्णा और गोदावरी नदियों का जल भी प्राप्त हो जायेगा । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह गंगा तथा कावेरी नदियों को मिलाने की बात पर भी विचार करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पलनियाण्डी]

कल श्री सम्पत ने कहा कि मंत्री की इज्जत रखने को ही वे लोग इस्पात कारखाने का आश्वासन दे रहे हैं। परन्तु ऐसी चीज नहीं है। दरअस्ल यह बातें इस कारण कही जाती हैं कि द्रविड कड़गम की राष्ट्रीय परम्परा ही नहीं है। यह लोग वैमनस्य का प्रचार करते हैं। जहां तक इस्पात संयंत्र का सवाल है, मद्रास राज्य ने लौह अयस्क को परीक्षणार्थ भेजा है। उसके पश्चात सैलम में कारखाने की स्थापना करने का विचार होगा।

मैं आशा करता हूं कि तीसरी योजना में मद्रास में भी हेवी इलेक्ट्रिकल सामान का कारखाना लगाया जायगा। इसके अतिरिक्त मेरी प्रार्थना है कि जो हरिजन ईसाई बन चुके हैं उन्हें भी हमें छात्र-वृत्तियां आदि की सुविधा देनी चाहिये।

जहां तक राजस्व की वृद्धि करने का सवाल है मैं उससे सहमत हूं परन्तु क्या इसके लिये दरमयाने दर्जे के लोगों को दुखी करना जरूरी है? अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि कर प्रस्तावों पर दुबारा विचार किया जाये।

हाल ही में महंगाई के कारण हमारी सरकार ने कर्मचारियों के वेतन बढाये हैं।

वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि सुपारी पर लगाये कर का प्रभाव सामान्य व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, यह तो केवल इस व्यापारके मुनाफे को समाप्त करने के लिये है। मेरी एक व्यापारी से बातचीत हुई थी उन्होंने बताया कि इस व्यापार में दो से तीन सौ प्रतिशत का मुनाफा होता है। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि सरकार के पास कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय हैं।

मैंने मद्रास में मिट्टी के तेल के विक्रेताओं से बातचीत की है उनका कहना है कि मद्रास तथा अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का कोई मिट्टी का तेल नहीं मिलता जिसे घटिया एवं बढ़िया श्रेणी में विभाजित किया जा सके। एक ही प्रकार का तेल मिलता है। अतः मिट्टी के तेल पर कर लगाने से पूर्व माननीय मंत्री को सोच लेना चाहिये। चाय तथा काफी के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि इनका घरेलू उपभोग कम करना चाहिये और निर्यातमें वृद्धि करनी चाहिये किन्तु साथ ही उनका यह भी कहना है कि इन पर वृद्धि नगण्य है और इस कर से उपभोक्ता पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाय, काफी और सिगरेट आज कोई विलासता की वस्तुएं नहीं हैं। अतः इनपर कर लगाना ठीक नहीं है।

अगर धागे पर कर लगाया गया तो इससे हथकरघे उद्योग को धक्का लगेगा और इसमें लोगों को रोजगार देने की जो क्षमता है वह भी कम हो जायेगी। अतः इसके औचित्य पर पुनः विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री द० अ० कट्टि** (चिकोड़ी): वित्त मंत्री ने आय व्ययक प्रस्तुत करके ६१ करोड़ रुपये से अधिक ही वसूल करने के प्रस्ताव रखे हैं। आप का मुख्य साधन आम तौर से अप्रत्यक्ष कर ही है। इन प्रस्तावों की यहां कटु आलोचना की गई है। और कहा गया है कि इन का प्रभाव निर्धन लोगों पर अधिक पड़ेगा। वे पहले से ही काफी कर दे रहे हैं और अब अवस्था यह आगई है कि कर देने की उनकी क्षमता समाप्त हो गई है। जीवन के लिये अनिवार्य वस्तुओं पर कर लगाने के फलस्वरूप जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है। यह कहना सही नहीं है कि उन की आय बढ़ गई है इसी लिये उन्हें कर देना चाहिये। जनता इसलिये अपनी क्षमता से अधिक कर दे रही है क्योंकि वह जीवित रहना चाहती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कहा गया है कि वित्त मंत्री ने आम चुनावों से पूर्व भी इतने अधिक कर लगाये हैं इस से प्रकट होता है कि वह बहुत साहसी है। इस में साहस की कोई बात नहीं है । आज जिसके पास धन है, जिसके पास सत्ता है वह आसानी से चुनाव जीत सकता है। योजना की दुहाई दी जाती है। लेकिन योजनाएं तो समृद्धि के लिए होती हैं विद्वत्ता धन कमाने में नहीं होती बल्कि उसके खर्च करने में है। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। लेकिन प्रश्न यह है कि वह राष्ट्रीय आय गई कहां। स्पष्ट है कि यह राष्ट्रीय आय कुछ गिने चुने धनी व्यक्तियों के पास गई है। क्या यही हमारा समाजवाद है। इससे तो अच्छा है कि समाजवाद न हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कर लगाने का जितना विरोध है, उससे अधिक विरोध उस ढंग के सम्बन्ध में है, जिस ढंग से जनता का धन खर्च किया जा रहा है। देश में जितना धन खर्च हुआ है, उसके अनुपात में विकास नहीं हुआ है। देश में जो भी अतिरिक्त धन पैदा हुआ है वह धनी व्यक्तियों के खजाने में चला गया है। सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण बढ़ गया है। दूसरी ओर गांवों में रहने वाली बहु संख्यक जनता के रहन सहन के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है ।

मिट्टी के तेल, डिजल तेल, निचले दर्जे के तम्बाकू चाय, काफी आदि जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं पर लगाये करों से जनता को बड़ा कष्ट हो गया है। अतः इन करों पर पुनः विचार करना चाहिये। यह कहा जाता है कि माननीय सदस्य आलोचना तो बहुत करते हैं लेकिन कोई ठोस सुझाव नहीं देते लेकिन जब हम सुझाव देते हैं तो उन पर विचार भी नहीं किया जाता। सरकार को अपनी मद्यनिषेध नीति पर जिसने समाज में अनेक हानिकारक कुरीतियां पैदा कर दी हैं, पुनः विचार करना चाहिये। मेरा सुझाव है कि नमक पर भी कर लगाया जाना चाहिये क्योंकि वह बहुत सस्ता है। आजकल काफी फिजूल खर्ची हो रही है। लोग भूखों मर रहे हैं। लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा है वे नंगे हैं। लेकिन आलीशान इमारतें बनाई जा रही हैं। मेरा सुझाव है कि इन इमारतों का बनाना बन्द कर देना चाहिये। अमरीका में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। लेकिन फिर भी उन्हें शिक्षा भत्ता दिया जाता है। मेरा कहना है कि यह अपव्यय है जिसे रोका जाना चाहिये। कल्याण केन्द्र जैसी योजनायें अपव्यय हैं उन्हें बन्द करना चाहिये। करापवंचन भी काफी मात्रा में होता है। मेरा निवेदन है कि अप्रत्यक्ष करापवंचन से तो कोई नहीं बच सकता लेकिन प्रत्यक्ष कर से सभी बचने का प्रयत्न करते हैं। अतः करों को इकटठा करने के लिये कठोर उपाय अपनाने चाहियें। आपकी नीति ऐसी है कि आप बड़े आदमियों को प्रत्यक्ष करों के भुगतान करने से बचने का अवसर तो देते हैं लेकिन गरीब व्यक्तियों को करों के भुगतान न करने से बचने का अवसर नहीं देते। अतः मैं श्री डांगे के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि आय व्ययक "जन विरोधी" है ।

**श्री रा०रा० मिश्र** (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी बजट के सामान्य वाद विवाद में भाग लेने का अवसर दिया ।

सन् १९६१–६२ का बजट तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष का बजट है और इसमें कुल मिलाकर ९४३ करोड़ रु० की व्यवस्था तृतीय योजना के लिये की गई है। अतः यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि हमने पहली और दूसरी योजनाओं में इतना भारी भरकम व्यय किया और उसके द्वारा लगभग ९००० करोड़ रु० उठाया, उससे हम योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफल हुये हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें पता चलता है कि कई एक विषयों में रुपया लगाने के बावजूद हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। उदाहरण के लिये अन्नोत्पादन को लीजिये, जिस पर कि हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। अन्नोत्पादन के संबंध में दूसरी योजना में ८० मिलियन टन का लक्ष्य रक्खा गया था, परन्तु उसमें हम मुश्किल से ७५ मिलियन टन के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० रा० मिश्र]

लगभग उत्पादन कर सके हैं। बीच बीच में एक आध वर्ष अन्नोत्पादन की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के बजाय कमी भी हुई है। इस से सारे देश में काफी परेशानी हुई और खाद्यान्नों के दाम बढ़ गये। खाद्य मंत्री महोदय ने हमारी अन्न की कमी की समस्या को हल करने के लिये अमरीका से अन्न मंगाकर इस कमी की पूर्ति करने का प्रबंध किया है। परन्तु यह सोचने का विषय है कि हम बाहर से अन्न मंगा कर कब तक अपने देश की अन्न की कमी की पूर्ति करते रहेंगे। तीसरी योजना में अन्नोत्पादन के संबंध में १०० मिलियन टन का लक्ष्य रक्खा गया है। जिस प्रकार से प्रथम और दूसरी पंच वर्षीय योजनाओं में हमें इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली उसको देखते हुय हमें इस बात की काफी आशंका है कि तीसरी योजना में भी हम यह १०० मिलियन टन अन्नोत्पादन करने में समर्थ होंगे या नहीं।

अन्नोत्पादन के पश्चात् उर्वरक का प्रश्न आता है जो कि हमारे अन्नोत्पादन के लिये अत्यन्त आवश्यक वस्तु है। दूसरी योजना में उर्वरक के लिये ३७०,००० टन नाइट्रोजन के निर्माण का लक्ष्य रक्खा गया था, परन्तु अभी तक हम मुश्किल से २१०,००० टन उर्वरक का उत्पादन करने में समर्थ हुये हैं। इस योजना के अन्तर्गत नंगल और रूरकेला में भी फर्टिलाइजर्स के कारखाने का लक्ष्य था परन्तु अभी तक यह नहीं मालूम कि उन स्थानों पर कब तक फर्टिलाइजर का उत्पादन होने लगेगा। तीसरी योजना में फर्टिलाइजर का १ मिलियन टन का लक्ष्य रक्खा गया है। जिस प्रकार से अभी तक इस विषय में ढिलाई हुई है उसे देखते हुये इस बात की पूरी आशंका है कि अगली योजना में हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकेंग अथवा नहीं।

कोयला और लोहा हमारे देश के औद्योगीकरण के लिये अत्यन्त आवश्यक है और इस विषय में पिछली योजनाओं में काफी जोर दिया गया था। इस्पात के लिये दूसरी योजना में ४.३ मिलियन टन का लक्ष्य था परन्तु अभी तक हम केवल २.६ मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करने में ही समर्थ हुये हैं। कोयले के संबंध में भी हमारा निर्धारित लक्ष्य ६० मिलियन टन था, लकिन हम मुश्किल से ५४ मिलियन टन तक पहुंच सके हैं।

जहां तक हमारी राष्ट्रीय आय का संबंध है, दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रक्खा गया था परन्तु दूसरी योजना के प्रथम चार वर्षों में हम केवल १२.२ प्रतिशत वृद्धि कर सके हैं और इस वर्ष लगभग ६ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम केवल १८.२ प्रतिशत की वृद्धि कर सके हैं। पूरा लक्ष्य प्राप्त करना अभी काफी दूर है।

बेकारी की समस्या के संबंध में दूसरी योजना में ८० लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रक्खा गया था, परन्तु इसमें भी हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और केवल ६५ लाख व्यक्तियों को काम दिला पाने में समर्थ हुये हैं। वास्तविकता तो यह है कि दूसरी योजना में बेकारी की संख्या में जितनी वृद्धि हुई है उससे कम व्यक्तियों को हम रोजगार दिला पाये हैं। एक कल्याणकारी राज्य के लिये यह परम आवश्यक है कि उसके अन्दर सभी नागरिकों के लिये काम की व्यवस्था हो। अतः मैं वित्त मत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे देश की बेकारी की समस्या को हल करने के लिये विशेष तरीके पर ध्यान दें।

बेकारी की समस्या के साथ-साथ हमारे देश के अन्दर खेतिहर मजदूरों की समस्या भी काफी शोचनीय है। सन् १९५६–५७ कीं एग्रिकल्चर लेबर एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार खेति-

हर मजदूरों की दशा सन् १९५०-५१ के मुकाबले में भी खराब हो गई है। उनके कुल १६.३ मिलियन परिवारों में से ६३.९ प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त पाये गये जबकि सन् १९५०-५१ में केवल ४५ प्रतिशत परिवार ऋणी थे।

इस प्रकार से पहली और दूसरी योजनाओं के काल में जो कार्य किये गये उनका लेखा जोखा देखने पर प्रतीत होता है कि हमारे देश की अधिकांश जनता को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं हुआ। देश के अन्दर वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसके कारण सारी जनता को परेशानी है। पिछले पांच वर्षों के अन्दर हमारे देश में होलसेल प्राइस में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई और अकेले इस वर्ष लगभग ६ प्रतिशत वृद्धि हुई। मैं मानता हूं कि डेवेलपिंग एकानमी में कुछ न कुछ मूल्यों की वृद्धि होनी आवश्यक है और थोड़ी वृद्धि आपत्तिजनक नहीं होगी, लेकिन जिस रफ्तार से यह वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए काफी चिन्ता होती है।

तीसरी योजना के सम्पादन के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि दामों में वृद्धि न हो और यथासंभव मूल्यों में स्थिरता कायम रखी जाये। कम से कम खाद्यान्न के मामले में तो निश्चित रूप से अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिये जिससे कि उत्पादकों को अन्नोत्पादन की प्रेरणा मिले और उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सकें।

जहां तक सन् १९६०-६१ के बजट के आंकड़ों का संबंध है। अगले वर्ष के लिये ९६२·९२ करोड़ रुपये की आय का अनुमान किया गया है और १०२३.५२ करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार ६०·६० करोड़ का घाटा रहेगा। गत वर्ष भी ६०·७० करोड़ के घाटे का बजट था लेकिन अन्त में वह घाटा कम हो कर केवल ३३·६६ करोड़ रह गया था। ऐसा लगता है कि बजट बनाने के सबध में जो तरीका अपनाया जाता है वह काफी डिफेक्टिव है और अनुमान के आंकड़े बनाते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि किस प्रकार सही आंकड़े तैयार किये जायें।

पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने इस संबंध में इस महीने की रिपोर्ट में पैरा ५ में कुछ खास बातें कही हैं। वे इस प्रकार हैं: "अतः यह स्पष्ट है कि अनुदानों के द्वारा जितने धन की व्यवस्था खर्च करने के लिये आपने की थी उसमें काफी धन बच गया है, यह इस बात का द्योतक है कि आपका आय-व्ययक त्रुटिपूर्ण है। वित्तीय व्यवस्था का अभिप्राय यह है कि जितने धन की आवश्यकता हो उतने ही धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। अतः समिति चाहती है कि विभिन्न मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं का सही अनुमान करके उनके लिये आवश्यकतानुसार धन की मांग किया करें।"

तो मैं कहना चाहता हूं कि फाइनेंस विभाग के कर्मचारियों को बजट के आंकड़े तैयार करने में अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये।

जहां तक इस वर्ष लगाये गये टैक्सों का संबंध है, मैं समझता हूं कि ६० करोड़ के टैक्सों में से केवल ३ करोड़ रुपया डाइरेक्ट टैक्स से प्राप्त करने का अनुमान है और ५७ करोड़ इनडाइरेक्ट टैक्सों से प्राप्त किया जायेगा। मैं समझता हूं कि डाइरेक्ट टैक्स से बहुत कम टैक्स वसूल करने का अनुमान किया गया है। डाइरेक्ट टैक्सों में वृद्धि करने की गुंजाइश है और मेरा सुझाव है कि सरकार डाइरेक्ट कर और बढ़ाने के संबंध में सोच विचार करे और जो व्यापारी वर्ग को अधिक मुनाफा हो रहा है उसको देश के कामों के लिये प्राप्त करे।

जहां तक इनडाइरेक्ट टैक्सों का संबंध है, यह निश्चित है कि सरकार जो दियासलाई पर टैक्स लगाने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भी बतलाया है।

[श्री रा० रा० मिश्र]

अगर इससे लाभ होने का अनुमान नहीं था तो फिर दियासलाई पर क्यों टैक्स लगाया गया और और मैच बाक्स को स्टेंटर्ड साइज का बनाने के लिये उतावली क्यों की गयी।

मिट्टी के तेल के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। गांवों में इस टैक्स से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और यद्यपि केवल ऊंचे किस्म के तेल पर कर लगाया गया है लेकिन घटिया किस्म के तेल के दाम भी बढ़ गये हैं और एक टिन पर १० आना दाम बढ़ गया है। ऐसी दशा में मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस टैक्स पर पुनः विचार करें और थोड़ी छूट दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब तो माननीय सदस्य को बस करना चाहिये।

**श्री रा० रा० मिश्र** : आधा मिनट और। अन्त में मैं देश की शिक्षा के संबंध में भी दो शब्द कहना चाहता हूं . . .

**उपाध्यक्ष महोदय** : शिक्षा के ऊपर माननीय सदस्य तब आये हैं जब वक्त पूरा हो गया अब आप खत्म करें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजेश।

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह बहुत लेट आये हैं और उनका वक्त मैं बांट चुका हूं। अब उनको बहुत कम वक्त लेना चाहिये।

**पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"** (शिवपुरी) : कृष्णम् बन्दे जगद्गुरुम्।

उपाध्यक्ष महोदय बजट के सबध में सम्मानीय सदस्यों ने गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के प्रश्चात् जो त्रुटियां दिखायी हैं उन पर प्रकाश डाला है।

मैं समझता हूं कि जो बातें यहां कही गयी हैं उनके संबंध में वित्त मंत्री महोदय का ध्यान बिल्कुल गया ही न हो अथवा वह जानते न हों ऐसा मैं नहीं मानता। देश की स्थिति कुछ ऐसी बन गयी है। देश में प्रजातंत्र आया बड़ी बरबादी के बाद, दासता के बाद और देश में अशिक्षा है और दासता की भावना अभी तक गयी नहीं है। इसलिये प्रजातंत्र को जिस प्रकार फलीभूत होना चाहिये था वह पृष्ठभूमि उसे प्राप्त नहीं हुई है। प्रजातंत्र को सफल करने के लिये जिन आदर्शों और उद्देश्यों को लेकर किसी शासन को चलना चाहिये उस प्रकार से शासन चल नहीं पाता, और येनकेन प्रकारेण अपना कार्य सिद्ध करने के लिये उसे रूप रेखा बनानी पड़ती है। टैक्सेशन का भी यही कारण है।

जहां हमारे प्रजातंत्र में कहीं प्रांतीयता, कहीं भाषावाद, कहीं जातिवाद, कहीं वर्गवाद का झगड़ा खड़ा है, वैसे ही पालिसीवाद भी हमारे सिर पर सवार है। हर एक को येनकेन प्रकारेण अपना काम चलाना है।

पार्टियों के लिये पैसा चाहिये, शासन को चलाने के लिये भी चाहिये, और अब चुनाव आ रहा है तो जैसे ग्रहण के पूर्व सूतक लगता है वैसे ही यह चुनाव का सूतक आरम्भ हो गया है। प्रत्येक के मस्तिष्क में चुनाव घूमता है। पार्लियामेंट में बैठ कर डिबेट में भाग लेना और सुनना उतना आवश्यक नहीं है जितना चुनाव के लिये योजना बनाना। तो पैसा कहां से आये। पैसा मिलता है पूंजीपतियों से। उनको यदि नाराज करेंगे तो पैसा कहां से आयेगा। गरीब पर अगर टैक्स लगेगा तो थोड़ी

हाय हाय करेगा लेकिन अगर उसको समय पर घेर लिया तो वोट लिया जा सकता है। यह जो स्थिति देश के अन्दर है इसके कारण गरीब अधिक गरीब हो रहा है और मालदार अधिक मालदार हो रहा है। मालदार अपना पैसा बचाने के लिये प्रयत्न करता है। थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था कारण कि अपोजीशन का शासन पर दबाव पड़ता है और उसको देख कर चलना पड़ता है। लेकिन चीन के आक्रमण ने कम्युनिस्ट पार्टी को दुर्बल कर दिया। इसलिये अब शासन को कम्युनिस्टों का उतना डर नहीं रह गया है जितना डर राजा जी का लगने लगा है। राजाजी पूंजीपतियों के लिये बोलते हैं, कम्युनिस्ट गरीबों के लिये बोलते हैं लेकिन दोनों को ध्यान में रख कर भी तो किसी को बोलना है। न हम कोई पूंजीपतियों के शत्रु हैं और न हम गरीबों के हैं। हमने किसी को नाराज नहीं करना है।

इस संसार में मालदार होना कोई अपराध नहीं है और निर्धन होना कोई वरदान नहीं है। देश में निर्धन भी नहीं रहने चाहिये, पर ऐसे धनवान भी नहीं रहने चाहिये कि जिनके कारण दूसरों को निर्धन होने के लिये बाध्य होना पड़े। पर आज होता क्या है डाइरेक्ट कर जो लगना चाहिये वह तो लगता नहीं। इनडाइरेक्ट कर लगता है और स्थिति ऐसी है कि जैसे सरकार ने कर लगाये वैसे ही पूंजीपति अपना घर भरने की सोचने लगे और दाम बढ़ना आरम्भ हो जाता है। पैसे वालों के लिये सब से बड़ी छूट सरकार की तरफ से क्या मिली हुई है कि सरकार टैक्स तो लगा देती है लेकिन उसके कारण पदार्थों का मूल्य किस सीमा तक बढ़ना चाहिये इसको निर्धारित करने के लिये कुछ नहीं किया जाता। पूंजीपतियों की जो मर्जी में आता है उतना दाम निर्धारित कर देते हैं। अगर उनको एक रुपये गज कपड़ा पड़ता है तो उस पर डेढ़ रुपये गज की मोहर लगा देते हैं और वह बाजार में डेढ़ रुपये गज बिकता है। तो इस तरह वह मुनाफा कमाते हैं और हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम एक कमेटी बिठायेंगे यह पता लगाने के लिये कि यह मुनाफा कहां जाता है। जहां जाता है यह तो सीधा सामने है।

इसी तरह से आप कच्चे माल को लीजिये। रा मैटीरियल से हमको आमदनी होती है। गन्ना भी एक रा मैटीरियल है। गन्ने का हाल यह है कि आज से आठ दस वर्ष पूर्व जब गन्ने का भाव २ रुपये मन था तो हमको शकर १२ आने सेर मिलती थी। अब इस समय हाल यह है कि गन्ने का भाव जैन साहब के समय में १ रुपया ६ आने मन था, अब पाटिल साहब के समय में १ रुपया १० आना मन है, लेकिन शकर हमको मिलती है १ रुपया सेर। जब दो रुपया मन गन्ना था तो १२ आना सेर शकर मिलती थी अब जब गन्ने का भाव कम हो गया है तो १ रुपया सेर मिलती है। तो यह मुनाफा कहां जाता है मिल वालों के पास। अब इसके बाद चुनाव में पार्टी के प्रोपेगेंडे के लिये पैसा चाहिये तो उनसे मिलेगा। तो उन्होंने खाया और आपने ले लेना है। और बीच वाले ने मर जाना है। उनको तो कोई लाभ मिलता नहीं है.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने यह दरमियान वाला रास्ता क्यों पकड़ लिया ?

**पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"** : दरमियान का रास्ता लेकर बैलेंस जो बराबर करना है क्योंकि बैलेंस बराबर नहीं होगा तो पलडा ऊंचे नीचे जायेगा।

मेरा कहना यह है कि जहां हमें सम्पत्ति वालों को देखना है वहां निर्धनों को भी हमें देखना चाहिये। कर लगाने में खास तौर से जो उपभोक्ता हैं उनको ध्यान में नहीं रक्खा जाता है और परिणामतः साधारण जनता उनके कारण कष्ट पाती है। स्टैंडर्ड आफ लिविंग जहां जरा ऊंचा हुआ तो कर्मचारी वर्ग में हाहाकार मच जाता है और सरकार उनके १०, ५ रुपये बढ़ा देती है। जहां

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश]

वस्तुओं के दाम बढ़े और कर्मचारियों ने शोर किया और एजिटेशन किया तो सरकार १०, ५ रुपये बढ़ा देती है और उनका एजिटेशन शांत हो जाता है। अब आप बढ़ाते हैं केवल १० रुपये लेकिन स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा होने के कारण उनका अतिरिक्त खर्चा २५ रुपये पड़ता है। अब यह सिलसिला स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा होने का और उनके एजिटेशन को शांत करने के लिये हर मर्त्तबा उनकी तनख्वाहों में ५, १० रुपये की बढ़ोत्री करना, आखिर कब तक चलेगा ? वस्तुओं के दाम बढ़ने की कोई सीमा निर्धारित हो जानी चाहिये कि इससे अधिक वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ेंगे वरना कर्मचारियों में असन्तोष बना ही रहेगा और आपको उनके एजिटेशनों को शांत करने के लिये उनकी तनख्वाहों में कुछ न कुछ बढ़ोत्री करनी ही पड़ेगी। मेरी समझ में यह देश के हित में न होगा और राष्ट्र निर्माण का कार्य सुचारू रूप से न चलेगा क्योंकि वे कर्मचारी लोग रात दिन इसी स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा होने और उसके फलस्वरूप एजिटेशन करने और अपनी तनख्वाहों में बढ़ोत्री कराने के लिये झगड़ते रहेंगे और वे मन लगा कर काम न कर पायेंगे और देश के निर्माण-कार्य को इससे काफी धक्का लगेगा। यह एक स्थिति सामने आती है। इसलिये सबसे पहले हमारे सामने समस्या यह है कि वस्तुओं के मूल्यों की सीमा निर्धारित होनी चाहिये और यह निश्चित हो जाना चाहिये कि इससे अधिक दाम न बढ़ सकेंगे।

अब खाद्यान्न के गेहूं के भाव में इसलिये न्यूनता नहीं लाई जा रही है कि अगर उसके दाम घटा दिये गये तो अन्य वस्तुओं के दाम भी कम हो जायेंगे, घट जायेंगे। अनाज को, गेहूं को इसलिये महंगा रखना चाहते हैं ताकि दूसरी वस्तुओं के दाम भी महंगे बने रहें। तर्क इसके लिये यह दिया जाता है कि किसान को पैसा चाहिये और अगर हमने गेहूं के दाम घटा दिये तो उसको कम पैसा मिलेगा लेकिन मेरा कहना है कि असल में किसान को इसका लाभ मिलता नहीं है क्योंकि किसान अगर गेहूं महंगा बेचता है तो अन्य वस्तुयें जोकि उसके उपयोग में आने वाली हैं उनको वह महंगा खरीदता है। अब ४/८ के बजाय आपने ८/१६ कर दिया तो यह केवल १६ के अंक की ही तो वृद्धि हुई है क्योंकि है तो वही की वही परिणाम में तो कोई अन्तर नही हुआ। ऐसी अवस्था में केवल संख्या बढ़ाने मात्र से काम नहीं चलेगा। हमें गम्भीरतापूर्वक यह देखना होगा कि वास्तविक परिणाम जनता के ऊपर क्या पड़ता है लेकिन परिणाम को वे नहीं देखते हैं।

इसी के साथ मुझे यह निवेदन करना है कि जो अपव्यय की चीजें हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, अधिक उपयोग में आने वाली नहीं हैं और जोकि आवश्यकीय पदार्थ नहीं हैं उन पर यदि सरकार टैक्स लगाये तो उसका प्रभाव साधारण जनता पर पड़ने वाला नहीं है और उनमें हाहाकार नहीं मचेगा। मेरा कहना है कि सरकार आवश्यकतानुसार विलासिता की वस्तुओं पर कर लगा सकती है। लेकिन अगर सरकार नित्यप्रति उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाती है और जोकि पहले से ही महंगी हैं तो जनता जोकि पहले ही महंगाई से पीड़ित है वह निश्चित रूप से कराह उठेगी और उस जनता से जोकि पहले से ही दुखी है उससे यदि आप टैक्स वसूल करेंगे तो वह और अधिक हाहाकार करने वाली है। अब इस तरह से हाहाकार करने से जो पैसा राज्य में आयेगा उस पैसे से राज्य सफल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पीछे जनता के हाहाकार और चीत्कार का अभिशाप लगा हुआ है। हम यदि धनी आदमियों से चार पैसे ले लेंगे तो उसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है लेकिन वे लोग जोकि पहले से ही कष्ट के मारे सिसक रहे हैं उन पर कर रूपी एक लात और लगा दी जाय तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। टैक्सेशन में यह बात खास तौर से ध्यान में रखनी चाहिये जोकि रक्खी नहीं गई है।

मैं समझता हूं कि जो तेल के ऊपर टैक्स लगाया गया है यह जनता का तेल निकालने के बराबर है। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

इसी के साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता का तेल निकालने के बाद यह जो दूसरे शत्रु हमारा तेल निकालने के लिये बैठे हैं मेरा तात्पर्य पाकिस्तान और चीन से है तो उनके खेल की भी कोई चिन्ता हमें नहीं जान पड़ती। हम अपने देश में बड़ी बड़ी योजनायें बना रहे हैं परन्तु शत्रु अगर हम पर चढ़ कर आ गये तो उन योजनाओं का क्या बनेगा और उनका लाभ कौन उठायेगा।

देश के डिफैंस के लिए सुरक्षा के लिए जितनी धनराशि दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी गई है। उस ओर पूरा ध्यान और धन नहीं दिया जा रहा है। हम आज संसार के सामने यह उद्घोषणा उठा रहे हैं कि यह सारे जितने भी शस्त्र हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए, पूर्णरूप से सारे राष्ट्रों को निशस्त्रीकरण कर देना चाहिए। अब आप यह जो चला रहे हैं एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं वह अगर हो जाता है और संसार में निशस्त्रीकरण हो जाता है तब तो अच्छा है परन्तु यदि निशस्त्रीकरण न हुआ तो हम क्या करेंगे। निशस्त्रीकरण के भरोसे पर अपने को दुर्बल रखना यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसलिए हमें अपनी सेना को सशस्त्र और सशक्त बनाना होगा। हमें निशस्त्रीकरण की आस में निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है अपितु हमें कमर बांध कर देश की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए। दो-दो शत्रु हमारे निकट घात लगाये बैठे हैं उधर पाकिस्तान बैठा है तो इधर चीन बैठा है और फिर हमारे देश के अंदर फिफ्थ कौलमनिस्टस बैठे हैं जिनसे कि हमें सावधान रहना है।

लोक-सभा में हम देखते हैं कि ट्रेजरी बैंचेज को कौन कहे अपोजीशन ही यहां से लेकर वहां तक खाली पड़ा हुआ है और ऐसी हालत में शासन पर क्या अंकुश रहेगा। हाउस उधर भी खाली है और इधर भी खाली है। खाली बातें ही बातें होती हैं तो क्या केवल बातों से ही कहीं संसार का काम चलता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

**पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश"** : मैं तो आखिर में बोल रहा हूं और मैं अपने दल का एक मात्र प्रवक्ता हूं इसलिए समाप्ति अच्छी प्रकार से होनी चाहिए।

एक सबसे बड़ी खराबी की बात जिसको कि प्रत्येक देशवासी अनुभव कर रहा है वह है हमारे निवासियों के आचार का गिरना। हमारा आचार निरन्तर गिरता चला जा रहा है। हमारा आचार जो देश के प्रति होना चाहिए वह भ्रष्टाचार में बदल रहा है।

"आचार हीनम न पुनन्ति वेदाः"

जिनका आचार गिर गया उनको आप क्या बना सकते हैं? इसलिए हमारे वित्त मंत्री महोदय को देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए सोचना चाहिए। पूंजी लगाने वालों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पूंजी हम लगा किसके लिए रहे हैं। हम जिस कार्य के लिए अपनी पूंजी लगा रहे हैं वह कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा। जो भ्रष्टाचारी हैं यदि उन पर हम द्रव्य व्यय करेंगे तो भ्रष्टाचार ही अधिक बढ़ेगा। इस कारण पहले उन्हें आचारवान और चरित्रवान बनाना है उसके बाद फिर उनको समृद्धिशाली बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए।

[पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश"]

अपोजीशन को मेरा कहना यह है कि उनमें राष्ट्र के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए और शासन को यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि जितने भी लोग विरोधी दल में हैं वे हमारे शत्रु हैं। अपोजीशन को हम बिलकुल क्रश करके रख देंगे यह भावना शासन में नहीं होनी चाहिए। दोनों को मैत्रीभाव से अपने-अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दोनों में परस्पर प्रीति होनी चाहिए और दोनों को देश को सम्पन्न बनाने के लिए परस्पर प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए चरित्र निर्माण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि हम अपव्यय को रोक नहीं पा रहे हैं। बाहर से काफी पैसा खर्च करके अंग्रेजी औषधियां मंगाई जाती हैं और हम अपनी घर की औषधियों के प्रति उपेक्षा भाव रखते आ रहे हैं। ऐलोपैथी सिस्टम इस देश में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है और मैं इससे इंकार नहीं करता कि वह सिस्टम इधर काफी डेवलेप हुआ है, उसमें काफी कुछ रिसर्चेज हुई हैं अनुसंधान हुए हैं लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र भी कोई निकम्मा शास्त्र नहीं है। वह हमारे अपने देश का है और औषधियां भी हमारी अपनी हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उसके प्रति अपनी उपेक्षा वृत्ति त्यागे और उसमें और अधिक अनुसंधान हो। उसकी तरफ वित्त मंत्री महोदय को अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि लोग यहां पर आयुर्वेदिक इलाज अपना करा सकें। उसके लिए जो धनराशि दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी गई है।

अब प्रत्येक गांव में आप एलौपैथिक डिस्पेंसरीज खोल नहीं रहे हैं और चूंकि आयुर्वेद उपचार उसको प्राप्त नहीं है तो वह बेचारा ग्रामीण शहर में आता है और होता यह है कि वह बेचारा किसी भी औषधियों के नाम तो जानता नहीं और किसी भी मैडिकल हाल में उसको पेंसिलीन के बजाय उबले हुए पानी का इंजक्शन दे दिया जाता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहन दिया जाय और उस पर अधिक धनराशि व्यय की जाय . . . . .।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब तो माननीय सदस्य समाप्त ही करें।

**पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश"** : जैसी आपकी आज्ञा किन्तु मुझे दुःख है कि समय मुझे बहुत ही कम मिला।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे भी इसका दुःख है परन्तु क्या किया जाय मजबूरी है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पद्म देव। माननीय सदस्य केवल ७, ८ मिनट ही लेंगे।

**श्री पद्म देव** (चम्बा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट के सुझाव और बजट की व्यवस्था की है उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं। मैं श्री कटटी से सहमत नहीं हूं। मालूम ऐसा देता है कि उनका मंत्री जी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा है जिसके कि कारण केवल उनकी ही बातें कही हैं। उनके बजट में खराबियां क्या हैं इसके बारे में कोई बात नहीं कही है। वित्त मंत्री महोदय ने बजट के अन्दर सारी बातें रखते हुए कर लगाने की जो व्यवस्था की है उसके बारे में यहां पर बहुत जोर शोर से बातें की गई हैं लेकिन यह किसी ने नहीं बतलाया कि कितना किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। जैसे अब २० चाय के प्यालों पर एक पैसा बढ़ा तो इससे कितनी वृद्धि होगयी। इसी तरह काफी के ऊपर अगर

दस काफी के प्यालों पर एक पैसे की वृद्धि होती है तो कितनी वृद्धि होगयी। मिट्टी के तेल के ऊपर बहुत शोर मचाया गया कि इस पर टैक्स लगाने का विद्यार्थियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, गांव वालों पर बड़ा असर पड़ेगा लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वह आंकड़े क्यों नहीं बतलाये गये कि कितना उस पर प्रभाव पड़ा है। ४१ मदों के ऊपर कर लगाये गये हैं और उससे सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ा है लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी आमदनी भी बढ़ती जा रही है। जो लोग यहां खाली बैठ करके सिर्फ विरोध करने के नाते यह बातें करते हैं मैं नहीं समझता कि वह इलाके में जाते भी हैं। मैं अपने हिमाचलप्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि वहां पर ११ लाख की आबादी है और १८ करोड़ की इस साल की बजट व्यवस्था है। दूर-दूर जाकर लोगों के लिए स्कूल, कालिज, सड़कें और यह सारी चीजें बनाई गई हैं। लेकिन इस पर भी हमारे विरोधी दलों के भाई यहां बैठ कर सरकार की आलोचना करते हुए कहें कि सरकार ने कुछ भी विकास और सुधार कार्य नहीं किया और सब अंधेरा ही अंधेरा है तो मैं कह सकता हूं कि उन भाइयों पर यह कहावत भली भांति चरितार्थ होती है :—

"उल्लूको यदि न पश्यति दिनकरे सूर्यस्य किं दूषणम" . . . .

**श्री राजेन्द्र सिंह** (छारा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन शब्दों से हम लोगों को सम्बोधन किया है मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं हैं और आपत्तिजनक हैं।

**पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"** : माननीय सदस्य ने ठीक ही तो कहा है कि देश की दुर्दशा जो कि सूर्य के प्रकाश के समान साफ दिख रही है उसको वह देख नहीं सकते जिस तरह से कि एक उल्लू सूर्य को नहीं देख पाता।

**श्री पद्म देव** : मेरा निवेदन है कि हमारे देश की इस समय ऐसी गिरी हुई दशा नहीं है जैसी कि हमारे वह ढिंढोरची और स्वार्थी लोग पेश कर रहे हैं। चाहे आप बाजारों में लगे इश्तहारों को देखें, अखबारों में देखें और बड़े बड़े भाषणों को सुनें, सब ओर इस प्रकार का ढंढोरा पीटा जा रहा है। हालांकि ये अभी कर-प्रस्ताव ही हैं, लेकिन इस बात की परवाह किये बिना भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इस परिस्थिति का लाभ उठा कर लोगों ने वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस विषय में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर सरकार और बातों की व्यवस्था कर सकती है, तो उसको ऐसे ढंढोरचियों के बारे में भी कोई पग उठाना होगा जो देश को चूसते हैं और लोगों को गलतफहमी में डालते हैं। अगर उनको व्यवस्थित नहीं किया गया, तो आपत्ति के समय वे देश को पहले ही किसी के हवाले कर देंगे और जो योजनायें चल रही हैं, जो विकास हो रहा है, यह सबका सब समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर सतर्क और जागरूक होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि केवल कर लगाना ही सरकार का कर्त्तव्य नहीं है। जहां तक खर्च का प्रश्न है, वह तो करना ही है और वह बड़ा जरूरी है। वह सरकारी मशीनरी के ऊपर किया जाने वाला खर्च नहीं है। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उसे पैसे का उपयोग किया जायेगा। इसलिये यह जरूरी है कि सरकार की ओर से जो कर लगाया जाये, उस का संग्रह ठीक हो और उस की मशीनरी ठीक ढंग से की हो। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो परिणाम यह होगा कि एक ओर राजस्व में कमी पड़े और दूसरी ओर देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि दो तीन

[श्री पद्म देव]

बहियां रखी जाती हैं। बात यह है कि इस प्रकार के कार्य करने वाले आदमी को इस बात की चिन्ता नहीं है कि अपनी कार्यवाहियों के द्वारा वह देश में क्या खराबी पैदा कर रहा है, देश का क्या अहित कर रहा है। उस को तो केवल यह चिन्ता है कि किसी न किसी तरह से पैसा इकट्ठा किया जाये। मैं कई दफा सोचा करता हूं कि दुनिया में सात वंडर बताए जाते हैं, लेकिन आठवां वंडर यह दिखाई देता है कि कुछ लोग बिना योजना के, बिना मतलब के, देश और समाज के हितों की उपेक्षा कर के, राष्ट्र-द्रोह कर के और केवल अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये अपना बक वैलेंस बढ़ा रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।

टका: धर्म: टका: कर्म:
टका: हि परमं पद:
यस्य पार्श्वे टका: नास्ति
हा टका: टक्कटकायते।

इस स्वार्थ को लड़ाई में, पैसे की लड़ाई में चाहे कोई अपने आप को त्यागी कहे, सोशलिस्ट कहे, लेकिन सब के सामने इस वक्त पैसा है। इसलिये देश के हितों की रक्षा के लिये हमें इस सम्बन्ध में सतर्क होना जरूरी है।

पहली और दूसरी पंच-वर्षीय योजनाओं में उद्योग-धंधों में ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और खाद्यान्नों में ३३ प्रतिशत की। उद्योग धंधों के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि सरकार की तरफ से पानी की तरह रुपया बहाया जा रहा है, लेकिन जहां तक कोटे की चीजों, जैसे लोहा, ताम्बा वगैरह हैं, का सम्बन्ध है, उन की इतनी सामग्री नहीं बन रही है, बल्कि लोग एक दूसरे को बेच देते हैं और इस प्रकार मुनाफा कमाने का धन्धा हो रहा है। इस विषय में भी पूरी निगरानी होनी चाहिए। अन्यथा बाद में यह कहने में कोई विशेष अर्थ नहीं होगा कि हम ने इतने प्रतिशत तरक्की की है—उस में वास्तविकता बिल्कुल नहीं होगी। तृतीय पंच-वर्षीय योजना में हम ने पांच ध्येय अपने सामने रखे हैं—राष्ट्रीय आय में पांच प्रतिशत की वृद्धि, खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता, मौलिक उद्योगों का विकास, जन-शक्ति का उपयोग और विषमता को घटाना। इस में कोई शक नहीं कि सरकार इस दिशा में प्रयत्न-शील है, लेकिन इस विषय में जो बातें कहीं गई हैं, उन को बिल्कुल ही निराधार ही नहीं कहा जा सकता है। प्रथम और द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाओं में जितना रुपया खर्च किया गया है, अगर वह ईमानदारी से खर्च होता, अगर सरकारी मशीनरी ठीक ढंग की होती, तो विकास दुगना दीखता। यह ठीक है कि काम हुआ है, लेकिन उतना नहीं, जितना कि सरकार ने उस पर पैसा खर्च किया है।

स्टेट्स से इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आयेंगे, वित्त मंत्री महोदय उन की छान-बीन कर के रुपया देंगे, लेकिन मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी मशीनरी जरूर होनी चाहिए, जो कभी कभी स्टेट्स में जा कर स्वतंत्र रूप से देख लिया करे कि स्टेट्स में उस रुपये का सदुपयोग हो रहा है। मैं बताना चहता हूं कि जब मैं मिनिस्टर था, तो मेरी मिनिस्ट्री हर बात में सतर्क रहती थी कि कहीं भी उल्टे तरीके से रुपये का प्रयोग न हो। हमें उस समय कहा गया कि यह मिनिस्ट्री की नालायकी है कि वह रुपया खर्च करने में कंजूस है, किसी न किसी तरह रुपया खर्च करो, अगर नहीं करोगे, तो अयोग्य कहलाओगे। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसी मशीनरी जरूर होनी चाहिए, जो स्टेटस में जा कर देखे कि किस तरह काम हो रहा है।

सामान्य व्यय में खर्च बढ़ रहा है, ऐसा कहा गया है। इस में शक नहीं कि कुछ बढ़ा है और इस ओर मंत्री महोदय सतर्क होंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि १९५२ के बाद से अब पुलिस का खर्च छः गुना हो गया है, लेकिन इस वक्त अन्दरूनी व्यवस्था अव्यवस्था सी है, सरकारी कर्मचारी असन्तुष्ट हैं, काम करने वाले असन्तुष्ट हैं। इसलिए मैं कहना चहाता हूं कि जिन्होंने हमारी तृतीय पंच-वर्षीय योजना को चलाना है, क्षेत्र में जा कर इस कार्य को करना है, उन सरकारी कर्मचारियों की जीविका का देश और काल के मुताबिक प्रबन्ध होना चाहिए। इस के अतिरिक्त जो व्यक्ति जिस पद के योग्य है, उस को वह पद देना चाहिए। इस में किसी और ढंग का इस्तेमाल न होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अयोग्य को ऊपर चढ़ाया जाये और योग्य को नीचे गिराया जाये। इस से मुल्क की व्यवस्था नीचे ही गिरेगी। सरकारी मशीनरी में जो हस्तक्षेप होता है, वह दूर होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के सिर पर जिम्मेदरी डालनी चाहिए और जो अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे, उस को कड़ा दंड देना चाहिए। इस तरीके से यदि ठीक ढंग से काम किया गया, तो हमारा देश काफी प्रगति कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ठीक ढंग से कर-प्रस्ताव रखे हैं।

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आय व्ययक पर हमारी आकांक्षाओं और उन्हें मूर्त रूप देने के लिये किये गये कार्यों की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं नहीं चाहता कि किसी देश का विकास किसी दल विशेष की भावनाओं एवं दृष्टिकोण के अनुकूल हो। मेरा विश्वास है कि इस सदन के सभी सदस्य इसमें विश्वास रखते होंगे कि हमारे देश का विकास हो। सभी चाहते हैं कि हम खुशहाल हों। लेकिन हमारी विचार धाराएं एवं दृष्टिकोण अलग अलग है। लेकिन हम सभी मिलकर यदि प्रयत्न करें तो मेरा विश्वास है कि हमारा देश का कल्याण होगा और हम बड़ी तेजी के साथ अपनी उन्नति कर सकेंगे। हम सब को मिलकर इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये यही मेरी इच्छा है।

यह कहा गया है कि यह आय व्ययक निर्धनों पर, भार डालने वाला और धनिकों को और धनी बनाने वाला है। लेकिन ऐसा कहने से पहले हमें इस बात पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये कि वास्तविक तथ्य क्या हैं और यह नहीं सोच लेना चाहिये कि क्या हो सकता है। हमें यह सोचना चाहिये कि हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। मैं यह तो दावा नहीं करता कि हमारी सरकार ने कोई भूल नहीं की लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि कोई भी गलती जानबूझकर नहीं की है। साथ ही यह भी दावा करता हूं कि जब कभी वे भूलें हमारे सामने रखी गईं तो हमने उन्हें स्वीकार किया है और उनको सुधारने का वचन ही नहीं बल्कि प्रयत्न भी किया है।

जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारा देश बड़ा गरीब था। आन्तरिक दृष्टि से हम विभाजित थे। हमारे यहां कोई एक सरकार नहीं थी। फिर हमारे देश का विभाजन हुआ। हमारे यहां उद्योगों की संख्या अधिक नहीं थी। गांवों की दशा बड़ी खराब थी। हममें एकता नहीं थी। इस एकता न होने के कारण ही हमारे देश का विभाजन हुआ। गत महायुद्ध ने भी देश को अनैतिक एवं भ्रष्ट बना दिया था। स्वतंत्र होते ही लाखों शरणार्थियों की समस्या हमारे सामने आई। हमने उनको बसाने एवं प्रतिकर देने के रूप में उन पर लगभग

[श्री पद्म देव]

६७० करोड़ रुपये व्यय किये । मैं समझता हूं कि विश्व में ऐसी विकट समस्या किसी भी देश के सामने नहीं आई । सौभाग्य से हमने इस समस्या का समाधान अपने सीमित संसाधनों के द्वारा कर लिया लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया । यह कोई मामूली सफलता नहीं है । अभी तक पूरी तरह यह समस्या हल नहीं हुई है लेकिन आशा है कि शीघ्र ही यह हल हो जायेगी ।

हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे देश में पूर्ण एकता हो । मानव की प्रतिष्ठा कायम रहे और उसे समान अवसर प्राप्त हों। क्योंकि इन बातों से ही सब प्रकार के शोषण समाप्त किये जा सकते हैं। और आय के अन्तर को कम किया जा सकता है । यह मैं कह सकता हूं कि विश्व में आय समान नहीं हो सकती । हमारे सामने स्वीडन का उदाहरण है वहां आय का अन्तर बहुत कम है । लेकिन उनको यह सफलता प्राप्त करने में ८० वर्ष लगे । हम भी चाहते हैं कि हमारे यहां भी आय का अन्तर कम हो लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा । हम चाहते हैं कि हमारे यहां की जनता खुशहाल बने । लेकिन इसके लिये सब को एक साथ मिलकर प्रयत्न करना चाहिये । लेकिन हम एक साथ मिलकर प्रयत्न करने की अपेक्षा एक दूसरे की निन्दा करते हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक कोई सबूत न हो तब तक लोगों की ईमानदारी पर छींटे नहीं कसा जाना चाहिये और हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये ।

हम केवल भौतिक समृद्धि नहीं चाहते हम हर क्षेत्र में मानवीय व्यक्तित्व की छाप चाहते हैं । हम सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना चाहते हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं नहीं चहाता कि मानवीय प्रतिष्ठा पर कोई आघात कर सके। हम चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति इस योग्य बन सके कि कोई उसका पोषण न कर सके। लेकिन यह कार्य धीरे धीरे हो सकता है । किसी दूसरे व्यक्ति का गला घोंट कर नहीं । यह कार्य लोकतंत्रीय ढंग से ही हो सकता है । हम चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति स्वतंत्रता से कार्य करे ।

देश की उन्नति बिना आयोजना तैयार किये संभव नहीं है। हमारे संसाधन सीमित हैं। अतः हम अपने वास्तविक संसाधन मानव और धन को इस प्रकार उपयोग करना चाहते हैं कि देश का विकास शीघ्रता से हो । हम अपने देश के विकास के लिये एक सौ वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते जैसे कि अन्य देशों ने किया है । हमारे देश में घोर निर्धनता है हमें यथा संभव शीघ्रता के साथ इसे दूर करना है । लेकिन शीघ्रता में भी सही अनुपात का ध्यान रखना होगा । और यह आयोजना में निहित है ।

हमारे देश में आयोजना आवश्यक है और वह की गयी है और उसकी यथासम्भव व्यवस्था की गयी है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि यह सम्भव है कि हमारी आयोजना शत प्रतिशत सही न हो। परन्तु हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि संसार के इतिहास में इससे पूर्व किसी भी प्रजातंत्र देश में इस प्रकार के कार्य का श्री गणेश नहीं हुआ है। इस लिए यदि कोई कमियां इस का में रह गयी है तो उन पर विचार किया जा सकता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम धन कमाना चाहते हैं जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सके। उसके लिए बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। परन्तु हमें छोटे उद्योगों का महत्व भी कम नहीं करना। उनका भी महत्व है परन्तु उनसे धन नहीं कमाया जा सकता।

आचार्य कृपलानी कहते हैं कि ६० करोड़ तो ११०० करोड़ का पांचवा भाग भी नहीं। परन्तु यदि वर्ष में ६० करोड़ हो तो पांच वर्षों में ३०० करोड़ बनता है। परन्तु यह चौथाई भाग तो हो ही जाता है। १९५०–५१ की आय का देशनांक १०० मान लिया जाये तो १९६० में राष्ट्रीय आय १४०, प्रति व्यक्ति आय लगभग ११९ कृषि उत्पादन १३३, और औद्योगिक उत्पादन १७१ होगा। १९५९ में अनाज की खपत १३·९ औंस से बढ़ कर १६·४ औंस और कपड़े की खपत १२.९ गज से बढ़ कर १६ गज हो गयी है। चीनी की खपत में प्रति व्यक्ति पीछे ७८ प्रतिशत वृद्धि हुई है। १९५९–६० में जितनी साइकल उपलब्ध थी उससे साढ़े तीन गुना अधिक साइकल आज उपलब्ध है। १९५०–५१ में ६ से ११ वर्ष तक की आयु में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ४३ प्रतिशत थी जब कि आज यही संख्या ६१ प्रतिशत हो गई है। पहले ३६८७ गांवों में बिजली थी आज १९००० गांवों में बिजली है। इन थोड़े से तथ्यों और आंकड़ों से स्पष्ट है कि हम कितनी प्रगति कर चुके हैं।

आगे कहा गया है कि विवरण ठीक नहीं। इससे सभी वर्गों के लोगों तथा ग्रामीण लोगों को लाभ नहीं पहुंचा। यह गलत बात है। यह कहना भी गलत है कि गरीब लोगों को लाभ नहीं पहुंचा। गरीबों को लाभ हुआ है और हो रहा है। सरकार इस बात की भरसक कोशिश कर रही है कि खपत बढ़े और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लाभ हो। कुछ मित्रों ने कहा है कि साम्यवादी देशों में कीमतें कभी भी नहीं बढ़ती। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वहां करों की आवश्यकता नहीं, वैसे ही जो चीज यहां २५ रुपये में मिल जाती है वह वहां १०० में मिलती है। इतनी बात मैं स्वीकार करता हूं कि जितना लाभ जनता को मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं हम इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि मूल्य उस स्तर के आगे न बढ़े जिससे लोगों को कठिनाई होती हो। मुझे इस बात पर भी आश्चर्य है कि एक ओर तो यह महानुभाव कीमतें कम करने की मांग करते हैं और दूसरी ओर कृषि के दामों को बढ़ाने की बात करते हैं। यह दो बातें एक साथ कैसे चल सकती है। माननीय सदस्य परस्पर विरोधी मांगें रखते हैं। एक ओर तो वे कहते हैं कि चीनी का मूल्य इतना अधिक है कि विश्व के बाजार में हम प्रतियोगिता नहीं कर पाते। और दूसरी ओर माननीय सदस्य गन्ने का मूल्य बढ़वाने के लिये सत्याग्रह करते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : (फीरोज़ाबाद) : हमारे दल ने कभी भी यह नहीं कहा कि गन्ने का मूल्य इस ढंग से बढ़ाया जाये कि चीनी का मूल्य बढ़ जाये। असल बात तो यह है कि मिल मालिकों के ऊंचे मुनाफों के कारण ही चीनी का मूल्य इतना अधिक है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो हम गन्ने के मूल्य घटा कर चीनी का मूल्य भी घटा दें। लेकिन वह सहमत नहीं होंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : लेकिन तब चीनी के नियंत्रण की आवश्यकता होगी।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसके लिये तो अच्छा यही होगा कि गन्ना-उत्पादक प्रति एकड़ पैदावार बढ़ायें। उससे उनकी आय भी बढ़ेगी। लेकिन आज कल प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने की कोई प्रेरणा इसलिये नहीं है कि गन्ना-उत्पादको को सिखाया जाता है कि वे अपने उतने ही उत्पादन का मूल्य अधिक मांगें। इस तरह गन्ना-उत्पादकों को खुश करने की कोशिश की जाती है। इस तरीके से तो कोई भी प्रगति नहीं हो सकती।

हम चाहते हैं कि कृषकों की दशा में सुधार हो। जिन किसानों के पास पर्याप्त जोत है, आज उनकी हालत अच्छी है, पहले से अच्छी है। दूसरे कृषकों की भी दशा सुधारने के लिये हम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

प्रयत्नशील है। इसीलिये हम सहायक कुटीर उद्योगों की व्यवस्था कर रहे हैं। भूमि सुधार का यही उद्देश्य है। और, भारत जैसे विशाल देश में दस वर्ष की अवधि में भूमि-सुधार कर लेना अपने-आप में एक बड़ी सफलता है। हमने बिना किसी खून-खराबी के, एक ही बार में, लोकतांत्रिक ढंग से जमींदारी खत्म कर दी है। हमारा यही तरीका है। लेकिन कुछ माननीय मित्र कहते हैं कि मूल्य बढ़ने से निर्वाह लागत बढ़ गई है, इसलिए सभी लोगों के वेतन भी बढ़ने चाहियें। फिर बचत कैसे होगी? और बचत न होने पर वे कहेंगे कि बचत ही नहीं होती।

यदि कुछ ऐसी वस्तुओं पर कर बढ़ता है जो बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं हैं, तो उसका उपभोग कम किया जाना चाहिये। लेकिन उसकी भी आलोचना होती है। तात्पर्य यह है कि लोग बड़े गैर-संजीदा ढंग से आलोचनायें करने लगते हैं। लेकिन मैं उतनी गैर-संजीदगी से उनका जवाब नहीं दूंगा।

हम यह नहीं चाहते कि लोग उन वस्तुओं का बल्कुल ही उपभोग न करें। हम तो चाहते हैं कि वे उनका उपभोग करें और अधिक कर अदा करें। उससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हमने इसी दृष्टि से ये कर लगाये हैं।

निजी क्षेत्र में नये बनने वाले समवायों के बारे में कहा गया है कि केवल कुछ ही समवाय हैं जिनको अधिकाधिक लाभ हो रहा है, इसलिये एकाधिकारी पूंजी बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हो। इसीलिये सरकार ने बड़ी बड़ी पूंजी की दरकार वाले उद्योगों के विकास का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन इन बुनियादी उद्योगों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे उद्योग हैं, जिनका विकास होना चाहिय, और जो निजी क्षेत्र कर रहा है उनमें भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके लिये एक दो करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है। हर आदमी तो इतना रुपया नहीं लगा सकता। इसलिये हम ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाते हैं नये-नये उद्यमियों के लिये। लेकिन यदि नये उद्यमी नहीं मिलते, पुराने उद्योगपतियों को ही अनुज्ञप्तियां देनी पड़ती हैं। फिरभी हमारी कोशिश यही रहती है कि उनका आधार ज्यादा से ज्यादा विस्तृत हो। इसीलिये हम एक किसी भी समवाय को किसी ऐसी वस्तु के निर्माण के लिये अनुज्ञप्ति नहीं देते जो उसके वर्तमान निर्माण से सम्बन्ध न रखती हो। हम उनसे कह देते हैं कि उसके लिये एक नया समवाय बनाया जाये और उसके लिये नये शेयर होल्डर बनें। हमारी कोशिश यही रहती है। हम प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मायनों में वह खत्म भी हो चुकी है। हमारी भरसक चेष्टा यही रहती है कि नये समवाय की प्रबन्ध अभिकर्त्ता न बनाया जाये। इसलिये हम समवायों का गठन, उनकी बनावट पिरामिडोंकी तरह नहीं बनने दे रहे हैं। नये समवाय समान स्तर पर फैले हुए एक पठार की भांति हैं। ऐसे नहीं है कि ऊपर जाते-जाते उनकी संख्या कम होती जाये और चोटी पर एक दो ही एकाधिकारी समवाय सबका नियंत्रण करें। तेजी से आगे बढ़ने के लिये यह जरूरी है। यदि तेजी से आगे न बढ़ना हो तो फिर बात दूसरी है; हम जहां के तहां खड़े रह जायेंगे। वह समाजवाद तो नहीं होगा।

यह भी आलोचना की गई है कि हम मशीनों, बिजली और सिंचाई के साधनों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। बिजली की शक्ति का पूरा उपयोग हो रहा है। उसकी तो कमी पड़ रही है। सिंचाई के बारे में आलोचना सही है। लेकिन उसके पूरे-पूरे उपयोग के लिये हमें जनता को सुविधायें जटानी पड़ेंगी। अकर्मन्यता के लिये मैं ग्रीमोण जनता को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि

वह तो समूचे देश की जनता में मौजूद है। फिर भी जनता उसे छोड़ रही है। धीरे-धीरे अकर्मन्यता छंटती जा रही है।

सामुदायिक विकास परियोजनाओं की भी बड़ी कड़ी आलोचना की जा रही है। सामुदायिक परियोजनाओं ने गांवों में एक नया जीवन फूंका है, नव-जागरण पैदा किया है।

सामुदायिक परियोजना प्रशासन भी अब कृषीय उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि पर जोर दे रहा है। अब वह नींवें मजबूत कर रहा है।

हां, कुछ समय पहले कुछ परिस्थितियां ही इस प्रकार की थीं कि वह अधिक प्रगति नहीं कर पाया था।

हमें यदि किसी त्रुटि का पता चले तो हम सदैव उसे ठीक करने के लिये तैयार रहते हैं। हम उन पर पर्दा नहीं डालना चाहते।

हम उद्योगों को अधिकाधिक क्षमताशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरी क्षमता का उपयोग करने की सामर्थ्य आने में कुछ समय तो लगगा।

श्रमिकों को तीसरी पाली की बात शायद पसंद नहीं आई। हम उनसे कह ही सकते हैं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। कच्चे माल और विदेशी मुद्रा की भी कमी है। इनके कारण भी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में हम प्रगति करते जा रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि हमने उद्योगों की अपेक्षा इमारतों पर कहीं अधिक व्यय किया है। श्री डांगे ने यही कहा था। मैं तो अभी तक यही समझता था कि श्री डांगे जो भी कहते हैं काफी सोच विचार कर कहते हैं। उन्हों ने "भवन और निर्माण" के अन्तर्ग लेखा संख्या ३ में दिये गये आंकड़े शायद नहीं देंगे। उस में इमारतें ही नहीं, अस्पताल, स्कूल, और कार्यालय और सड़कें, इत्यादि भी सम्मिलित हैं। कार्यालयों पर तो बहुत ही कम खर्च हुआ है। लेखा संख्या ३ में जो आंकड़े मशीनों और उपकरण के अन्तर्गत दिये गये हैं, वे मुख्यत: रेलवे, डाक तथा तार से सम्बन्धित हैं। गैर-विभागीय सरकारी उपक्रमों की मशीनों और उपकरण पर होने वाला व्यय उस में सम्मिलित नहीं है। वह आय-व्ययक के संसाधनों में से किया जाता है और फिर उन उपक्रमों के खाते में शेयरों, इत्यादि के रूप में डाल दिया जाता है। लेखा संख्या ३ और ४ से यह स्पष्ट है। १९६१–६२ में गैर-विभागीय सरकारी उपक्रमों को इस काम के लिये कुल २०९ करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस वित्तीय सहायता का एक भाग राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारों को दे दिया जायेगा मशीनों और उपकरण में विनियोजित करने के लिये। कुल मिला कर वह भवन और निर्माण के लिये व्यवस्थित राशि से कहीं अधिक होगा।

इस में भी हम भरसक मितव्ययता कर रहे हैं। इसके लिये एक विशेष समिति नियुक्त की गयी थी। उसने इस क्षेत्र में कुछ सुधार भी किये हैं। इस सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्यगण कोई सुझाव दें तो हम उसके लिये उन के आभारी रहेंगे। लेकिन लागत बढ़ने की सिर्फ शिकायतों से तो कुछ नहीं बनेगा।

हम से पूछा जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हम क्यों बना रहे हैं। दिल्ली की बात लीजिय। दिल्ली में कुछ हटमेंट्स हैं जो २०-२० साल पुरानी हैं। उनकी मरम्मत पर बहुत ज्यादा खर्च होता है। उतने से तो पक्की इमारतें खड़ी की जा सकती हैं : जमीन की कीमतें भी बहुत ऊंची चढ़ गई हैं। इसलिये भूमि और खर्च दोनों की बचत के लिये हम, हम कई मंजिली इमारतें बना रहे हैं : हमें ऊंची इमारतों का कोई शौक नहीं है।

[श्री मोरारजी देसाई]

उन ऊंची इमारतों को भी हम ज्यादा सजाने की कोशिश नहीं करते। हां, इतना ख्याल जरूर रखते हैं कि वे भद्दी न लगें।

प्रतिरक्षा व्यय और उसी सिलसिले में प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति का भी प्रश्न उठाया गया था। कहा गया है कि प्रतिरक्षा व्यय कम है। जितना आवश्यक होता है, हम करते हैं। लेकिन मनमानी भी नहीं होने देते। सीमाओं की प्रतिरक्षा के लिये जितनी भी जरूरत पड़ेगी, हम पूरी करेंगे। आय-व्ययक में तो केवल यही दिया गया है कि अभी फिलहाल कितनी राशि की जरूरत है। आवश्यकता पड़ने पर हम अनुपूरक आय व्ययक रखेंगे। इन मामलों में यही अच्छा रहता है कि हम अपनी फौरी जरूरत को सामने रखें। ज्यादा दूरी की योजनाओं की बात करना ठीक नहीं रहता। दूसरों को उसके बारे में जितना कम मालूम हो, उतना ही अच्छा है। लेकिन माननीय सदस्य शायद यह नहीं सोचते।

यह भी कहा गया है कि सेना में कुछ ऐसी पदोन्नतियां की गई हैं, और वरिष्ठ अधिकारियों के मुकाबले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया गया है, जिससे सेना में पस्त हिम्मती फैली है। लेकिन ऐसी बातें करने से कहीं ज्यादा पस्त हिम्मती फैलती है। सैनिक संगठन कुछ इतने नाजुक ढंग का होता है कि उस पर ऐसी बातों का असर बड़ी जल्दी पड़ता है। सेना में पदोन्नतियां तो होती ही हैं। और अगर हम नियम बना लें कि उच्च पदों पर हमेशा वरिष्ठ अधिकारी ही पदोन्नत किये जायेंगे, तो बड़ी गड़बड़ी फैल जायेगी। हर क्षेत्र में उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना चाहिये जो अधिक क्षमताशील और अधिक दृढ़ हों। सरकार की यह नीति है। यदि हमें किसी के प्रति कोई पूर्वग्रह हो, तो उस के लिये सेना को हानि पहुंचाना गलत होगा।

†श्री राजेन्द्र सिंह : सच बात भी न कही जाये ?

†श्री मोरारजी देसाई : यदि मैं भी कुछ सच बातें कहना शुरू करूं तो शायद माननीय सदस्य सुन नहीं सकेंगे। लेकिन म इस मामले में समझदारी से काम लूंगा। माननीय सदस्य को भी इससे सबक लेना चाहिये। हर जगह हर मौके पर हर सच बात नहीं कही जाती। सच होते हुए भी बेटा अपनी मां से नहीं कहता कि उसके पति उस के पिता हैं। न अपने पिता से कहता है कि वह उसकी मां के पति हैं। सचाई को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। सचाई का अर्थ मूर्खता तो नहीं होता। ऐसे मामलों में देश के हितों को ही सर्वोपरि मानना चाहिये।

जो भी माननीय सदस्य चाहें परामर्शदात्री समिति से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं सेना के सम्बन्ध में। प्रतिरक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री से भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरह सभा में व्यक्तिगत मामलों को उठाने का नतीजा यह होगा कि सेना में फूट की प्रवृत्तियां घर करने लगेंगी।

मेरा यही विनम्र निवेदन है। मैं इस समय अपने सहयोगी की ओर से सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वैसे उन की सफाई देना मेरा कर्तव्य है। मैं व्यक्तियों की परवाह नहीं करता। कोई मंत्री रहे या न रहे, लेकिन अगर सेना में फूट पड़ जायेगी, तो देश पर विपत्ति आ जायेगी। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे मामलों पर सावधानी के साथ बात करनी चाहिये।

आचार्य कृपालानी और कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा हैं कि देश का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। गिरता जा रहा है या नहीं—यह तो मुझे मालूम नहीं, पर हां गिरा हुआ अवश्य था। मैं जानता हूं कि देश में एकता नहीं थी। हम एकता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता

†मूल अंग्रेजी में

प्राप्ति के लिये, उसके आह्वान पर देश को एक किया था। उस आह्वान में बड़ी शक्ति थी, बड़ा आकर्षण था। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति होने के बाद, वह खत्म हो गई। महात्मा गांधी भी हमारे बीच से उठ गये, हमारे ही दोषों के कारण। अब हमें फिर से एकता करनी है। लेकिन वह तभी हो सकती हैं जब हम एक दूसरे से सहानुभूति रखें और इतनी खुली आलोचना न करें कि दूसरे देशों के लोग कहने लगें कि हमारे बीच झगड़े फिसाद और फूट हैं। हमें ऐसी चीजों पर बड़ी समझदारी, बड़ी सावधानी के साथ और बिना किसी शोरशराबे के विचार करना चाहिये। पहले हमारे देश में जातियां थीं। अब जातियां खत्म हो रही हैं, जातिवाद की भावना मिट रही हैं। यह बड़ा अच्छा लक्षण हैं। कुछ बुरे लक्षण भी हैं। लेकिन अच्छे लक्षण कहीं ज्यादा हैं।

देश के पुनर्गठन के समय काफी गड़बड़ी हुई थी, जरूर हुई थी। लेकिन अब पुनर्गठन हो चुका है और हम शान्तिपूर्वक रह रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश इतने अच्छे ढंग से राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सका है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कितना जीवट हैं, प्राणवन्त शक्ति कितनी हैं। हम धीरे धीरे जातियों और अलग अलग विश्वासों, अलगाव पैदा करने वाले विश्वासों की बाधायें दूर करते जा रहे हैं। देश में एकता पैदा होती जा रही है। लोग एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। मेरे हरिजन मित्र कहते हैं कि जितना किया जाना चाहिये था, उतना नहीं किया गया है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, पर हम भरसक चेष्टा कर रहे हैं। आखिर २,००० वर्ष से चली आने वाली बुराइयों को उखाड़ फेंकने में कुछ समय तो लगेगा। सब से अन्तिम बाधा को दूर करने में ही सब से अधिक जोर लगाना पड़ता है। हम कई बाधाओं को दूर कर चुके हैं, और शेष को भी जल्द ही दूर कर देंगे। लकिन यदि हम आपस में लड़ने लगे, तो बाधाओं को दूर करने में समय भी ज्यादा लगेगा और प्रयत्न भी ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय एकता बनाना सर्वोपरि हैं। हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिये कि जिनसे जनता में अलगाव पैदा हो।

पंचतंत्र की एक कथा मैंने पढ़ी थी। उस में कीलोत्पाटीव वानरः की एक कथा है। एक और भी कथा हैं जिस में एक वानर जख्मी हो गया था। दूसरे वानरों ने उस के जख्म को और खोल दिया था और वह मर गया था। ऐसा ही कुछ हम भी कर रहे हैं। नतीजा वही हो सकता हैं कि हमारा अस्तित्व ही न रहे।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मैंने प्रधान मंत्री की बात उद्धृत की थी। माननीय मंत्री कहते हैं कि यदि हम इसी ढंग से चलते रहेंगे तो हमारी योजनाये चौपट हो जायेंगी। क्या इस पर विदेशी हमारी खिल्ली नहीं उड़ायेंगे।

मैं तो चाहता था कि माननीय मंत्री कुछ आत्म-विश्लेषण करें। बतायें कि देश किस दिशा में जा रहा है। यदि वह इस की ओर ध्यान ही न दें, तो खेद की बात हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं तो यह नहीं कहता कि मैं उस की परवाह नहीं करता। मैं परवाह कर रहा हूं।

†**आचार्य कृपालानी** : इतने गंभीर विषय पर इतने हल्के-फुल्के ढंग से, सतही ढंग से बात नहीं करनी चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं पूरी गम्भीरता से बात कर रहा हूं। माननीय मित्र ही धैर्य से काम नहीं ले हैं। इतनी अधीरता दिखा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : आलोचना एक सीमा तक ही उचित होती है। उस से आगे बढ़ कर, वह दोषारोपण और आरोप का रूप धारण कर लेती हैं। तब उस से भंडाफोड़ और विनाश ही हो सकता है।

†**आचार्य कृपालानी** : मैंने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया। मैं ने तो वही कहा है जो प्रधान मंत्री ने कहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे इतने व्यक्तिगत ढंग से क्यों ले रहे हैं ?

†**श्री मोरार जी देसाई** : मैंने माननीय मित्र की कोई आलोचना नहीं की। पता नहीं उन्होंने ऐसा अर्थ क्यों लगा लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री सभी माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर दे रहे हैं। केवल आचार्य कृपलानी उसे इतने व्यक्तिगत ढंग से ले रहे हैं।

†**श्री मोरार जी देसाई** : मैं सिर्फ अपनी बात सभा के सामने रख रहा हूं। आचार्य कृपालानी ने कहा कि देश में एकता नहीं है। मैंने उससे आगे यह कहाहै कि देशमें एकता नहीं है, और हम एकता के लिये प्रयत्नशील हैं। मैं यही बात रख रहा हूं कि एकता बनाने के अलावा और कोई चारा हमारे सामने है ही नहीं। मैं आचार्य जी की बात काटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देश में एकता कैसे कायम की जा सकती है। क्या मैं अपने कुछ सुझाव भी उनके सामने नहीं रख सकता। माननीय सदस्य यह क्यों समझते हैं कि मैं उनके खिलाफ़ कुछ कह रहा हूं। मुझे उनके मंशा पर कोई शक नहीं। उनकी बुद्धि और समझदारी पर मुझे कोई सन्देह नहीं। हां कुछ मामलों में उनकी समझदारी ज्यादा हो सकती है, और कुछ अन्य मामलों में मेरी समझदारी उनसे ज्यादा हो सकती है। यदि कोई शिष्य अपने आचार्य अपने गुरु से आगे निकल जाये, तो उसका श्रेय भी गुरु को ही मिलता है। इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब मैं मद्रास के माननीय सदस्य की बात लेता हूं। उन्हों ने कहा कि मुझ में दक्षिण के प्रति विरोध भावना थी। पता नहीं वह यह बात कहां से ले आये। परन्तु उन के अन्दर तो स्वयं को और अपने दल को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति विरोध-भावना है। इसीलिये वह प्रत्येक स्थान में विरोध-भावना देखते हैं। वह और उनका दल प्रत्येक व्यक्ति की निन्दा करते हैं। वे अलग होना चाहते हैं और देश की एकता नष्ट करना चाहते हैं। (**अन्तर्बाधायें**) जब स्वतंत्रता आन्दोलन चल रहा था तो वे उसका विरोध करते थे। वे ब्रिटिश सरकार के साथ थे तथा उन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया था।

†**श्री सम्पत** : (नामक्कल) : मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारा दल १९४९ में अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना था।

†**श्री पलनियाण्डि** : उनकी परम्परा ही यह रही है। उन्हो ने साइमन कमीशन को आमंत्रित किया जबकि हम उस के विरोधी थे (**अन्तर्बाधायें**)।

†**श्री सम्पत** : वह जस्टिस पार्टी थी जिसके नेता अब कांग्रेस में हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे अन्दर दक्षिण के प्रति कोई भी विरोध-भावना नहीं है। मैं अपने को किसी एक भाग का नहीं वरन् समस्त देश का मानता हूं परन्तु वह केवल तामिलनाड के बन कर रहना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री भी विन्ध्याचल से दक्षिण की ओर के हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई:** मैं अपने को उत्तर का नहीं कहता हूं । मैं दक्षिण का भी उतना ही सम्मान करता हूं जितना कि पूर्व और पश्चिम का करता हूं । हम चारों ओर समान विकास चाहते हैं । यदि हम मिल कर काम करें और एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न न करें तो हम समस्त प्रदेशों का विकास कर सकते हैं । इसलिये यह नहीं कहा जाना चाहिये कि मुझ में दक्षिण अथवा किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई विरोध-भावना है । उन्हें अन्य लोगों के प्रति अपनी विरोध-भावना को भुला देना चाहिये । मैं उनसे केवल यही अपील कर सकता हूं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : करों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं उनके बारे में वित्त विधेयक के अवसर पर बोलना चाहता था ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** बजट पर पहले इस सभा में चर्चा किये जाने के बारे में क्या हुआ ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** वह मेरा कार्य नहीं है ।

सुपारी, मिटटी का तेल, तम्बाकू आदि पर करों की चर्चा की गई थी । मैं ने दूसरी सभा में इसकी व्याख्या की थी और वह इस सभा के माननीय सदस्यों के सामने भी रखा गया था । जहां तक सुपारी का सम्बन्ध है उसमें कुछ करने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि कर केवल आयात की गई सामग्री पर लगाया जाता है । स्थानीय सामान पर कर नहीं लगाया जाता है । हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जो लोग आयात करते हैं वे मूल्य न बढ़ा सकें और इसके लिये हमने उन से कह दिया है कि यदि वे मूल्य बढ़ायेंगे तो भविष्य में उन्हें आयात लाइसेंस नहीं मिलेगा । भविष्य में उन्हीं लोगों को आयात लाइसेंस दिये जायेंगे जो मूल्य नहीं बढ़ायेंगे । हम इस प्रकार के मार्गोपाय ढूंढने का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि भविष्य में बजट के बाद मूल्य न बढ़ सकें और जैसाकि अभी होता है । परन्तु यह बड़ा कठिन कार्य है । उसका एक उपाय निवारक निरोध अधिनियम है यदि माननीय सदस्य सरकार को उसे लागू करने की शक्ति प्रदान करें । परन्तु हो सकता है कि फिर भी कुछ कठिनाई पड़े ? कुछ व्यापारी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उनके पास कोई माल न रहे । अतः यह इतनी साधारण बात नहीं है जितनी के मालूम पड़ती है । मैं इस बात का गंभीर प्रयत्न कर रहा हूं कि हम इसके लिये क्या कर सकते हैं कि बजट की घोषणा के पश्चात चीजों के मूल्य न बढ़ें जैसाकि अभी होता है, यद्यपि मैं ने हमेशा यह देखा है कि एक या दो महीने बाद मूल्य फिर स्थिर हो जाते हैं ।

मैं ने विभिन्न श्रेणियों के लोगों की कठिनाइयों का विचार किया है जिनका दोनों सभाओं में हुई बहस में संकेत किया गया था और अनेक प्रतिनिधिमंडलों से भेंट भी की है जिन्हें अपनी कठिनाइयां पेश करनी थीं । अब उन सब पर विचार करने के पश्चात मैं मिट्टी के तेल पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि को ५० प्रतिशत कम कर देने का विचार कर रहा हूं । इस के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं कि घटिया किस्म का मिट्टी का तेल शीघ्र बन्धन से मुक्त हो जाय ताकि वह देश क विभिन्न भागों में उपलब्ध किया जा सके । चूंकि इस प्रकार के मिट्टी के तेल पर कर में कोई वृद्धि नहीं हुई है इसलिये उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी । आसाम आयल कम्पनी द्वारा उत्पादित किया जाने वाला कुछ तेल भी इस श्रेणी में आ जाता है तथा वह खुले तौर से आ जा रहा है । घटिया किस्म के मिट्टी के तेल का आयात बढ़ाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ताकि वह समस्त देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके । बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल के बजाय घटिया तेल के आयात से विदेशी मुद्रा पर व्यय भी कम हो जायगा । जो तेल आजकल घटिया कहलाता है उस में कार्बन की मात्रा अधिक नहीं होती है तथा वास्तविक प्रयोग में उससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

मैं तीन या चार बिजली के करघों वाले एककों पर भी, जो सूती कपड़े पर पहली बार उत्पादन शुल्क का भुगतान करेंगे, संयुक्त शुल्क को ५० प्रतिशत कम कर देने के लिये कदम उठा रहा हूं। इसी प्रकार बिजली के करघों के छोटे एककों के लिये खंड आधार पर कर शुरू करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ताकि संक्रमण की अवस्था में कर का भार अधिक न पड़े।

१ से १० नवम्बर तक के सूतों को छूट देने के अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं जिससे मोटे कपड़े और हथकरघे पर बुने जाने वाले गलीचों को लाभ हो सके। मैं इनको स्वीकार करने का विचार कर रहा हूं। मैं ने ऊनी गलीचों के मामले पर भी विचार किया है। ऐसे गलीचों का अधिकतर निर्यात किया जाता है तथा उन्हें ऊन पर शुल्क की पूर्ण वापसी दिलाने के लिये कदम उठाये जायेंगे। दूसरी ओर ऐसे गलीचों के निर्माताओं द्वारा खरीदी गई ऊन को, उस के कपड़े के निर्माण के लिये व्यपवर्तन को रोकने की दृष्टि से, पूरी छूट देना संभव नहीं है।

जो परिवार बिना बिजली के प्रयोग और किराये के मजदूरों की सहायता के उत्पादन करते हैं उन को कठिनाई से बचाने के लिये उन के उत्पादन को शुल्क से छूट देने के लिये कदम उठाये गये ह और यह नीति जारी रखी जायेगी। इसी प्रकार छोटे उत्पादकों के लिये प्रशासकीय असुविधा कम करने के लिये मैं यह विचार कर रहा हूं कि उन से उत्पादन शुल्क की वसूली उन के उत्पादन के स्थान पर उत्पादन-शुल्क अधिकारी की नियुक्ति द्वारा न कर के उन के हिसाब के आधार पर ही, जिस की समय समय पर जांच की जा सके, कर लेने के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि हिसाब सही और नियमित रूप से रखे जायें और करापवंचन न हो।

मैं ने घटिया किस्म की काफी के उत्पादकों के मामले पर भी विचार किया है जिस का कोई निर्यात बाजार नहीं है। यदि इस प्रकार की काफी को अलग रखने और करापवंचन को रोकने के लिये उपयुक्त उपाय निकाले जा सकें तो मैं ऐसी काफी को शुल्क की वर्तमान वृद्धि से आंशिक छूट देने के लिये तैयार हूं।

मैं ने व्यापारियों के साथ हुई चर्चा के दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि प्लासटिक, कांच, और कांच के सामान के मामले में शुल्क केवल एक अवस्था में होगा अर्थात प्लासटिक के मामले में पाउडर, ग्रैन्यूल अथवा फ्लेक की अवस्था में और कांच के मामले में चादर और ट्यूबों की अवस्था में। शुल्क भुगतान किये गये प्लास्टिक पाउडर अथवा कांच की चादर या कांच की ट्यूब से बनी अन्य चीजों पर कर नहीं लगाया जा सकेगा। परन्तु कर-अनुसूची में अन्य श्रेणियों को रखना आवश्यक है ताकि इन श्रेणियों में आने वाली आयात की गई चीजों पर प्रतिशुल्क निश्चित हो जाय।

सुपारी के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें आई हैं जिन का उल्लेख मैं कर चुका हूं।

जैसाकि मैं सभा में अनेक बार कह चुका हूं, यह सरकार कुटीर उद्योगों की समुचित रक्षा करने के लिये सदैव प्रयत्नशील है और जब हम उन का किसी प्रकार का नुकसान होते देखेंगे तो वर्ष भर उन की रक्षा करने के लिये कदम उठायेंगे। करों के मामले में मैं इतना ही कह सकता हूं।

†**श्री त्यागी** : हुक्के की तम्बाकू के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** :वह कोई अधिक व्यय नहीं है और कर कम करने का कोई प्रश्न नहीं है (**अन्तर्बाधा**)।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्य उठे––

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । शेष बातें वित्त विधेयक पर चर्चा के समय कही जा सकती हैं ।

---

## लेखानुदानों की मांगें, १९६१-६२

**वर्ष १९६१–६२ के लिये अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| १ | वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय | ६,४४,००० |
| २ | उद्योग . . | १,६४,५५,००० |
| ३ | नमक . . . | ४,४७,००० |
| ४ | वाणिज्यिक सूचना और आंकड़े . . . | ७,७७,००० |
| ५ | वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय . . . . | १९,६६,००० |
| ६ | सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . | २,५५,००० |
| ७ | सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता | २५,०५,००० |
| ८ | प्रतिरक्षा मंत्रालय . | ३,६५,००० |
| ९ | प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . . | १७,३५,९७,००० |
| १० | प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना . . | १,६७,०५,००० |
| ११ | प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायु-सेना . . | ५,२४,४६,००० |
| १२ | प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय | १,५५,००,००० |
| १३ | शिक्षा मंत्रालय . . | ३,५३,००० |
| १४ | शिक्षा . . . . . | १,३९,९५,००० |
| १५ | शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और अन्य व्यय | २४,४९,००० |
| १६ | आदिम-जाति क्षेत्र . . . . | ८९,७६,००० |
| १७ | नागा पहाड़ियां––त्वेनसांग क्षेत्र . . | ३१,०५,००० |
| १८ | वैदेशिक-कार्य . . . . . | १,०२,०७,००० |
| १९ | पाण्डीचेरी राज्य . . . . | ३५,९८,००० |
| २० | वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय . | २७,२६,००० |
| २१ | वित्त मन्त्रालय . . . . | १४,५८,००० |

†मूल अंग्रेजी में

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| २२ | सीमा-शुल्क . | ३३,५०,००० |
| २३ | संघ उत्पादन शुल्क . | ७४,६०,००० |
| २४ | निगम कर आदि सहित आय पर कर | ४९,३९,००० |
| २५ | अफीम | ४,९२,०२,००० |
| २६ | मुद्रांक . | २२,२२,००० |
| २७ | लेखा-परीक्षा | ९९,२८,००० |
| २८ | चल-मुद्रा | ४३,६३,००० |
| २९ | टकसाल . . | ५७,५७,००० |
| ३० | प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन | १,९६,००० |
| ३१ | अतिवयस्कता भत्ता तथा निवृत्ति वेतन . . | ७९,१८,००० |
| ३२ | वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय | १,२०,३२,००० |
| ३३ | योजना आयोग . . | ७,२८,००० |
| ३४ | राज्यों को सहायतार्थ अनुदान | १४,६५,३६,००० |
| ३५ | संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन | १,८६,००० |
| ३६ | विभाजन के पूर्व के भुगतान . | १,४०,००० |
| ३७ | खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय | ६,२०,००० |
| ३८ | वन | ८,०३,००० |
| ३९ | कृषि . | ३५,८२,००० |
| ४० | कृषि गवेषणा | ५२,१४,००० |
| ४१ | पशु पालन . . . . | ९,०४,००० |
| ४२ | खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . . . | ९७,२२,००० |
| ४३ | स्वास्थ्य मन्त्रालय . . . . | १,३९,००० |
| ४४ | चिकित्सा सेवायें तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य . | ९०,०१,००० |
| ४५ | स्वास्थ्य मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय | ८,८९,००० |
| ४६ | गृह-कार्य मंत्रालय . . . | २०,३१,००० |
| ४७ | मन्त्री मण्डल . . . . | ३,१०,००० |
| ४८ | क्षत्रीय परिषदें . . . . | २०,००० |
| ४९ | न्याय प्रशासन . . . | २०,००० |
| ५० | पुलिस . . | ५९,१५,००० |
| ५१ | जनगणना . . . . . | २७,८३,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ५२ | आंकड़े | १३,१२,००० |
| ५३ | भारतीय राजाओं को निजी थैलियां व भत्ते | १,३०,००० |
| ५४ | दिल्ली | १,२३,६९,०९० |
| ५५ | हिमाचल प्रदेश | ७९,१२,००० |
| ५६ | अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह | २४,८३,००० |
| ५७ | मनीपुर | ३३,२९,००० |
| ५८ | त्रिपुरा | ५२,२४,००० |
| ५९ | लक्कद्वीप, मिनीकोय व अमीनद्वीप द्वीप समूह | २,२९,००० |
| ६० | गृह-कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय | ५,८१,००० |
| ६१ | सूचना और प्रसारण मन्त्रालय | १,१९,००० |
| ६२ | प्रसारण | ४६,७६,००० |
| ६३ | सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा व्यय | ३३,४६,००० |
| ६४ | सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय | २,००,००० |
| ६५ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें | १३,६२,००० |
| ६६ | सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय | २०,७९,००० |
| ६७ | श्रम और रोजगार मन्त्रालय | २,११,००० |
| ६८ | मुख्य खान निरीक्षक | १,९३,००० |
| ६९ | श्रम और रोजगार | ४८,३८,००० |
| ७० | श्रम और रोजगार मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग तथा अन्य व्यय | ९,००० |
| ७१ | विधि मन्त्रालय | ३,१६,००० |
| ७२ | निर्वाचन | २,३७,००० |
| ७३ | विधि मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध व्यय | १२,००० |
| ७४ | पुनर्वास मन्त्रालय | २,३०,००० |
| ७५ | विस्थापित व्यक्तियों तथा अल्प-संख्यकों पर व्यय | ९३,९८,००० |
| ७६ | वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय | २,८७,००० |
| ७७ | पुरातत्व | ११,०५,००० |
| ७८ | भारत का सर्वेक्षण | १६,५१,००० |
| ७९ | वनस्पति सर्वेक्षण | २,०९,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ८० | प्राणिकीय सर्वेक्षण . . . | १,३९,००० |
| ८१ | वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय . | १,६७,१९,००० |
| ८२ | वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय . | ४,६५,००० |
| ८३ | इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय | ३,३२,००० |
| ८४ | भूतत्वीय सर्वेक्षण . . | २६,४३,००० |
| ८५ | इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और अन्य व्यय | ३,३८,१४,००० |
| ८६ | परिवहन तथा संचार मन्त्रालय . . | ५,८३,००० |
| ८७ | भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) | ६,२४,३९,००० |
| ८८ | डाक तथा तार सामान्य राजस्व में लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग . . . | ९६,४०,००० |
| ८९ | वणिक नौवहन . . . | ६,३६,००० |
| ९० | प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत | १२,५५,००० |
| ९१ | ऋतु विज्ञान विभाग | १६,६७,००० |
| ९२ | समुद्र पार संचार सेवा . | ५०,९७,००० |
| ९३ | उड्डयन . | ५४,९१,००० |
| ९४ | केन्द्रीय सड़क निधि . | ३६,३७,००० |
| ९५ | संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित) . . . | ५४,३३,००० |
| ९६ | परिवहन तथा संचार मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और अन्य व्यय . . | २३,११,००० |
| ९७ | निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय | ५,४१,००० |
| ९८ | सम्भरण . | २५,७१,००० |
| ९९ | अन्य असैनिक निर्माण कार्य | २,७६,९५,००० |
| १०० | स्टेशनरी और मुद्रण . . . . | ७४,४६,००० |
| १०१ | निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय के अन्तर्गत विविध विभाग और व्यय | ५,५४,००० |
| १०२ | अणु शक्ति विभाग | १,३७,००० |
| १०३ | अणु शक्ति गवेषणा . | ४८,८०,००० |
| १०४ | संसद् कार्य विभाग . | २१,००० |
| १०५ | लोक-सभा . . | ८,२४,००० |
| १०६ | लोक-सभा के अन्तर्गत विविध व्यय . . . | ४२,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि | |
|---|---|---|---|
| १०७ | राज्य सभा . | ३,१७,००० | रुपये |
| १०८ | उपराष्ट्रपति का सचिवालय . . | ६,००० | रुपये |
| १०९ | वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय का पूंजी व्यय . | २,२२,२१,००० | रुपये |
| ११० | सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय का पूंजी व्यय | ५४,१०,००० | रुपये |
| १११ | प्रतिरक्षा मन्त्रालय का पूंजी व्यय | २,७४,७२,००० | रुपय |
| ११२ | शिक्षा मन्त्रालच का पूंजी व्यय | १,५१,००० | रुपये |
| ११३ | वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय का पूंजी व्यय . | ७,३६,००० | रुपये |
| ११४ | इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व व्यय | २,७१,००० | रुपये |
| ११५ | चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय | ८५,६६,००० | रुपये |
| ११६ | टकसालों पर पूंजी व्यय . . | ५८,००० | रुपये |
| ११७ | सेवा निवृत्ति वेतन का परिगणित मूल्य | १२,३८,००० | रुपये |
| ११८ | वित्त मन्त्रालय पर अन्य पूंजी व्यय . | ६,७८,८७,००० | रुपये |
| ११९ | राज्यों के विकास के लिये अनुदानों पर पूंजी व्यय . . | १,४३,००,००० | रुपये |
| १२० | केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और पेशगियां | १४,२१,६९,००० | रुपये |
| १२१ | वनों पर पूंजी व्यय | ४८,००० | रुपये |
| १२२ | खाद्यान्नों का क्रय . . . | १७,९४,३७,००० | रुपये |
| १२३ | खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय | ४,४४,९५,००० | रुपये |
| १२४ | स्वास्थ्य मन्त्रालय का पूंजी व्यय . | १,०५,३८,००० | रुपये |
| १२५ | गृह-कार्य मन्त्रालय का पूंजी व्यय . | ७,६९,००० | रुपये |
| १२६ | सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का पूंजी व्यय | ४१,१७,००० | रुपये |
| १२७ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय | २७,९०,००० | रुपये |
| १२८ | सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय का अन्च पूंजी व्यय | १,०२,४३,००० | रुपये |
| १२९ | श्रम और रोजगार मन्त्रालय का पूंजी व्यय | ६६,००० | रुपये |
| १३० | पुनर्वास मन्त्रालय का पूंजी व्यय . . | १,४०,८३,००० | रुपये |
| १३१ | वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय का पूंजी व्यय . . | ३३,४०,००० | रुपये |
| १३२ | इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय का पूंजी व्यय . . | ६,५६,०८,००० | रुपये |
| १३३ | डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया) | १,६९,९४,००० | रुपये |
| १३४ | असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय | ३६,३३,००० | रुपये |
| १३५ | पत्तनों पर पूंजी व्यय | २४,०४,००० | रुपये |
| १३६ | सड़कों पर पूंजी व्यय . . . . | २,६८,०८,००० | रुपये |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| १३७ | परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | १,११,८९,००० रुपये |
| १३८ | दिल्ली पूंजी व्यय . | १,०१,७७,००० रुपये |
| १३९ | भवनों पर पूंजी व्यय . | ८०,७५,००० रुपये |
| १४० | निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय . | १९,७५,००० रुपये |
| १४१ | अणु शक्ति विभाग का पूंजी व्यय . . . | ४५,५०,००० रुपये |

**अध्यक्ष महोदय द्वारा उपर्युक्त मांगें सभा के समक्ष मतदान के लिये रखी गयीं और स्वीकृत हुईं ।**

---

## विनियोग (लेखानुदान) विधेयक १९६१

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान् मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्रीमान् मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ और ३ विधेयक का अंग बनें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।**

**खंड १, अधिनियम सूत्र और शीर्षक भी विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

## बीमा (संशोधन) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करती हू :

"कि बीमा अधिनियम १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

बीमा सामान्यतया दो प्रकार का है, एक तो जीवन बीमा दूसरे सामान्य बीमा । सामान्य बीमा में, आग का बीमा, दुर्घटना के लिए बीमा, मोटर बीमा आदि शामिल हैं ।

सामान्य बीमे का एक महत्वपूर्ण पहलू है पुनः बीमा करना । पुनः बीमा करने से जो अभिप्राय है उसे मैं संक्षेप से बताऊंगी । मानलो एक २० लाख रुपये के कारखाने का बीमा किसी कम्पनी के यहां हुआ है जो आग आदि से होने वाली हानि की पूर्ति करेगी । यदि दुर्भाग्य से सारा कारखाना ही जल जाय तो कम्पनी को २० लाख रुपया देना होगा । २० लाख रुपया काफी बड़ी रकम है जिसे यदि एक ही कम्पनी को अदा करने पड़े तो शायद वह कम्पनी ही टूट जाय । इसलिए ऐसी कम्पनियां ऐसी हालत से बचने के लिए दूसरी कम्पनियों से साझेदारी करती हैं । कई कम्पनियां मिल कर सारा भार उठाती हैं । यदि ९ कम्पनियां और मिल जायें तो प्रत्येक कम्पनी को २ लाख रुपये अदा करने होंगे । यदि वे सारी कम्पनियां खासी हैं तो उन्हें २ लाख रुपये का भार असह्य नहीं लगेगा । जो कम्पनी छोटी होगी वह सामान्य रूप से छोटी जिम्मेदारी लेगी । इसी व्यवस्था को पुनः बीमा करने की प्रक्रिया कहते हैं । इसका मतलब यह है कि मूल कम्पनी कुछ काम का भार दूसरों से सांझा कर ले ' है ।

अब मैं इस प्रकार के वित्तीय सौदों के बारे में भी दो शब्द कहूंगी । बीमा करने वाली मूल कम्पनी साझेदार कम्पनी को अनुपात से प्रीमियम की रकम अदा कर देती है और फिर उससे पुनः बीमा करने का कमीशन ले लेती है । उस कमीशन की दर दोनों कम्पनियों के बीच तय हो जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

इससे यह होता है कि जब कभी अदायगी का दावा होता है तब पुनः बीमा करने वाली कम्पनी को अपने हिस्से की रकम अदा करनी पड़ती है। इस तरह से मूल कम्पनी से साझेदारी करने वाली कम्पनियां भी अपना कुछ काम मूल कम्पनी को सौंप देती हैं। इस तरह का व्यापारिक विनिमय चलता रहता है।

इस प्रकार पुनः बीमा करने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा सी चीज़ है। यद्यपि इस काम में विभिन्नताएं भी होती हैं पर इस प्रकरण में उनके बारे में ब्यौरात्मक जानकारी देना अभिप्रेत नहीं है।

अब मैं आपको इस बात के बारे में भी बताना चाहती हूं कि यह काम किस रीति से उदभूत होता है। देश की बीमा कम्पनियां, देश की अन्य कम्पनियों के साथ काफी थोड़ी सी सीमा तक ही ऐसा व्यापार करती हैं। अधिकांश साझेदारी विदेशी कम्पनियों के साथ की जाती है। परन्तु जिन शर्तों पर विदेशी कम्पनियां साझेदारी स्वीकार करती हैं वे कुछ ऐसी होती हैं कि ज्यादा फायदे की नहीं होतीं पर फिर भी इन्हें मजूर करनी पड़ती हैं। इसके अलावा भारत में जो काम है वह फायदेमन्द है। विदेशों में ऐसा काम भारत की तुलना में इतना फायदेमन्द नहीं है। इसलिए यदि भारतीय कम्पनी को विनिमय में विदेशों का काम भी मिल जाय तो भी क्या, उसके, एवज वह अत्यधिक लाभदायक काम देती है।

विदेशी कम्पनियों को काम देना भारतीय कम्पनियों के भी फायदे में नहीं है। वास्तव में विदेशी कम्पनियों को यह काम इस कारण से दिया जाता है कि भारत में पुनः बीमा करने की दृढ़ व्यवस्था नहीं है।

इस काम से हर साल विदेशी मुद्रा की भी हानि होती है। इसके अलावा आयकर भी चला जाता है। विदेशी कम्पनियां भारत के कारोबार से लाभ उठाती हैं और हमें किसी प्रकार का कर नहीं देतीं। इस प्रकार हम आयकर से भी वंचित रह जाते हैं।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकटों सम्बन्धी समिति

### उनासीवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह (रीवां)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनासीवें प्रतिवेदन से सहमत है जिसे १५ मार्च, १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनासीवें प्रतिवेदन से सहमत है जिसे १५ मार्च, १९६१ को सभा में उपस्थापित किया गया था।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

# सरकारी कर्मचारियों की कार्मिक संघ सम्बन्धी कार्यवाहियों के बारें में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्रीमती पार्वती कृष्णन के संकल्प पर और आगे चर्चा करेगी। श्री इन्द्रजीत गुप्त अपने भाषण जारी रखें। परन्तु वह तो यहां नहीं हैं। श्री तंगामणि।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : माननीय प्रस्तावक ने श्रम संघ का सारे इतिहास पर प्रकाश डाला था। श्री बनर्जी तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दो संशोधन प्रस्तुत किये हैं। अतः मैं पहली बातें न कह कर नयी बातें ही कहूंगा।

**[श्री मूलचंद दुबे पीठासीन हुए]**

हड़ताल के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। ऐसी बात नहीं कि हड़तालें केवल भारत में ही होती हों। अभी फ्रांस में भी हड़ताल हुई। आप जानते ही हैं कि करों से वेतनजीवियों पर भार नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। चीजें मंहगी होती जा रही हैं और वेतन लगभग वैसे ही हैं। कर्मचारी यह चाहते हैं कि उनका भत्ता महंगाई के साथ साथ घंटे और बढ़े।

अब नियम ४ ख के अनुसार कोई कर्मचारी किसी भी ऐसे संघ का सदस्य नहीं बन सकता जिसे बनने के ६ महीने के अन्दर अन्दर मान्यता प्राप्त न हो। परन्तु बम्बई उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस नियम को शून्य घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि हम इस चीज को नहीं मानते कि ऐसे संघों की सदस्यता से अनुशासन भंग होगा। इतना होने पर भी अनेक मामले इसी नियम के अन्तर्गत सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं।

मद्रास के डाक व तार विभाग के आडिट अनुभाग में श्री वेंकटरामन के खिलाफ इसी नियम के अनुसार कार्यवाही की गयी। ऐसे ही और भी मामले हैं। परन्तु न्यायपालिका का सम्मान सरकार को करना ही चाहिए।

लेखा-परीक्षा विभाग में से ६० से भी अधिक कर्मचारी हटाये जा चुके हैं। परन्तु सरकार को कुछ तो सहानुभूति से काम लेना चाहिए। इसी प्रकार से रेलवे आदि विभागों में से भी लगभग ७०० के करीब लोग हटाये या मुअत्तिल किये जा चुके हैं। जो मामले अभी विचाराधीन हैं उनके बारे में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

जहां तक हटाये गये कर्मचारियों के मामले पर दुबारा विचार करने का सवाल है उन पर भी ठीक ढंग से कार्यवाही की जानी चाहिए। जिनका अभी फैसला नहीं हुआ उनका भी किया जाय। जिनकी अपीलें नामंजूर हो गयी हैं उन्हें रहम की सी दरख्वास्त देनी पड़ती है। उनके निपटारे में भी देर लगती है। इस कारण उन्हें भी तेजी से निपटाया जाय।

मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा विभाग में ई० एस० डी० पश्चिम बंगाल में मेजर डी० के० गुहा की शिकायतों के आधार पर जिन नौ व्यक्तियों को निकाला गया था उनको निकालने से पूर्व श्री गुहा के रिकार्ड पर भी विचार किया जाये। इन कर्मचारियों के संघों को भी शीघ्र ही मान्यता दी जाये। मेरा निवेदन है कि सरकार को बताना चाहिए कि कर्मचारियों के संघों को मान्यता देने तथा ह्विटले परिषद बनाने के प्रश्न पर सरकार ने क्या निर्णय किया है। जिन कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया है अथवा जिनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है उन्हें बिना किसी देर के ही सेवा में ले

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

लेना चाहिये। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम के अनुसार मजूरी पाने वाले कर्मचारियों के संघ को मान्यता दी जानी चाहिये ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हड़ताल के कारण कितने व्यक्तियों की पदावनति हुई है। कुछ लोगों की वार्षिक वृद्धि भी रोकी गई है। ईशापुर कर्मचारी मंत्रालय के लिये बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और ईशापुर की उन्होंने बहुत उन्नति की है। लेकिन ईशापुर मजदूर संघ के प्रधान को अचानक ही निकाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित जी के उस आश्वासन का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों के साथ मानवीय बर्ताव किया जायेगा। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ न्याय होने में कितना समय लगेगा। अतः मेरा निवेदन है कि इन कर्मचारियों के मामलों पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये। और उन्हें उतना दण्ड नहीं देना चाहिये जितना कि दिया गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : यह संकल्प केवल उन्हीं बातों की मांग करता है जो उन सामान्य औद्योगिक कर्मचारियों को प्राप्त है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन आते हैं। इस अधिनियम में एक धारा है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति मजदूर संघ अथवा मजदूर संघ के किसी भी कार्यकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। इस संकल्प के द्वारा हम सरकार से केवल यही मांग कर रहे हैं कि जब कभी भी किसी ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करनी हो, जो कार्मिक संघ का कार्यकर्ता हो तो ऐसे मामलों को संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज कर उनकी राय लेनी चाहिये। ऐसा करना नितान्त आवश्यक है। मेरा यह भी निवेदन है कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये मजदूर संघ होना नितान्त आवश्यक है। ये संघ न केवल मजदूरों के लिये अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं बल्कि उस विभाग के उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायक हैं। मेरा तो यही कहना है कि जब मजदूर संघों को मान्यता देते हैं तो इनके कर्मचारियों की सुरक्षा क्यों नहीं करते। किसी भी कर्मचारी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकार लोकतंत्र की दुहाई बड़े जोरदार शब्दों में देती है। अतः मेरा निवेदन है कि हमें संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : माननीय प्रस्तावक ने यह संकल्प कुछ सिद्धान्तों पर सभा की मुहर लगाने की दृष्टि से ही प्रस्तुत किया है। इस संकल्प में दो बातें उठाई गई हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को मज़दूर संघ की कार्यवाही के लिये दंड नहीं देना चाहिये। यह मानना गलत होगा कि सभी सरकारी कर्मचारी कार्मिक संघ के कार्यकर्ता हैं। यह बात माननीय प्रस्तावक महोदय एवं उनके समर्थकों को ध्यान में रखना चाहिये। कर्मचारियों को दो श्रेणी में रखा जा सकता है। ग़ैर औद्योगिक कर्मचारी तथा औद्योगिक कर्मचारी। औद्योगिक कर्मचारियों के लिये कार्मिक संघ अधिनियम तथा अन्य कानून हैं। दूसरी श्रेणी के कर्मचारी भी आवश्यकतानुसार मज़दूर संघ अधिनियम की शर्तों से शासित होते हैं।

औद्योगिक कर्मचारियों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जहां तक कि मज़दूर संघ अधिनियम उन पर लागू होता है उसके अन्तर्गत उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। इन सभी अधिकारों की

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्ण सुरक्षा होती है । लेकिन जब ये कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते अथवा उनका व्यवहार ठीक नहीं होता तो उनको दंड देने से पूर्व कुछ कार्यवाही तो करनी ही पड़ती है ।

दूसरी श्रेणी में सरकार के ग़ैर औद्योगिक असैनिक कर्मचारी आते हैं । ऐसे लोगों की संख्या काफी है । ये लोग मुख्यता केन्द्रीय सेवा आचरण नियमों के अन्तर्गत आते हैं । इस श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी शिक्षा एवं नैतिक स्तर की दृष्टि से काफी विकसित हैं अतः उन्हें मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं दी जाती । कुछ प्रतिबंधों के अधीन उन्हें कुछ संथाएं बनाने की छूट है । नियमों के उल्लंघन के लिये दंड देने के हेतु एक प्रक्रिया भी निर्धारित है । कुछ विशेष मामलों को ही संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाता है। इनके कुव्यवहार एवं कदाचार की जांच करने के लिये एक जांच समिति बनाई जाती है । और जांच पूरी हो जाने के बाद ही मामला संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है । संघ लोक सेवा आयोग ( संविधान से मुक्ति) विनियम के अधीन एक नियम में कहा गया है कि कुछ मामलों में आयोग की राय लेना आवश्यक नहीं है । जहां तक कि सरकारी पदाधिकारियों के सदाचरण का मामला है उस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा नियम, १९५३ उल्लेखनीय है । इन नियमों का उल्लंघन करने के लिये भी एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है । इस प्रक्रिया के अधीन पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से अवकाश प्राप्त करना पड़ता है । यह दंड भी राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ही दिया जाता है । कुछ लोगों को ऐसा दंड दिया गया है लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं है । एक सरकारी कर्मचारी मज़दूर संघ की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता ।

इस संकल्प में एक भ्रम है । पहली बात तो यह मानकर चलना ही भूल है कि सभी सरकारी कर्मचारी मजदूर संघ की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं अथवा मज़दूर संघ बना सकते हैं । लेकिन इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि वे अपना कोई संघ नहीं बना सकते । वे बना सकते हैं लेकिन उसके लिये भी कुछ शर्तें हैं । अतः सरकारी कर्मचारियों की जो दो श्रेणियां हैं उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । दूसरे जब सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आरोप लगाये जाते हैं तो उनकी पूरी जांच की जाती है और कुछ मामलों में ही लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है ।

कर्मचारियों की हड़ताल बहुत नासमझी का काम था और एक अभागा कदम था लेकिन फिर भी सरकार ने इस बारे में बहुत ही नरम रुख अपनाया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और इस सम्बन्ध में सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसका पालन विभिन्न भागों ने पूरी तरह किया है । माननीय सदस्यों द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं और शिकायतें की गई हैं उनकी पूरी पूरी जांच की जायेगी ।

इस हड़ताल में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या ४ लाख से अधिक नहीं थी । इस हड़ताल की समाप्ति के बाद सरकार ने दो काम किये । केन्द्रीय सरकार ने विभागीय कार्यवाही की । जहां तक कि विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सवाल है उनके खिलाफ़ उन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय दंड विधि के अनुकूल कार्यवाहियां कीं । ४५,००० व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां की गईं । इनमें से आधे व्यक्तियों को बहुत मामूली सा दंड दिया गया और उनकी किसी भी रूप में कोई पदावनति नहीं की गई । बहुत से बहुत उनको चेतावनी दी गई या उनकी वार्षिक वृद्धि रोक दी गई । हड़ताल के बाद २७,०९८ व्यक्तियों को मोइत्तिल किया गया । शेष कर्मचारियों को नौकरी पर वापस बुला लिया

[श्री दातार]

गया केवल २६१ व्यक्ति ही आजकल मोअत्तिल हैं। इनके विरुद्ध कार्यवाही अभी निलम्बित हैं। कुछ लोगों को सेवा से हटाया गया अथवा निकाला भी गया। लेकिन ऐसा करने से पूर्व उनकी अच्छी तरह जांच कर ली जाती है कि किन परिस्थितियों में उनके विरुद्ध यह कार्यवाही की जा रही है। फिर भी यह प्रयत्न किया जाता है कि उन्हें हल्के से हल्का दंड दिया जाये। कुल २,०६५ कर्मचारियों को नौकरी से अलग और बरखास्त किया गया था, इनमें से १,८३६ को पुनः नौकरी पर लगा लिया गया है। जहां तक अस्थायी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, २,१३७ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इनमें से २,०११ को वापिस नौकरी पर ले लिया गया है। विभागीय कार्यवाही के ३२१ मामले अभी विचाराधीन है, जिनमें से ४३ मामले ऐसे हैं जिनमें या तो पुलिस छान बीन कर रही है या जो न्यायालय के सामने हैं। केवल २४ व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया है। कुल मिला कर ११,८७६ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये, जिनमें से १,५६० मामलों में लोगों को सजायें हुईं।

इन सब बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार का रवैय्या बहुत ही उदार रहा है। केवल २५ प्रतिशत मामलों में कर्मचारियों के संघों की मान्यता वापिस ली गयी है ह्विटले कौंसिलों के बनाने का प्रश्न अन्तिम रूप में शीघ्र ही तय किया जाने वाला है। सरकार इस बात की पूरी इच्छुक है और प्रयत्नशील है कि कर्मचारी सन्तुष्ट हों। और देश को विकास की ओर ले जाने में हमें उनकी पूरी सेवायें तथा हार्दिक सहयोग प्राप्त हो।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

---

## सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष जी, देवनागरी लिपि को सभी प्रादेशिक भाषाओं की सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार किया जाए जिससे कि वे एक दूसरे के अधिक निकट आ सके, मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए मैं इसके सम्बन्ध में कुछ तथ्य और जानकारी भी देना चाहता हूं। भारत में प्रचलित बोलियों को छोड़कर संविधान की मान्यता के अनुसार इस समय १४ भाषायें प्रचलित हैं। प्रायः सभी भाषाओं के पास अपने अपने साहित्यिक भण्डार हैं जो न केवल उन भाषाओं के लिए अपितु भारत के लिए भी गौरव का विषय है। संस्कृत, बंगला, तमिल, तेलेगू, मराठी और मलयालम भाषाओं के साहित्य तो इतने समृद्ध हैं जिसे देख कर किसी भी राष्ट्र को अपने ऊपर गौरव हो सकता है। परन्तु दुर्भाग्य से इन भारतीय भाषाओं के साहित्यिक भण्डारों का समान रूप से सब लाभ उठा सकें, इसमें एक छोटी सी दीवार लिपि की आ गई है जिससे छोटे छोटे क्षेत्रों में वे भाषायें सिमट कर रह गई हैं। स्वाधीनता से पूर्व जो शासन इस देश में था वह इस विषय में उदासीन ही रहा। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि विचारों के आदान-प्रदान से भारतीयों की सामाजिक और राजनीतिक चेतना का जागृत होना उसके लिए किसी भी रूप में अभीष्ट नहीं था।

यद्यपि उस समय श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती, बंकिमचन्द्र चटर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, जस्टिस शारदाचरण मित्र और मद्रास के जस्टिस कृष्णास्वामी अय्यर, आदि महानुभावों ने इस दिशा में प्रयास भी किए परन्तु क्योंकि उस समय शासन दूसरे हाथों में था इसलिए वे प्रयास जितने सफल होने चाहियें थे, उतनी सफलता उन प्रयासों को नहीं मिल सकी।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने गुजराती होते हुए भी अपने सभी ग्रन्थों की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी स्वीकार कर यद्यपि व्यावहारिक रूप से १८७५ में एक बहुत बड़ा पग इस दिशा में उठाया था परन्तु आन्दोलन के रूप में आन्दोलन बंगाल से चला। जस्टिस शारदाचरण मित्र ने एक लिपि विस्तार परिषद नामक संस्था की स्थापना की और उसकी ओर से "देवनागर" नाम का एक पत्र भी निकाला गया। १९१० में जब प्रयाग में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो उसी समय जस्टिस शारदाचरण मित्र के आग्रह पर टंडन जी ने नागरी सम्मेलन का भी आयोजन किया जिसके अध्यक्ष श्री कृष्णास्वामी अय्यर थे। श्री कृष्णास्वामी अय्यर अपने समय के प्रसिद्ध न्याय-शास्त्री और उद्भट विद्वान थे। श्री कृष्णास्वामी अय्यर ने नागरी सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उस समय जो कुछ सुझाव दिए थे उनको राज भाषा आयोग के प्रतिवेदन में बड़े ही सन्मान के साथ लिखा गया है। मैं उचित समझूंगा कि उनकी कुछ पंक्तियों को इस समय सदन के सम्मुख उपस्थित करूं। श्री कृष्णास्वामी अय्यर ने नागरी लिपि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा था :—

"एक सामान्य लिपि, जब कि देश में २० की संख्या में लिपियां हों और एक सामान्य भाषा की बात, जब कि देश में १४७ भाषायें बोली जाती हों, पहली दृष्टि में एक असम्भव स्वप्न मालूम होती है। किन्तु कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस समस्या पर तुच्छ क्षुद्रताओं से ऊपर उठ कर उदात्त भावना के साथ विचार किया है और वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि आज जो स्वप्न मालूम होता है और जो कि आज केवल भविष्य की आशा मात्र प्रतीत होता है, वह कल, और सम्भव है कल नहीं पो परसों, यथार्थ सत्य हो, और मूर्तरूप में हम उसको देखें। और इसके अतिरिक्त हम को सदा यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि परमात्मा के शब्द-कोष में "असम्भव" शब्द है ही नहीं" ?

श्री अय्यर ने अपने भाषण में आगे चल कर यह भी कहा था :—

"मेरा यह भी विचार है कि बहुत सी लिपियों के अतिरिक्त, जो कि वे सीखते हैं, वे एक सामान्य लिपि भी सीख सकते हैं जो कि सारे देश भर में समझी जाती हों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्षण भर इस बात पर विचार करें कि विभिन्न लिपियों का व्यवहार करने से, हम कितनी बड़ी हानि उठा रहे हैं क्योंकि वे जनता के एक भाग को दूसरे से पृथक करती हैं। भाषा अलग अलग भी हो, किन्तु यदि उनकी लिपि एक ही हो, तो लोगों को शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्ति के ढंग की समानता के कारण अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को समझना भी सरल होगा।"

अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए श्री कृष्णस्वामी अय्यर ने अन्त में एक और भी आवश्यक बातें कही :—

"पुनः मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्या आज यह आवश्यक नहीं कि एक भाषा का साहित्य दूसरे को दिया जाय, विशेषतः यह देखते हुए कि हमारी अनेक देशी भाषायें बहुत से प्रसिद्ध लेखकों द्वारा समृद्ध बनाई गई हैं।"

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

श्री कृष्णस्वामी अय्यर ने जिस समय अपना यह अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस अधिवेशन के समय दिया उस से एक बहुत बड़े अनुकूल वातावरण का निर्माण हमारे देश में हुआ । लेकिन इस से पूर्व भी बनारस में १९०५ में नागरी प्रचारिणी सभा में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने भी इस संबंध में अपने कुछ सुझाव दिये थे और उन को देते समय काशी में उस समय कहा था कि हमारी वर्णमाला में प्रत्येक ध्वनि के लिये एक वर्ण है और प्रत्येक वर्ण के लिये एक ध्वनि है । अतः मैं यह समझता हूं कि इस के बारे में कोई मतभद नहीं हो सकता कि हमें कौन सी वर्णमाला अपनानी चाहिये । देवनागरी ही सब से अधिक उपयुक्त वर्णमाला है ।

अब प्रश्न यह है कि विभिन्न प्रदेशों में वर्णमाला के अक्षरों को लिखने में किस सिद्धान्त अथवा स्वरूप को अपनाया जाये । मैं पहले ही कह चुका हूं कि केवल प्राचीनता के आधार पर यह प्रश्न हल नहीं किया जा सकता । लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के अतिरिक्त मैं आप को महात्मा गांधी के शब्द भी देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में कुछ सुनाना चाहता हूं । डा० जेड० ए० अहमद ने अपनी पुस्तक "नेशनल लैंगुएज फार इंडिया" में गांधी जी की सम्मति देते हुए लिखा है कि जिन विभिन्न भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है अथवा जिन का संस्कृत से घनिष्ट सम्बन्ध है उन की एक ही लिपि होनी चाहिये और वह लिपि देवनागरी लिपि ही हो सकती है । एक प्रान्त के लोगों के लिये दूसरे प्रान्तों की भाषायें सीखने में विभिन्न लिपियां अनावश्यक रुकावटें पैदा करती हैं । यूरोप में भी जोकि एक राष्ट्र नहीं है, सामान्यतः एक ही लिपि अपनाई गई है तो फिर भारत को भी जोकि एक राष्ट्र होने का दावा करता है, और एक राष्ट्र है भी, क्यों न एक लिपि अपनानी चाहिये ।

अभी कुछ समय पहले की घटना है कि जब असम के प्रान्त में भाषाई उपद्रव उठ खड़े हुऐ थे तो उस के पश्चात् हमारे प्रधान मंत्री जी असम का भ्रमण करने के लिये गये थे । वहां पर भाषा समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जहां उन्होंने और बहुत सी बातें कहीं वहां एक बात उन्होंने यह भी कही कि क्या ही अच्छा हो भाषाओं के पारस्परिक इन विवादों को समाप्त करने के लिये और दूसरी भाषाओं को निकट लाने के लिये कि देवनागरी को अगर एक सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाय । हमारे राष्ट्रपति जी ने भी देश में कई स्थानों पर भाषण देते हुए देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में सम्मति व्यक्त की है । कुछ समय पहले भोपाल में भी इसी प्रकार भाषण करते हुए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के अधिवेशन में उन्होंने देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में अपनी सम्मति व्यक्त की थी । अभी कुछ दिन पहले भारतीय संगम का अधिवेशन हो कर चुका है । वहां पर चीन में हमारे जो पहले राजदूत रह चुके हैं और जो वर्तमान में, राज्य सभा में सदस्य हैं, डा० पणिक्कर उन्होंने कहा था कि भारत की भाषाओं को यदि निकट लाना है तो नागरी लिपि को सामान्य रूप से हम को व्यावहारिक रूप देना होगा ।

मैं केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्बंन्ध में ही नहीं, दक्षिण भारत की एक बड़ी साहित्यिक सभा जिसे मलायालम साहित्य सभा कहते हैं उस का भी मत बताना चाहता हूं । उस सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था और प्रस्ताव पास कर के आग्रह किया था कि मलायाली भाषा के लिये अपनी लिपि के अतिरिक्त देवनागरी लिपि को वैकल्पिक रूप में स्वीकार कर लिया जाये तो कहीं अधिक अच्छा हो । मेरा अभिप्राय इस प्रस्ताव को उपस्थित करते समय यह कदापि नहीं है कि जिन भाषाओं के पास अपनी अपनी लिपियां हैं, उन लिपियों को समाप्त कर दिया जाये और उन के स्थान पर

देवनागरी लिपि को मान्यता दे दी जाय। जिन भाषाओं के पास अपनी लिपियां हैं, उन लिपियों के पीछे भी कुछ इतिहास है और उन लिपियों के द्वारा उन भाषाओं को जानने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य तो केवल मात्र इतना है कि भारतीय भाषायें जो छोटे छोटे क्षेत्रों में इस समय सिमटी हुई पड़ी हैं, उन का क्षेत्र बढ़े और वे एक दूसरे के अधिक निकट आयें। इस के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सामान्य लिपि के रूप में एक लिपि को स्वीकार कर लिया जाये और वह लिपि देवनागरी ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाय तो इसे यों भी कहा जा सकता है कि अपनी अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए सामान्य रूप से सब के लिये एक अतिरिक्त वैकल्पिक लिपि देवनागरी यदि मान ली जाये तो इस में अधिक सुविधा होगी।

मैं इस बात को इस दृष्टि से भी कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सम्मुख जो समस्यायें हैं, उन समस्याओं को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिये तथा बदलती हुई परिस्थितियों के साथ भाषा के सम्बन्ध में, सामाजिक रीति रिवाजों के सम्बन्ध में तथा और बहुत सी बातों के सम्बन्ध में भी कुछ परिवर्तन करें। हमारी सभी भारतीय भाषाओं की अपनी वर्णमालाओं का क्रम एक जैसा है। इस बात को कहते हुए मैं थोड़ा इसलिये भी अपने कथन की पुष्टि समझता हूं कि भारतवर्ष में जितनी भी प्रादेशिक वर्णमालायें हैं वे सब "अ" से आरम्भ होती हैं और "ह" पर जा कर समाप्त होती हैं। दूसरे इन वर्णमालाओं में एक सब से बड़ी विशेषता यह भी है कि अक्षरों की संख्या जहां समान है, लगभग बराबर है वहां दूसरी एक यह भी है कि क्रम भी लगभग सब का बराबर है। स्वरों से भाषाओं की लिपियां आरम्भ होती हैं और व्यंजनों पर समाप्त होती हैं। लिपि के सम्बन्ध में यह स्थिति है। उर्दू की लिपि को छोड़ कर मेरा अपना यह विश्वास है कि भारतवर्ष की जितनी भी प्रादेशिक लिपियां हैं, ध्वनियों के अन्दर ९९ प्रतिशत उन में समता है। और आकृति के अन्दर ८० प्रतिशत समता है। कुछ थोड़ा बहुत अन्तर तामिल भाषा की लिपि के अन्दर हो तो हो क्योंकि अक्षरों का थोड़ा अभाव हो सकता है। परन्तु तामिल भाषा की एक दूसरी लिपि भी है जिस को ग्रन्थम कहा जाता है। ग्रन्थम लिपि वह है जिस में ग्रन्थों की रचना की जाती है। वह लिपि एक पूर्ण लिपि है। इस से मेरा अनुमान है कि भारतवर्ष की कोई भाषा इस प्रकार की नहीं है जिसे यदि देवनागरी लिपि में लिखा जाये तो उस में किसी प्रकार की न्यूनता रह जाये।

एक बात मैं और इस सम्बन्ध में सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा। यदि किसी भाषा को देवनागरी में लिखने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो मेरा यह आग्रह नहीं है कि देवनागरी में इस समय जितने अक्षर हैं उतने ही रक्खे जायें। आवश्यकतानुसार उस में परिवर्तन भी हो सकता है। अब मराठी भाषा में ही जैसे हो रहा है ह्रस्व 'ए' और ह्रस्व 'ओ' की कमी को पूरा करने के लिये उन्हों ने देव नागरी लिपि में चन्द्र बिन्दु लगाया है, उसी प्रकार दूसरी भाषाओं की बात भी आती है। जिन्हें देवनागरी लिपि में लिखने में किसी प्रकार की कठिनाई हो वहां भाषा के रूप में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया जा सकता है। लेकिन भाषा शास्त्रियों का इस प्रकार कथन है कि भारतवर्ष में जितनी भाषायें प्रचलित हैं उन को यदि देवनागरी लिपि में लिखा जाय और उस में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन १० से अधिक नहीं होंगे। १० परिवर्तनों के पश्चात् भारत की सभी प्रादेशिक भाषायें देवनागरी लिपि में लिखी जा सकेंगी।

एक बात मैं विशेषरूप से कहना चाहता हूं और वह यह कि कुछ भारतीय भाषायें तो ऐसी हैं जिन की लिपि देव नागरी लिपि के बहुत ही निकट है। जिस प्रकार गुजराती भाषा है। गुजराती

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

भाषा इस प्रकार की है कि अगर उस पर शिरो रेखा लगा दी जाये तो गुजराती और देवनागरी में कोई अन्तर नहीं रह जाता । केवल दो चार शब्दों का अन्तर रह जाता है । इसी प्रकार से बंगला भाषा है । जिस समय मैं बंगला भाषा कह रहा हूं तो उस में मैं असमिया भाषा को सम्मिलित कर रहा हूं क्योंकि असमिया भाषा जोकि लिपि है वह बंगला से मिलती जुलती है । इसी प्रकार उड़िया भाषा है । मराठी की लिपि तो देवनागरी ही है । नेपाल में जो गोरखाली भाषा बोली जाती है वह देव नागरी लिपि में ही लिखी जाती है । इसी तरह जिन भाषाओं का व्यवहार हम आज करते हैं यदि उन की सामान्य लिपि हो जाय तो मेरा अनुमान है कि उन को एक बड़े परिवार में सम्मिलित करने में, इस से बहुत कुछ सहायता मिलेगी । प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सम्बन्ध में अपनी एक सम्मति व्यक्त की है जिस को राज भाषा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बड़े गौरव के साथ उद्धृत किया है । उन्हों ने अपनी आत्म कथा में इन भाषाओं के सम्बन्ध में लिखा है :

"लिपि सुधार के कार्य में अगला प्रोग्राम मुझे यह प्रतीत होता है कि संस्कृत की पुत्री भाषाओं, हिन्दी, बंगला, मराठी और गुजराती के लिये एक सामान्य लिपि स्वीकार की जाय । स्थिति यह है कि इन सब की लिपियों का उद्गम और मूल स्थान एक है और इन में परस्पर अधिक अन्तर भी नहीं है, अतः एक सामान्य लिपि के रूप में एक सामान्य साधन खोज निकालना कठिन न होना चाहिये । इस से ये चार बड़ी भगिनी भाषायें एक दूसरे के बहुत अधिक निकट आ जायेंगी ।"

लेकिन इस के साथ साथ मैं दूसरी बात भी एक कहना चाहता हूं कि भारत वर्ष में कुछ इस प्रकार की बोलियां भी हैं जिन के पास अपनी कोई लिपि ही नहीं है, विशेषकर हमारे बनवासी भाई जो आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उन के आदिवासी क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती हैं, उन के पास अपनी कोई लिपि नहीं है । उन बोलियों में सम्बन्ध भी मेरा सुझाव है कि देवनागरी को अगर एक सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार किया जायेगा तो उन को इस में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी । मैं अपने कथन की पुष्टि में सन् १९५२ में जो अनुसूचित जातियों का सम्मेलन दिल्ली के अन्दर हुआ था और जिसमें भारतवर्ष में इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रमुख कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, विशेष रूप से हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी और और भी दूसरे लोग एकत्र हुए थे उस की बात रखना चाहता हूं । राष्ट्रपति जी ने कहा जहां और बहुत से सुझाव अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में दिये थे वहां उन्होंने भाषाओं की लिपि के सम्बन्ध में एक सुझाव दिया था, जोकि मेरे इस प्रस्ताव की पुष्टि करता है । राष्ट्रपति जी ने सुझाव देते हुए यह कहा था :

"मेरा यह विचार है कि अन्य बालकों की तरह ही जन जातियों के बालकों को भी अपने को दो लिपियों से परिचित करना होगा । एक तो उस भाषा की लिपि होगी जो उन के चारों ओर बोली जाती है और दूसरी हिन्दी लिपि होगी । संविधान के अनुसार भारत की लिपि नागरी ही होने वाली है । सभवतः यह वांछनीय होगा कि सब जन जातियों की भाषा के लिये हिन्दी लिपि को ही अपना लिया जाये क्योंकि हर हालत में जन जाति के लोगों को हिन्दी तो किसी न किसी अवस्था में अखिल भारतीय प्रयोजनों के लिये सीखनी ही होगी और उन की अपनी किसी लिपि के अभाव में यह कहीं बेहतर है कि उन की भाषा उस लिपि को अपनाए जो सर्वाधिक व्यापक लिपि होने वाली है और जो वास्तव में आज भी देश में सर्वाधिक व्यापक लिपि है ।"

अब एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि सभी भारतीय भाषाओं के लिये एक सामान्य लिपि ढूंडी जाय। और उस के सम्बन्ध में मैं देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में जो कुछ कह रहा हूं वह में कोई नई बात प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। हमारे देश का पुराना इतिहास भी इस बात का साक्षी हैं कि हमारे देश में एक सामान्य लिपि का प्रचार और प्रसार रहा है और ऐसे समय में रहा हैं जब हमारे यहां यातायात की सुविधायें आज की तरह विकसित नहीं थीं। सब से पहले हमारे देश में ब्राह्मी लिपि सामान्य लिपि के रूप में व्यवहृत होती थी। लुम्बिना (नैपाल) से मास्की (मैसूर) तक और उड़ीसा से गिरनार (सौराष्ट्र) तक भारत में अशोक के जो शिला लेख पाये गये हैं वे सब ब्राह्मी लिपि के अन्दर ही हैं। लंका और वियतनाम और दूसरे देशों में भी कुछ शिला लेख मिले हैं वे भी ब्राह्मी लिपि में हैं। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल इस भारतवर्ष के क्षेत्र में ही बल्कि भारतवर्ष के आस पास एशिया के भूखंडों के अन्दर भी तिब्बत, ब्रह्मा, श्याम, हिन्देशिया, बाली, जावा, सुमात्रा और कम्बोडिया आदि देशों की जो वर्णमाला है वह भी देवनागरी से बहुत मिलती जुलती है। यदि भारत में सामान्य रूप से एक लिपि व्यापक हो जाय तो सम्भव है कि एशिया खंड के इन देशों में भी भारतीय भाषाओं का साहित्य सुगमता से पहुंच सके और भारतीय संस्कृति जो उन देशों को विरासत में मिली है वह उस की अच्छी तरह रक्षा कर सकें।

अभी पीछे भारत सरकार ने संस्कृत कमिशन की नियुक्ति की थी। संस्कृत कमीशन ने जहां अपनी रिपोर्ट में और बहुत सी बातें दी हैं, वहां उसने यह भी लिखा है कि संस्कृत जहां जहां प्रचलित है वहां सर्वत्र ही देवनागरी लिपि में वह मिलेगी। इस तरह से देवनागरी संस्कृत की एक सार्वदेशिक लिपि हो गई हैं। १९ वीं शताब्दी के अन्त में जब मुद्रण कार्य चालू हुआ और उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा था उस समय संस्कृत देवनागरी लिपि में ही मुद्रित की जाती थी। जैसा मैं कह चुका हूं गुजराती भाषा तो हिन्दी के बहुत ही निकट है। जो गुजराती की कवितायें होती थीं १९वीं शताब्दी में वे देवनागरी में ही छपती थीं। हमारे गुजरात राज्य में बड़ौदा एक बड़ी रियासत हैं। उस बड़ौदा रियासत में भी एक समय देव नागरी चलती थी, जिसे वहां पर बाल बोध लिपि कहा जाता था।

इस के बाद, आप आश्चर्य करेंगे कि पोरबन्दर में जहां पर गांधी जी का कीर्ति स्तम्भ बना हुआ हैं, वहां गांधी जी के परिवार के जो पुराने दस्तावेज हैं उन की भाषा तो गुजराती है, लेकिन गांधी जी के दादा और परदादा के उन में जो हस्ताक्षर हैं वे नागरी लिपि में ही हैं। इस से प्रतीत होता है कि नागरी लिपि का रूप व्यापक रूप रहा है। जब मैं आप से इस बात को यहां पर कह रहा हूं तो मैंने अब तक इस देश की बात कही है। अब मैं आप के सामने दूसरे देशों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

समृद्ध और प्रगतिशील देशों ने अपने रूप को अखंडित और इकाई के रूप में कायम रखने के लिये लिपि के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई? प्रारम्भ में इस प्रकार की स्थिति सोवियत रूस के सामने आई वहां पर इस समय १६ भाषायें प्रचलित हैं। आरम्भ में उन्हों ने रोमन में अपना कार्य करने का थोड़ा यत्न किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उन की अपनी भाषा जो हैं, उच्चारण की दृष्टि से रोमन उस से बहुत दूर जा कर पड़ती थी। तो फिर उन्हों ने थोड़ा सा परिश्रम कर के रोमन, ग्रीक और हिब्रू इन तीनों भाषाओं की लिपियों को मिला कर के एक प्रथक लिपि "किरोलिक" के रूप को स्वीकार किया। रूस में हालांकि इस समय १६ भाषायें प्रचलित हैं लेकिन उन सब का काम चल रहा है और वह सामान्य रूप से वहां व्यवहृत होती हैं।

चीन में इस समय ४३ से अधिक भाषायें हैं। उन की जो लिपि हैं वह अपनी दृष्टि से भिन्न प्रकार हैं जो कि चित्रमय लिपि है। लेकिन लिपि सारे देश के अन्दर एक ही है। योरप के सम्बन्ध में जैसा मैं ने पहले कहा, वहां की जितनी भाषायें हैं उन्हों ने एक सामान्य लिपि के रूप में रोमन को ही स्वीकार किया हुआ है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हमारे प्रधान मंत्री जी ने कई बार भाषा विवादों के सम्बन्ध में स्थान स्थान पर भाषण दिये हैं। उन्होंने कई बार बड़े बलपूर्वक कहा कि एक बात तो हमें स्वीकार करना चाहिये कि स्विटजरलैंड में छोटे छोटे बच्चे तीन तीन भाषायें सीखते हैं तो भारतवर्ष के अन्दर लोग दूसरी भाषायें क्यों नहीं सीख सकते हैं ? लेकिन प्रधान मंत्री जी शायद इस बात को भूल गये कि स्विटरजरलैंड में भाषायें तीन अवश्य हैं, लेकिन उन की लिपि एक ही है। यदि भारतवर्ष में यह आग्रह किया जाय कि लोग अधिक से अधिक भाषायें सीखें और उन सब की लिपि देवनागरी कर दी जाये तो मेरा यह अनुमान हैं कि प्रादेशिक भाषाओं को आगे विकसित होने के लिये इस से बहुत बड़ी सहायता मिलेगीं।

यहां एक प्रश्न छोटा सा उठता है कि आखिर यह ही क्यों आवश्यक हैं कि देवनागरी को ही सामान्य रूप में स्वीकार किया जाय। रोमन को सामान्य लिपि के रूप में क्यों न रक्खा जाये। वह आज योरप और दूसरे देशों में चलती है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि रोमन लिपि योरप के देशों के लिये ही पर्याप्त उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही हैं क्योंकि रोमन रोम देश की भाषा की जरूरतों को पूरा करने के लिये बनाई गई थी। बाद में वह दूसरे देशों में भी चली। लकिन जहां की बोलियों में कुछ अन्तर था उन्हें रोमन लिपि को अपनाने में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि इस में अक्षर विन्यास का क्रम तो वही रहा जो कि रोमन भाषा के लिये आवश्यक था लेकिन बोलियों का क्रम दूसरा दूसरा होत गय.।

जिन भाषाओं के पास अपनी स्मृद्ध लिपियां और विशाल साहित्य का भंडार है जो कि इतना परिष्कृत है, उन भाषाओं को दूसरों से लिपि उधार लेने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिये। पाणिनि जैसे ऋषि ने परिष्कृत करके जिस लिपि को संस्कृत रूप दिया तो फिर हम को दूसरों से लेने की बात क्यों सोचनी चाहिये।

चीन के सामने भी यह प्रश्न आया कि वह अपनी अनेकों भाषाओं के लिये चित्र लिपि को हटा कर उस के स्थान पर कोई दूसरी लिपि रखे तो उस के सामने रोमन लिपि का सुझाव आया लेकिन चीन अभी तक इस सम्बन्ध में निर्णय करने में हिचकिचा रहा है और उस ने अभी तक रोमन लिपि को सोलहों आने स्वीकार नहीं किया हैं। अब तो हमारे देश और चीन के बीच में कटुता उत्पन्न हो गई है इससे पहले तो उन को हमारे यहां से भी सुझाव दिया जा सकता था कि वे अपनी भाषा के लिये हमारी लिपि को स्वीकार करने पर विचार करें। अभी भी हमारे प्रतिरक्षा मंत्री जब संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को लेने के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो क्यों न श्री कृष्ण मेनन साहब यह सुझाव भी चीन को दें कि वह हमारी वैज्ञानिक लिपि को अपनी भाषा के लिये स्वीकार करें। जब वे हमारे देश से गये हुए धर्म को स्वीकार कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमारी लिपि को भी स्वीकार करें जो कि इतनी वैज्ञानिक और परिष्कृत लिपि है।

हमारे लिये रोमन लिपि को स्वीकार करने में जो सब से बड़ी कठिनाई हैं वह यह हैं कि उस में एक ही अक्षर कई कई ध्वनियों के लिये प्रयुक्त होता हैं। उदाहरण के लिये "सी" कहीं "क" के लिये लिखा जाता हैं, तो कहीं "स" के लिये काम में लाया जाता हैं और कहीं "च" के लिये लिखा जाता हैं।

दीर्घ ई के सम्बन्ध में तो रोमन लिपि में बड़ी कठिनाई है। कहीं दीर्घ ई के लिये डबल ई लिखनी पड़ती है, कहीं ई और ए और कहीं दीर्घ ई के लिये रोमन लिपि में आई और ई लिखना पड़ता हैं। तो इस प्रकार दीर्घ ई के सम्बन्ध में रोमन लिपि में बड़ी कठिनाई है।

ह्रस्व इ और अनुस्वार आदि के लिये भी रोमन लिपि में कुछ विशेष चिह्न देने पड़ेंगे परन्तु उसके बाद भी उस का सुगमता से उच्चारण शुद्ध हो सकेगा इस में सन्देह है।

लेकिन जब हमारे पास अपनी एक पूर्ण लिपि हैं तो हम अपने मस्तिष्क में दूसरी लिपि को स्वीकार करने की बात ही क्यों लायें।

रोमन लिपि के प्रयोग से किस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं इस का एक छोटा सा उदाहरण मैं आप के सामने प्रस्तुत करना चाहता हुं। अभी पीछे साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों की घोषणा करते हुए, श्री सुमित्रानन्दन पन्त की पुस्तक "कला और बूढ़ा चांद" के लिये एक पुरस्कार घोषित किया था लेकिन आकाशवाणी केन्द्र से इस समाचार का प्रसारण किया गया तो क्योंकि वह समाचार रोमन लिपि में लिखा था इसलिये वहां से प्रसारित किया गया "काला और भूरा चांद"। तो यह कठिनाई रोमन लिपि में वह समाचार लिखा होने के कारण आयी। देवनागरी लिपि की सब से बड़ी विशेषता यह है कि जो बोलिये वही लिखिये और जो लिखिये वही पढ़िये। लेकिन रोमन लिपि में वह बात नहीं हैं। उदाहरण के लिये अगर हम को लिखना है तो उस के लिये टी-एच लिख कर थ पढ़ना होगा। फारसी में तो यह दुर्बलता और भी अधिक हैं। वहां थ लिखने के लिये ते और दुचश्मी हे लिखनी होगी और फिर उस को थ पढ़ा जायेगा। तो आप देखें कि बोलना तो है थ और लिखा जाता हैं ते और दुचश्मी हे। इन सब बातों को देखते हुए मेरा अपना अनुमान हैं कि रोमन तथा अन्य लिपियां हमारे लिये उपयुक्त नहीं हो सकेगी।

मैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिये महात्मा गांधी जी के शब्दों के कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी ने ११ फरवरी, १९३९ में हरिजन में रोमन लिपि के बारे में इस प्रकार लिखा था :

> "किन्तु भावना और विज्ञान दोनों ही रोमन लिपि के विरुद्ध हैं। इसका एकमात्र गुण यह हैं कि मुद्रण और टाईपिंग के प्रयोजन के लिये यह लिपि सुविधाजनक है। किन्तु इस लिपि को सीखने में लाखों लोगों को जो कठिनाई अनुभव होगी उसकी तुलना में उपरोक्त गुण का कुछ भी महत्व नहीं हैं। जो लाखों लोग अपनी प्रान्तीय लिपियों अथवा देवनागरी में अपने साहित्य को पढ़ना चाहते हैं उन्हें रोमन लिपि से कोई सहायता नहीं मिल सकती। लाखों हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये भी देवनागरी लिपि को सीखना अधिक सुगम हैं क्योकि अधिकतर प्रान्तीय लिपियां देवनागरी से निकली है ? परन्तु लाखों हिन्दुओं या मुसलमानों को सिवाय उस समम के जब वे अंग्रेजी सीखना चाहें रोमन लिपि की कभी आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार जो हिन्दू अपने धर्क ग्रन्थों का मूल रूप में अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें देवनागरी लिपि सीखनी पड़ती हैं और वे सीखते भी हैं। अतः देवनागरी लिपि को देश भर की भाषाओं के लिये प्रयोग करने के आन्दोलन का यह एक ठोंस आधार है। रोकन लिपि का प्रयोग ऊपर से लादना होगा जो कभी लोक प्रिय नहीं हो सकती। जनता में सच्ची जागृति पैदा होने पर जो कि अप्रत्याशित शीघ्रता से चली आ रही है, उपर से लादी गई सब चीजों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।"

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

तिलक महाराज ने तो और भी अधिक जोर के साथ और कटु शब्दों में सन् १९०५ में बनारस नागरी प्रचारिणी में अपने भाषण में इसी भावना को व्यक्त किया था। उन्हों ने कहा था :

"इस कठिनाई (अर्थात् भारतीय भाषाओं की बहुत सी अलग अलग लिपियों) से बचने के लिये एक बार यह सुझाव दिया गया था कि हम सब रोमन अक्षरों को अपना लें और इसके समर्थन में एक कारण यह बताया गया था कि इस से एशिया और यूरोप की एक ही वर्णमाला हो जायेगी।

"मुझे तो यह सुझाव सर्वथा हास्यास्पद प्रतीत होता हैं। रोमन वर्णमाला और रोमन अक्षरों में बहुत सी त्रुटियां हैं और ये हमारी ध्वनि को व्यक्त करने के लिये सर्वथा अनुपयुक्त हैं। अंग्रेज वैयाकरणों ने भी इसे दोषपूर्ण पाया हैं। कभी कभी तो एक ही अक्षर तीन या चार ध्वनियों को व्यक्त करता है और कभी एक ही ध्वनि दो या तीन अक्षरों द्वारा व्यक्त की जाती है। इसके साथ साथ हमारी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को ठीक ठीक व्यक्त करने के लिये बिना विभेदकारी चिह्न लगाये रोमन अक्षर ढूंढने में जो कठिनाई होगी इसे देखने से सब को यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह सुझाव कितना हास्यास्पद है।

अतः आप देखेंगे कि हम सब को तो एक ऐसी सामान्य लिपि चाहिये जो रोमन से अधिक पूर्ण हो। यूरोप के संस्कृतज्ञों ने यह घोषणा की है कि देवनागरी वर्णमाला यूरोप की सभी वर्णमालाओं से अधिक पूर्ण है। और इस राय के हमारे सम्मुख होते हुए भारत की सभी आर्य भाषाओं के लिये किसी अन्य सामान्य लिपि की खोज करना आत्म-घातक होगा। मैं इस से भी आगे जाऊंगा और मेरा यह कहना है कि भारत में वर्णों और ध्वनियों का वर्गीकरण करने में जितनी मेहनत की गई है और जिस का पूर्ण रूप हमें पाणिनि के ग्रंथों में मिलता है, उतनी विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता है।"

देवनागरी लिपि में इस प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं हैं जो कि रोमन लिपि में हैं। और सब से बड़ी बात तो देवनागरी लिपि के पक्ष में यह है कि इस का देश में बहुत प्रचलित है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन कर दूं कि भारतीय सेनाओं में भी कुछ समय के लिए रोमन लिपि का प्रयोग आरम्भ किया गया था लेकिन उसकी अनुपयुक्तता को देखते हुए सन् १९५२ में उसके प्रयोग पर प्रति-बन्ध लगा दिया गया।

अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विद्वान् मोनियर विलियन ने देवनागरी को विश्व में सर्वाधिक सुडौल, यथा प्रमाण, सुन्दर और पूर्ण वर्णमाला कहा है।

देवनागरी लिपि प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य के लिये उपयुक्त आधार बन सकती है। जहां जहां देवनागरी लिपि में प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य प्रकाशित हो रहे हैं वहां उनसे उन प्रादेशिक भाषाओं के विस्तार में पर्याप्त सहायता मिली है। इस सम्बन्ध में सबसे पहला स्तुत्य प्रयास स्वतन्त्र भारत में लोक-सभा के माननीय अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर ने संविधान को सब ही भारतीय भाषाओं का अनुवाद देवनागरी लिपि में प्रकाशित कराकर आरम्भ किया था। भारतीय संविधान

का अनुवाद भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में हुआ परन्तु उन सबका प्रकाशन देवनागरी लिपि में भी कराया गया ।

इसी प्रकार हाल में साहित्य अकादमी द्वारा रवीन्द्र साहित्य के दो बड़े ग्रन्थ "एकोत्तर शती" और "गीत पंचशती" भी बंगला भाषा और देव नागरी लिपि में प्रकाशित किये गये हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हुए हैं ।

विनोबा भावे का गीता प्रवचन जो तेलगु भाषा में है वह भी देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुआ है और वह आन्ध्र में बहुत लोकप्रिय हुआ है ।

संसदीय हिन्दी परिषद् की ओर से भी पहले "देवनागरी" नाम से एक मासिक पत्र प्रकाशित होता रहा है जिसके द्वारा भारत के विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं और लेखकों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया गया ।

दक्षिण भारत की हिन्दी प्रचारक संस्थाओं द्वारा नागरी लिपि में उनके प्रकाशन उनकी अपनी भाषाओं में होते हैं ।

इस प्रकार विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य यदि देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जाएगा तो उसका प्रचार सारे देश में आसानी से हो सकेगा । लेकिन मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा और सुझाव दूंगा कि यदि प्रादेशिक भाषाओं के जितने समाचार पत्र अपने समाचार पत्रों में कुछ कालम देव नागरी लिपि में निकालें तो इस दिशा में काफी प्रगति हो सकती है । पंजाब में इस प्रकार का प्रयास किया गया है और वह अपने पत्रों में कुछ कालम पंजाबी भाषा के देवनागरी लिपि में प्रकाशित करते हैं । यह चीज बहुत लोकप्रिय हुई है । मैं चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार का प्रयास किया जाए ।

अपने वक्तव्य के अन्त में सुझाव के रूप में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । देवनागरी लिपि को सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार कर लिये जाने से एक लाभ तो यह होगा कि हर भाषा के जानकार हर क्षेत्र में मिल सकेंगे । उदाहरण के लिए यदि कन्नड़ भाषा का साहित्य देवनागरी लिपि में प्रकाशित कराया जाए तो कन्नड़ भाषा के विद्वान् जिस प्रकार कन्नड़ प्रदेश में मिलते हैं उसी प्रकार दूसरे प्रदेश में भी मिल सकेंगे, और इस प्रकार प्रादेशिक साहित्य सारे देश में लोकप्रिय हो सकेगा ।

दूसरी चीज यह है कि एशिया भूखण्ड में जहां जहां हमारी संस्कृति फैली हुई है वहां की वर्ण-माला में हमारी वर्णमाला से समानता होने के कारण हमारी सांस्कृतिक एकता को बहुत बल मिलेगा ।

तीसरा एक सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो विदेशी लोग भारत आकर हमारी भिन्न भिन्न भाषाओं से परिचित होना चाहते हैं उनके मार्ग में विभिन्न लिपियों की दीवार आ जाती है जिसको देख कर वे हट जाते हैं । यदि यह लिपियों की दीवार उनके मार्ग में न हो तो उनको हमारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी आसानी होगी और उनको ऐसा करने का प्रोत्साहन मिले ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय पंजाब में जो एक विवाद चल रहा है, यदि देवनागरी को एक सामान्य लिपि स्वीकार कर लिया जाए तो मेरा अपना अनुमान है कि इस विवाद के हल में भी इससे बहुत हद तक सहायता मिलेगी ।

सबसे बड़ा लाभ देवनागरी लिपि को सामान्य लिपि स्वीकार कर लेने से उरदू को होगा । उरदू यदि देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी तो सम्भव है यह यहां पर बहुत देर तक टिक सके ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

लेकिन सबसे बड़ी ीज, जिसको राजभाषा कमीशन ने भी अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है, वह यह है कि यदि प्रादेशिक भाषाओं के लिए भी देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लिया जाए तो समाचार एजेंसियों को इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी।

राजभाषा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि देश में जो ३३० दैनिक पत्र निकलते हैं उनमें अंग्रेजी के केवल ४० पत्र हैं लेकिन जो समाचार दिये जाते हैं दैनिक पत्रों को वे सब अंग्रेजी में ही भेजे जाते हैं। उनका उनको अनुवाद करना पड़ता है। राजभाषा कमीशन की सम्मति यह है कि अगर देवनागरी में इन्हें अपनी भाषाओं में समाचार मिलने लगें तो अनुवाद के व्यय से बच जायेंगे और समय की भी बचत हो जायेगी।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी भावनगर कांग्रेस में श्री मुरार जी देसाई ने राष्ट्रीय एकता के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया था अगर वह भी इस प्रश्न पर अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचेंगे तो वह भी इसमें अपनी सहमति व्यक्त करेंगे कि राष्ट्रीय एकता को इस भाषावार प्रान्त रचना से बड़ा आघात पहुंचाया है इस भाषावार प्रान्त रचना ने देश की अखण्डता और एकता को खंडित किया है। इसके कारण जो विघटन और पृथक्त्व की मनोवृत्ति देश में बढ़ रही है मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने से वह समन्वय और राष्ट्रीय एकता में बदल जायेगी। आज हमारे राष्ट्रीय नेता इस बात के लिए चिन्तित हैं कि किस प्रकार से देश में एकता स्थापित की जाय, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि जो हमसे यह भाषावार प्रान्त रचना की भूल हो चुकी है उसके निराकरण का उपाय यही है कि भिन्न भिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लिए सामान्य रूप से देवनागरी लिपि को एक सब भाषाओं की अतिरिक्त लिपि मान लिया जाये।

हमारे राष्ट्रीय नेता नेहरू जी और राष्ट्रपति जी आदि और जो उधर सामने की ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हैं जब वे सदन से बाहर जाते हैं तो देवनागरी लिपि के पक्ष में भाषण करते हैं, मेरा आज का का यह प्रस्ताव उनके लिए एक कसौटी है। इससे यह सिद्ध हो जायगा कि वे ऐसा केवल कहते ही हैं अथवा उसे व्यवहारिक रूप देने की भी उनकी इच्छा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि देवनागरी को सब प्रादेशिक भाषाओं के लिये एक सामानलिपि के रूप में स्वीकार कर लिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

> "इस सभा की यह राय है कि देवनागरी को सभी प्रादेशिक भाषाओं की सामान्य लिपि के रूप में स्वीकार किया जाये जिससे कि वे एक दूसरेके अधिक निकट आ सके।"

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वैल्लोर) : मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई माननीय सदस्य १० मिनट से अधिक समय न ले।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-केन्द्रीय) यदि इस संकल्प से जो कि श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने रखा है राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का उद्देश्य पूरा होता हो तो इसका समर्थन किया जाना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये। परन्तु मेरा मत यह है कि इस समय इसका पारित किया जाना उचित नहीं है। यह सत्य है कि देवनागरी लिपि पूर्ण और वैज्ञानिक, पर देश में अनेक भाषायी समुदाय है, जिन्हें अपनी अपनी लिपियों से प्रेम है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि छपाई की दृष्टि से देवनागरी लिपि में अनेक कठिनाइयां हैं। अतः मेरा मत यही है कि संकल्प को पारित नहीं किया जाना चाहिये।

**(श्री हेडा पीठासीन हुए)**

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह संकल्प बहुत अच्छा है परन्तु अच्छी वस्तु के लिये भारत में कोई स्थान नहीं। यहां तो लोग छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं। यद्यपि यह संकल्प समुचित है, इस बात की कम सम्भावना है कि सभी लोग इसका समर्थन करेंगे। अतः यह बात व्यावहारिक नहीं सिद्ध होगी।

**डा० गोविन्द दास** (जबलपुर) : सभापति जी, मैं सब से पहले श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी को उन के बड़े सुन्दर और तर्कपूर्ण भाषण पर बधाई देता हूं। उन के भाषण के बाद दो भाषण और हुए--एक श्री मुकर्जी का और एक श्रद्धेय कृपालानी जी का। कृपालानी जी के भाषण से तो बहुत स्पष्ट हो गया कि चाहे उन्हों ने यह कहा हो कि इस प्रस्ताव को फैंक देना चाहिये, पर यथार्थ में वह इस प्रस्ताव के समर्थक हैं। इस देश की एकता के लिये और हमारे इस प्राचीन देश में जितनी भाषायें हैं, उन सब को समझने के लिये इस से अच्छा और कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता था। जहां तक श्री मुकर्जी का सम्बन्ध है, चूंकि वह बंगाल से आते हैं, इसलिये इस समय मुझे उन के भाषण पर आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे याद है कि एक समय था, जब नागरी लिपि हमारे देश की लिपि हो, सब से पहले इस की आवाज़ बंगाल से उठी थी। जब स्वामी दयानन्द सरस्वती कलकत्ता गये, उस समय वह अपने सब से प्रधान ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश को संस्कृत में लिखने का विचार कर रहे थे, पर--मैं श्री मुकर्जी को स्मरण कराना चाहता हूं--श्री केशव चन्द्र सेन के कहने से उन्हों ने अपना सत्यार्थ प्रकाश हिन्दी और देवनागरी लिपि में लिखा। यही स्थिति राजा राम मोहन राय, श्री बंकिम चन्द्र चटर्जी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की थी। किस किस का मैं नाम लूं। बंगाल का इतना बड़ा समर्थन हिन्दी और देवनागरी लिपि का था और आज उस बंगाल में इस प्रकार का विरोध देख कर मुझे दुःख होता है।

**आचार्य कृपालानी** : जो इतने बड़े आदमी नहीं कर सके, वह माननीय सदस्य करना चाहते हैं।

**डा० गोविन्द दास** : जब बंगाली लिपि और देवनागरी लिपि में कोई विशेष अन्तर नहीं है--हमारे देश की जितनी पूर्वी भाषायें हैं--उड़िया, असमिया, बंगाली--उन की लिपियों और देवनागरी लिपि में कोई बहुत अन्तर नहीं है--तब इस प्रकार का विरोध बंगाल से आये, इस से ज्यादा दुःख की बात नहीं हो सकती।

चूंकि मैं हिन्दी का बड़ा भारी समर्थक रहा हूं मेरी सुनीति बाबू से बात हुई थी। आप ने बहुत अच्छा किया जो यह प्रश्न किया। उन्हों ने मुझ से कहा कि यह प्रश्न लोव्ज़ एंड फ़िशिज़ का है, यह प्रश्न नौकरियों का है, इसलिये बंगाल आज इस का इतना बड़ा विरोधी है, हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का। मैं ने उन से स्पष्ट कहा कि अगर आप का यह खयाल है कि हिन्दी भाषा भाषी लोव्ज़ एंड फिशिज़ के लिये, नौकरियों के लिये, हिन्दी का समर्थन करते हैं तो यह आप की बड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० गोविन्द दास]

भारी भूल है। मैं ने आज तक कभी भी इस दृष्टि से हिंदी का समर्थन नहीं किया है। हमारा तो विश्वास है कि यदि हम को देश को एक सूत्र में बांधे रखना है, तो यहां एक भाषा की आवश्यकता है और एक भाषा के साथ एक लिपि की भी आवश्यकता है। जहां तक नौकरियों का मामला है, मैं आप से कहना चाहता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने, हिन्दी भाषा भाषी समर्थकों ने कई बार कहा है कि हिन्दी भाषा भाषियों को कोई सरकारी नौकरी तब तक नहीं मिलनी चाहिये जब तक कि वे देश की एक और भाषा में परीक्षा पास न कर लें। मैं अभी भी आप से कहना चाहता हूं कि हिन्दी भाषा भाषियों को कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिये जब तक कि वे हिन्दी भाषा के साथ साथ कम से कम एक और भाषा भारतीय भाषा में पारंगत न हो जायें . . . .

**सभापति महोदय** : इस प्रस्ताव का सम्बन्ध भाषा से नहीं है, लिपि से है।

**आचार्य कृपालानी** : अगर वह इस का समर्थन कर दें, तो इन की स्पीच ही खत्म हो जाय।

**डा० गोविन्द दास** : जहां तक लिपि का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि देश के एकीकरण के लिये एक लिपि की आवश्यकता है। यदि हमारी सभी भाषायें एक ही लिपि में लिखी जायें तो उन सब भाषाओं के साहित्य को हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे।

देवनागर पत्र का यहां जिक्र किया गया है। अभी भी संसदीय हिन्दी परिषद् के द्वारा त्रैमासिक देवनागर निकलता है और उस का बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। देश में सर्वत्र ही उस का स्वागत हुआ है। जहां तक विरोध का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रायः घूमता रहता हूं और इस सम्बन्ध में में विचार विमर्श भी करता रहता हूं। मेरा अपना अनुभव यह है कि देवनागरी लिपि का यदि कहीं विरोध आज है तो वह केवल इस देश के दो राज्यों में है, एक बंगाल में, जहां के विरोध को देख कर मुझे आश्चर्य होता है और दूसरे तमिलनाड में। बाकी प्रान्तों का . . . .

**आचार्य कृपालानी** : पंजाब का क्या हाल है ?

**डा० गोविन्द दास** : जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, पंजाबी भाषा और हिन्दी भाषा का जो झगड़ा है वह बहुत सरलता के साथ निपट सकता है क्योंकि गुरुमुखी में और देवनागरी लिपि में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। पंजाबी भाषी जो लोग हैं, वे अभी अपने विचार आप के सामने रख देंगे।

**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : वहां झगड़ा पंजाबी सूबे के बारे में है।

**डा० गोविन्द दास** : पंजाबी सूबे का भी झगड़ा है। भाषा का सम्बन्ध इस से बहुत कम है। उसमें राजनीति है . . . .

**श्री नरसिंहन्** : राजनीति सब में आ सकती है।

**डा० गोविन्द दास** : मेरा अनुभव यह है कि तमिलनाड और बंगाल को छोड़ कर बाकी देश में न लिपि को ले कर कोई विरोध है और न भाषा को ले कर ही। लोग दक्षिण को प्रायः देवनागरी लिपि के विरुद्ध बताते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र में मैं ने कभी कोई विरोध नहीं देखा है इस देवनागरी लिपि का। मैं ने केरल में कोई विरोध नहीं देखा। मैं ने कर्नाटक में कोई विरोध

इस देवनागरी लिपि का नहीं देखा है । दक्षिण के चार राज्यों में से तीन राज्य देवनागरी लिपि के पक्ष में हैं । उत्तर भारत में भी मैं ने जैसा निवेदन किया एक बंगाल को छोड़ कर कहीं देवनागरी का विरोध नहीं है ।

हमारे माननीय सदस्य प्रकाश वीर शास्त्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम दूसरी भाषाओं की जो लिपियां हैं, उन के विरोधी नहीं हैं । हम उन का उतना ही आदर करते हैं, जितना कि देवनागरी का करते हैं । मैं तो आप से एक और बात कहना चाहता हूं कि यदि हम हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं तो एक तरफ हम को देवनागरी लिपि की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ हम को इस बात की भी आवश्यकता है कि हिन्दी साहित्य भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपियों में लिखा जाय । भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपियों में यदि हिन्दी साहित्य लिखा जाय तो उस का अधिक प्रचार होगा ऐसा हमारा विश्वास है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब हम देवनागरी लिपि को सब भाषाओं के लिये प्रयुक्त करना चाहते हैं तो इस का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी भाषा के विरोधी हैं । सब भाषाओं के प्रति हमारी समान पूज्य भावना है, समान आदर है, समान श्रद्धा है । हम कोई रोमन लिपि के भी विरुद्ध नहीं हैं । कोई भी साहित्यकार किसी भाषा का, किसी लिपि का विरोधी नहीं हो सकता है । मुझे बहुत लोग अनेक बार गलत समझते हैं । मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा का मैं भगत हूं, रोमन लिपि का भी मैं भक्त हूं । पर जिस तरह से गांधीजी कहा करते थे कि अंग्रेजों के वे मित्र हैं, पर अंग्रेजी राज इस देश में अस्वाभाविक है और उसे समाप्त होना चाहिये उसी प्रकार मेरा कहना है कि हम को रोमन लिपि से भी प्रेम है, अंग्रेजी भाषा से भी प्रेम है, हम अंग्रेजी भाषा सीखें, रोमन लिपि सीखें, इस में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अंग्रेजी राज्य इस देश में अस्वाभाविक था उसी प्रकार रोमन लिपि भी इस देश में अस्वाभाविक है और वह इतने पुराने और इतने सुसंस्कृत देश मे कभी भी स्वीकृत नहीं हो सकती । वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देश में अगर एकता लानी है, एक दूसरे के साथ सम्पर्क बढ़ाना है और देश की हर भाषा के साहित्य को समझना है तो हम को एक लिपि की आवश्यकता है और वह लिपि देवनागरी लिपि ही हो सकती है । उसी के साथ दूसरी जो लिपियां हैं, उन में भी हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, और उन को भी हमें उसी आदर की दृष्टि से देखना है जिस आदर की दृष्टि से हम देवनागरी लिपि को देखते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं प्रस्तावक महोदय की भावना की सराहना करता हूं और संकल्प में निहित उद्देश्य अच्छा है । परन्तु मेरा निवेदन है कि हिन्दी को अस्तित्व में आये अधिक समय नहीं हुआ है । इस के पूर्व की उसे सभी स्वीकार कर लें उस का समुचित विकास होना चाहिये । समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने का जो सुझाव दिया गया है वह समयोचित नहीं है । मेरा मत तो यह है कि लिपि की दृष्टि से तो देवनागरी की अपेक्षा रोमन लिपि अधिक अच्छी सिद्ध होगी ।

देश में भाषा के आधार पर जो राज्यो का गठन हुआ हैं उससे हिन्दी के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है क्योंकि लोगों को अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं का विकास करना है । मेरा मत हैं कि इस संकल्प को वापिस ले लेना चाहिए और यदि इसे पारित करना हो तो उसे तामिल पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : हम यदि भारत की एकता में विश्वास रखते हैं तो हमें भावनात्मक एकता को निर्माण करने की दिशा में ठोस पग भी उठाने होंगे। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही गांधी जी ने एक सामान्य लिपि की बात १९३७ में की थी। एक सामान्य लिपि को स्वीकार कर लेने का यह मतलब कदापि कि प्रादेशिक भाषाओं का विकास रोक दिया जाय। प्रत्येक भाषा को अपने अपने क्षेत्र में बढ़ने और प्रगति करने का पूर्ण अधिकार है।

इस दिशा में मेरा मत यह है कि ध्वनि के आधार पर और उच्चारण की दृष्टि से देवनागरी कब से अच्छी लिपि है और एक सामान्य लिपि के रूप में अपनाये जाने का दावा नहीं कर सकती है। परन्तु इस संदर्भ में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि देवनागरी का प्रयोग प्रादेशिक भाषाओं के लेखकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस में किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और न ही इस दिशा में किसी प्रकार की जबरदस्ती ही होनी चाहिए। शीघ्रता करने की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं।

मैं भावात्मक एकता की बात कर रहा हूं। इस सिलसिले में मैं आपके सामने ऑटोमन साम्राज्य का उदाहरण पेश करता हूं। वह साम्राज्य ५०० वर्ष तक रहा, लेकिन उसमें सामाजिक और भावात्मक एकता पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। उसमें अरब, कुन्द आर्मीनियाई इत्यादि कई अल्प संख्यक जातियां थीं। भावात्मक एकता पैदा करने का काम कमाल अतातुर्क ने किया था। केवल राजनीतिक या प्रशासनिक एकता काफी नहीं होती। सब से बड़ी जरूरत होती है भावात्मक एकता की।

गांधी जी ने इसे स्पष्ट रूप में समझ लिया था। उन्होंने इसीलिये १९३७ में ही सामान्य लिपि की बात उठाई थी। तब देश में फूट नहीं थी। उस समय राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद, वह एकता अब नहीं रही है। गांधी जी ने इसे पहले से देख लिया था और इसीलिये उन्होंने शुरू से ही सामान्य लिपि की आवश्यकता पर जोर दिया था।

प्रोफेसर मुकर्जी कहते हैं कि रोमन लिपि को सामान्य लिपि बनाया जाये। उनका कहना है कि रोमन लिपि अपनाकर हम यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के अधिक समीप पहुंच जायेंगे। लेकिन मुश्किल यह है कि रोमन लिपि हमारी वर्णमाला के उच्चारण के उपयुक्त नहीं। रोमनलिपि पर अनुस्वार लगाने से उसका सौन्दर्य नष्ट हो जायेगा, साथ ही वह कष्ट साध्य भी होगा। और जैसा श्री शास्त्री ने कहा है, उससे हमारी उच्चारण प्रणाली भी दूषित हो जायेगी।

प्रोफेसर मुकर्जी कहते हैं कि देवनागरी लिपि में लिपि सौस्ठव नहीं है। मुझे तो देवनागरी लिपि के वर्णों में बड़ा सुडौलपन दीखता हैं, उनकी गोलाइयां नारी शरीर की रेखाओं से सादृश्य रखती हैं।

श्री नेहरू ने बहुत पहले अपनी आत्म-कथा में लिखा था कि भारत में जनता रोमन लिपि को स्वीकार नहीं करेगी।

गांधी जी ने फारसी लिपि सीखने की बात तो कही थी, पर कभी भी उसे सामान्य लिपि बनाने के लिये नहीं कहा। सामान्य लिपि के लिये, उन्होंने देवनागरी को ही चुना था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : आप चाहते हैं कि हिन्दू लिपि हो ।

†**श्री हेम बरुआ** : देवनागरी हिन्दू लिपि नहीं है । देवनगारी इसलिये अपनाई जानी चाहिये कि वह कहीं ज्यादा अच्छी हैं । मोनियर विलियमस् ने कहा है कि देवनागरी वर्णमाला ही संसार की सबसे सुडौल और पूर्ण वर्णमाला हैं ।

सामान्य लिपि की अपेक्षायें देवनागरी ही पूरी कर सकती हैं । हां, प्रोफेसर मुकर्जी की यह बात ठीक हैं कि हमें इसमें बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिये ।

भाषा आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि लोगों को अपनी प्रादेशिक लिपि के साथ देवनागरी लिपि भी सीखनी चाहिये । तभी कुछ समय बाद सामान्य लिपि के लिये लोग स्वयं सहमत होंगे ।

इसी लिये मेरी राय यही है कि इस मामले में धीरे धीरे, सावधानी के साथ आगे बढ़ा जाये ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

इसलिये राजभाषा आयोग की यह चेतावनी बिल्कुल उचित है कि इस मामले में किसी को बाध्य करना गलत होगा । हां, प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिये और लिपि का चुनाव लेखक पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये ।

**ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर** (अमृतसर) : मि० स्पीकर, सर, जो प्रस्ताव शास्त्री जी ने इस वक्त हाउस के सामने पेश किया हैं, उस में जो स्पिरिट (भावना) है देश की यकजहती (एकता) की, उस को मैं मानता हूं और आज से बहुत साल पहले कांस्टीट्युएन्ट एसेम्बली में, मेरा यह ख्याल है, सब से पहले मैं ने कहा था कि हमारी जितनी भी चीज़ें एक हो जायें, उस से हमारे देश की यकजहती बटेगी ? यदि सारे देश के लिये एक देवनागरी स्क्रिप्ट (लिपि) हो जाये, तो यह भी सारे देश-वासियों को एक सतह पर लाने का ज़रिया है । और मैं ने यह बात यूं ही नहीं कह दी थी उसके पीछे शक्ति थी । जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, जहां आज जबान और स्क्रिप्त के सम्बन्ध में झगड़े कुछ तेज़ हैं, उस वक्त हालत यह थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट की मीटिंग में जो लोग पंजाबी के हामी थे, उन्होंने कहा था कि कोई स्क्रिप्ट हो जाये—बेशक देवनागरी स्क्रिप्ट हो जाये, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हिन्दी के हामी थे, उन्होंने नहीं माना था और वे मीटिंग से बाक आउट (सभा त्याग) कर गये थे ।

शर्मा जी को फ़ादर आफ़ दि यूनिवर्सिटी कहा जाता है । वह उस वक्त चेयर पर थे और वह बड़े इम्पार्टेन्ट मेम्बर यूनिवर्सिटी सीनेट के रहे हैं और अब भी हैं ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इस के पीछे एक शक्ति थी, एक ताकत थी । आज भी मैं महसूस करता हूं कि इस प्रस्ताव की जो स्पिरिट है, उस के साथ मैं इत्तिफ़ाक करता हूं और यह भी मानता हूं कि अगर किसी वक्त हमारी खुशकिस्मती का वह मौका आये कि इस पर इत्तिफाक़ करें कि हमारे देश की एक लिपि होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि वह देवनागरी लिपि ही है, जो ठीक हमारे देश के मुताबिक हो सकती है । जिस वक्त मैंने इस ख्यालात का इज़हार किया था, उस वक्त मेरे मन में यह गुमान तक भी न था कि हमारे देश में जबान की बिना पर भी कभी झगड़े हो सकते हैं । मज़हब के नाम पर या और तरह से तो झगड़े हो सकते हैं, मगर लैंगुएज की बिना पर झगड़ों

---

†मूल अंग्रेजी में

[ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर]

का हमें बिल्कुल ख्याल तक न था। जिस वक्त कंस्टिट्युएंट असैम्बली में देवनागरी स्क्रिप्ट में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का सवाल था, उस वक्त हम बड़े तत्पर रहे और इतना ही नहीं बड़ी गरमा गर्मी भी उस वक्त हुई। खुद हमारी पार्टी मीटिंग में बड़ी गरमागर्मी थी। शायद मेरे उस वक्त के साथी जानते ही होंगे कि एक आध वोट का ही फर्क रहा था। हम हिन्दी वालों के साथ पूरी तरह से सहमत थे। मगर वक्त गुजरता गया। उस वक्त जब मैंने कस्टिट्युएंट असैम्बली में इसके हक में कहा तो बंगाल के भाई मेरे साथ बहुत नाराज़ हुए, तमिलनाड के भाई बहुत नाराज़ हुए और हमारे लीडर्ज़ में से भी कुछ ने मेरे इस रवैये पर नाराज़गी का इज़हार किया कि क्यों मैंने बढ़ कर यह बात कह दी। मतलब यह कि नाराज़गी को मैंने मोल लिया। मैं आज महसूस करता हूं और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि हमारा अब भी यही कनविक्शन है। हमने यह सब कुछ किया। मगर आज पंजाब में एक सैक्शन है जो कि हमारी जो अपनी जबान है जिसके मुताल्लिक हमारे जज़बात हैं, जिस को हम बोलते हैं, उस जुबान से ही वह इन्कारी है। मुझे एक शेर याद आता है:—

जमाने से अदावत का सबब थी दोस्ती जिन की
उन्हीं को दुश्मनी हम से, जमाना इसको कहते हैं।

कहने का मतलब यह है कि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अपनी जबान से ही इन्कार होने लग गया है।

मुझे उस वक्त का मामला भी याद है जब कि लैंगुएज कमिशन की रिपोर्ट पर हमारे दोनों हाउसिस जो हैं, उनकी सभा बैठी थी। सेठ जी और दूसरी कई मैम्बर साहिबान उसके मैम्बर थे। आज मेरी जबान पर स्वर्गीय पन्त जी का नाम आता है। यह हमारी बदकिस्मती है कि एक एक करके वे लोग हमारे बीच से उठ गए हैं जो मामलों को सुलझा देने की शक्ति रखते थे। पहली मीटिंग में ही इस कद्र तनाव था लैंगुएज (भाषा) के मामले पर कि यह डर होता था कि शायद हम लड़ कर उठेंगे। सेठ जी, मैं और कुछ और साथी पन्त जी की कोठी पर इकट्ठा हुए तो कुछ बातें हमने ऐसी कहीं कि जिससे यह मामला अच्छी तरह से सुलझ जाए। मैं समझता हूं कि पन्त जी उस वक्त अगर उस कमेटी के चेयरमैन न होते तो मेरा ख्याल नहीं कि ऐसी अच्छी रिपोर्ट जिस पर कोई खास डाइसेंट (मिमति) भी न लिखा जाए, हमारे सामने पेश की जा सकती थी। मैं समझता हूं कि सेठ जी मेरे साथ इस बात में सहमत होंग. . . .

डा० गोविन्द दास : बिल्कुल।

**ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर :** उस वक्त इस कद्र तनाव था। इस तनाव में और इस कशमकश के होते हुए क्या यह रेजोल्यूशन आज पास हो सकता है और अगर हो सकता है तो इस पर अमल हो सकता है और क्या हम लोगों को इसके बारे में सहमत कर सकते हैं। अभी सेठ जी ने कहा कि बंगाल और एक और प्रांविंस में इसका विरोध है। उनको टोकते हुए आचार्य कृपालानी ने कहा पंजाब की क्या हालत है। मैं नहीं समझता कि पंजाब के लोग जो एक वक्त इसके बारे में सहमत थे, आज वे इस बात के लिए सहमत होंगे कि गुरुमुखी लिपि में जो पंजाबी लिखी जाती है, उसको वे छोड़ें दें।

अगर्चे हमारी राय अब भी यही है कि अगर कुछ हो सकता है, तो इस मामले में हो। आज भी मेरा विश्वास वही है जो कि कांस्टिट्युएंट असैम्बली में जब यह मसला पेश हुआ था, उस वक्त था कि पंजाबी जबान गुरमुखी लिपि में ही ठीक लिखी जा सकती है। मगर मेरे अन्दर जो जज़बात थे वे देश की यकजहती के थे, देश की यकजहती की ख्वाहिश थी और वह ख्वाहिश अब भी उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से इससे पहले थी। इसलिए मैं कहता हूं कि देश की यकजहती के लिए आप एक लिपि की बात कहते हैं, हम तो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, अगर देश में यकजहती आ सकती हो। जो भी कुर्बानी इस काम के लिए हमें करनी पड़े, उसको करने में हमें कोई उज्र नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मगर यह देखना है और यह सोचना कि इस प्रस्ताव को पास कर देने से क्या ऐसा हो सकता है।

मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव का वक्त तब आएगा जब इसको प्रकाशवीर शास्त्री जी नहीं पेश करेंगे बल्कि गुरमुख सिंह मुसाफिर पेश करेगा और इसकी ताईद बंगाल का कोई माननीय सदस्य या तामिलनाड का कोई माननीय सदस्य करेगा। उस वक्त यह प्रस्ताव आना चाहिये। आज वक्त नहीं है, इसको लाने का। यह जो प्रस्ताव लाया गया है अव्वल तो यह पास नहीं होगा और अगर पास हो भी जाए तो कागज़ का पुर्जा बन कर रह जाएगा, इस पर कोई अमल नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद नहीं कि जो इस वक्त देवनागरी लिपि के हामी हैं, वे भी इस वक्त इस पोज़ीशन में हैं कि इसके हक में वोट दें। सरकारी पार्टी को तो छोड़ दीजिय अपोजीशन ने भी जिन खयालात का इज़हार किया है, उनसे यह बिल्कुल साफ बात हो जाती है कि यह प्रस्ताव शायद पास नहीं हो सकेगा और पास हो भी जाए तो इस वक्त इस पर अमल नहीं हो सकेगा।

हमें देखना है कि कहां से कहां हम चले गए हैं। कब तो वह वक्त था जब कि कांस्टिट्युएंट असैम्बली में खड़े हो कर कह सकता था कि यह चीज़ हो लेकिन आज यह हालत हो गई है--यह सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, अदम की बात भी हमारे सामने है--कि जबान की बिना पर जब कि दूसरे मुल्कों ने यकजहती कर ली है, दूसरे मुल्क आपस में युनाइटेड हो गये हैं, हम इतने बदकिस्मत हैं कि हम लड़ाई झगड़े करते फिर रहे हैं। इस हद तक हम चले जाते हैं कि गोली, लाठी और बारूद की जरूरत हमको महसूस होती है और इसका सहारा हमारी सरकार को लेना पड़ता है।

मूवर महोदय से मैं अर्ज करूंगा कि उन्होंने अपने जज़बात का इज़हार कर लिया है और इसको अब वह वापिस ले लें क्योंकि इस वक्त इस पर अमल होने की गुंजाइश नहीं है। मैं अपनी राय को नहीं बदलता हूं, यह खयाल रहे। मेरे भाव वही हैं, वही सुलझे हुए मेरे खयाल हैं मैं पंजाबी जबान में लिखता हूं। यह वक्त की बात है कि पालिटिक्स की इस गर्दिश में मैं आ गया हूं वर्ना निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, साहित्य लिखने की तरफ ही मेरा झुकाव है। मैं पंजाबी में लिखता हूं। पंजाब में हम पंजाबी और उर्दू ही जानते हैं थे। उर्दू तो रही नहीं, इस वास्ते पंजाबी में ही किताबें लिख कर मैं अपने जज़बात का इज़हार कर लेता हूं। जबान के मुताल्लिक हमारे कुछ जज़बात हैं और जब इधर उधर से जबान पर चोट होती है, तो थोड़ा सा महसूस होता है। मगर देश का खयाल है, देश की यकजहती का खयाल है और उसे हमें हमेशा मद्देनज़र रखना है और वह रहा है। वह नम्बर एक पर रहा है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि देश की खातिर हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर इस प्रस्ताव का मैं समझता हूं कि आज वक्त नहीं है और इसको वापिस ले लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री सम्पत भाषण करें।

†**कुछ माननीय सदस्य :** समय बढ़ा दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ीक है । चूंकि माननीय सदस्य इसे जारी रखना चाहते हैं, इसलिये यह चर्चा कल जारी रहेगी ।

**इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, २० मार्च, १९६१/२९ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

**शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१**

**२६ फाल्गुन, १८८२ (शक)**


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | . . . . | २७२१–४५ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ९२६ | सिंधु नदी का पानी . . . . . | २७२१–२३ |
| ९२७ | उर्वरक वितरण जांच समिति . . . . | २७२३–२४ |
| ९२८ | रेलवे की योजना पर पूंजी परिव्यय . . . | २७२५–२६ |
| ९२९ | थाईलैंड से चावल की खरीद . . . . | २७२६–२७ |
| ९३२ | मिनिकाय प्रकाश स्तम्भ . . . . | २७२७ |
| ९३३ | राज्य व्यापार निगम की सीमेंट निधि से सड़कों का विकास . | २७२८—३० |
| ९३४ | रेल मार्ग के साथ संचार लाइनें . . . | २७३०–३१ |
| ९३५ | हैदराबाद-विशाखापत्तनम विमान सेवा . . . | २७३१ |
| ९३६ | गन्ने की किस्में . . . | २७३१—३३ |
| ९३७ | जलढाका रेलवे पुल . . . | २७३३–३४ |
| ९४० | पंचायत राज . . . . . | २७३४—३७ |
| ९४१ | कलकत्ता से त्रिपुरा को सामान का परिवहन . . | २७३७ |
| ९४२ | हुगली में डूबे जहाज . . . . | २७३७–३८ |
| ९४३ | रेलवे में भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन . . . | २७३८–४० |
| ९४५ | "ट्विन पायनीयर" विमान . . . . | २७४० |
| ९४७ | होटलों के लिए ऋण . . . . | २७४०–४१ |
| ९४८ | डाक तथा तार विभाग में कल्याण पदाधिकारी . | २७४१—४२ |
| ९५० | आयोजन-एवं-जिला पंचायत अधिकारी . . . | २७४२ |
| ९५१ | अमरीका को चीनी का निर्यात . . . | २७४२–४५ |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | . . . | २७४५—७७ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ९३० | बेगमपेट में 'एवियेशन बेस' . . . . | २७४५ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या


| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ९३१ | पोस्टकार्ड बेचने की स्वचालित मशीन | २७४५ |
| ९३८ | पैकेज प्रोग्राम | २७४५–४६ |
| ९३९ | बगेरवाट और हिली से रेल सम्पर्क | २७४६ |
| ९४४ | विभागीय भोजन-व्यवस्था | २७४६ |
| ९४६ | मलाया के लिये भारतीय रेलवे आयोग | २७४७ |
| ९४९ | तालमेल समिति की सिफारिशें | २७४७ |
| ९५२ | कृषि आयोग | २७४७–४८ |


अतारांकित प्रश्न संख्या


| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| १८४४ | खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सहायता | २७४८ |
| १८४५ | खाद्य तथा कृषि संगठन | २७४८ |
| १८४६ | उत्तर रेलवे में मुसाफिर खाने | २७४९ |
| १८४७ | त्रिपुरा में मोटर दुर्घटनायें | २७४९ |
| १८४८ | अशोधित तेल के आयात के लिये नौवहन शुल्क | २७४९–५० |
| १८४९ | बीस वर्षीय सड़क योजनायें | २७५० |
| १८५० | केन्द्रीय तम्बाकू समिति का मुख्य कार्यालय | २७५० |
| १८५१ | तुंगभद्र उच्च स्तर नहर | २७५१ |
| १८५२ | कुर्दुवाड़ी स्टेशन पर प्लेटफार्म | २७५१ |
| १८५३ | उड़ीसा में गहरे पानी में मछली पकड़ना | २७५१ |
| १८५४ | राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ पर पुल | २७५२ |
| १८५५ | उत्तर रेलवे में स्वास्थ्य केन्द्र | २७५२ |
| १८५६ | मुकेरिया स्टेशन पर भारिक | २७५२ |
| १८५७ | बटाला जंकशन | २७५२–५३ |
| १८५८ | उत्तर रेलवे में अनूसूचित जातियों को भोजनव्यवस्था सम्बन्धी लाइसेंस | २७५३ |
| १८५९ | मध्य रेलवे में [illegible] रक्षा बल | २७५३ |
| १८[illegible]० | [illegible] रेलवे पर पुल | २७५४ |
| १[illegible] | [illegible] के माल-डिब्बे में [illegible] | २७५४ |
| [illegible]८६ | चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें | २७५४ |
| [illegible]८३ | को-एक्सियल केबल परियोजना | २७५४ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः | | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
| १८६४ | हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के कटाव की रोकथाम | २७५५ |
| १८६५ | जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में सिंचाई योजनायें | २७५५ |
| १८६६ | साग सब्जियों की खपत | २७५५–५६ |
| १८६७ | उड़ीसा में मेडिकल कालिज | २७५६ |
| १८६८ | टेलीफोन तथा तार सम्बन्धी सुविधायें | २७५६–५७ |
| १८६९ | कलकत्ता पत्तन के मेरीन आफिसर | २७५७ |
| १८७० | जहाजों की मरम्मत | २७५७ |
| १८७१ | माघ मेला के लिए विशेष रेलगाड़ियां | २७५८ |
| १८७२ | हृदय रोग | २७५८ |
| १८७३ | होमियोपैथिक औषधियां | २७५८–५९ |
| १८७४ | राष्ट्रीय पक्षी | २७५९ |
| १८७५ | गुड़गांव जल संभरण योजना | २७५९–६० |
| १८७६ | क्लिनिक्स तथा नर्सिंग होम्स का विनियमन | २७६० |
| १८७७ | बाघ नदी पर बांध | २७६० |
| १८७८ | डाक तथा तार विभाग में लोअर सेलेक्शन ग्रेड | २७६०–६१ |
| १८७९ | उड़ीसा से प्राप्त भूमि संरक्षण योजना | २७६१ |
| १८८० | कठुआ-माधोपुर रेलवे लाइन | २७६२ |
| १८८१ | एन्ड्रांथ द्वीप में प्रकाश स्तम्भ | २७६२ |
| १८८२ | मद्रास को चीनी का संभरण | २७६२–६३ |
| १८८३ | मनीपुर में खरमलोक तथा मुंगशान खौंग जलविद्युत् परियोजनायें | २७६३ |
| १८८४ | मनीपुर में कृषकों को उपकरण का संभरण | २७६३ |
| १८८५ | मनीपुर में टिम्बर ट्रीटिंग प्लाण्ट | २७६४ |
| १८८६ | मनीपुर में मूल्यांकन समिति | २७६४ |
| १८८७ | पुष्प प्रदर्शिनियां | २७६४ |
| १८८८ | मनीपुर के लिये कृषि सम्बन्धी ऋण | २७६५ |
| १८८९ | मद्रास सर्कल में डाक कर्मचारियों की कमी | २७६५ |
| १८९० | अगरतला नगर का विकास | २७६५–६६ |
| १८९१ | पंजाब में चेचक | २७६६ |
| १८९२ | असैनिक उड्डयन विभाग में नियुक्तियां | २७६६–६७ |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः | | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
| १८९३ | उत्तर प्रदेश में तार घर | २७६८ |
| १८९४ | सहकारी संस्थाएं | २७६८–६९ |
| १८९५ | गुजरात में मत्स्यपालन | २७६९ |
| १८९६ | पंजाब में कुक्कुटपालन का विकास | २७७० |
| १८९७ | पंजाब में कोढ़ नियंत्रण | २७७०–७१ |
| १८९८ | हिमाचल प्रदेश में अंगोरा बक सम्बन्धी प्रयोग | २७७१ |
| १८९९ | हिमाचल प्रदेश में पौष्टिक खाद्य-पदार्थों की कमी | २७७१ |
| १९०० | स्नोडन अस्पताल, हिमाचल प्रदेश | २७७१–७२ |
| १९०१ | अपर वानगंगा परियोजना, मध्य प्रदेश | २७७२ |
| १९०२ | वाग नदी परियोजना | २७७२–७३ |
| १९०३ | पुराने और खराब माल-डिब्बों को पुनः चलाना | २७७३ |
| १९०४ | सुपारी के वृक्षों की बीमारी | २७७३ |
| १९०५ | उड़ीसा में सालन्दी परियोजना | २७७३–७४ |
| १९०६ | उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं | २७७४ |
| १९०७ | दिल्ली में गेहूं और चावल के दामों में वृद्धि | २७७४ |
| १९०८ | उड़ीसा में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड | २७७४–७५ |
| १९०९ | उड़ीसा में टांटीघाई परियोजना | २७७५ |
| १९१० | खाद्य विभाग में राजपत्रित पदाधिकारी | २७७५–७६ |
| १९११ | दिल्ली दूध योजना | २७७६ |
| १९१२ | दिल्ली दूध योजना | २७७६ |
| १९१३ | सड़कों का निर्माण | २७७६ |
| १९१४ | महारानी एलिज़ाबैथ की भारत यात्रा के दौरान विशेष रेलगाड़ियां | २७७७ |
| १९१५ | दक्षिण रेलवे पर माल-डिब्बों का पटरी से उतर जाना | २७७७ |
| स्थगन प्रस्ताव | | २७७७—७९ |

अध्यक्ष महोदय ने सिक्किम और भूटान की सीमाओं के साथ-साथ चीन की कथित सैनिक तैयारियों के बारे में दो स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना सर्वश्री खुशवक्त राय और ब्रजराज सिंह द्वारा दी गई थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

विषय पृष्ठ

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** २७७९—८१

श्री अजित सिंह सरहदी ने दण्डकारण्य के कृषि योग्य बनाये जाने वाले क्षेत्र में बसने के लिये पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों के पर्याप्त उत्साह न दिखाने की ओर पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर भी रखा ।

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** २७८१—८३

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५९–६० और तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९६१

(दो) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९६१ ।

(तीन) वर्ष १९५९–६० के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग १—समीक्षा ।

(चार) वर्ष १९५९–६० के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग २—विनियोग लेखे का ब्यौरा ।

(पांच) खण्ड लेखे (पूंजी के विवरणों सहित जिनमें ऋण लेखे शामिल हैं), सन्तुलन-पत्र और लाभ-हानि का लेखा, रेलवे, १९५९–६० ।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत नीवैली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(३) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(४) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) पूर्वी नौवहन निगम लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) पश्चिमी नौवहन निगम लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

विषय पृष्ठ

(५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २५० ।

(ख) दिनांक ४ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २५१ ।

(६) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २५३ ।

(७) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १५ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२६ की एक प्रति ।

(८) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ७ जुलाई, १९५६ के एस० आर० ओ० संख्या १५५४ और १५५५ को रद्द करने वाली दिनांक ४ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २६७ ।

(ख) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ मार्च, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या २६९ ।

**राज्य सभा से सन्देश** . . . . . २७८३

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त दो संदेशों की सूचना दी कि राज्य-सभा को लोक-सभा से निम्नलिखित विधेयकों के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) उत्तर प्रदेश गन्ना उप-कर (मान्यतादान) विधेयक, १९६१, जो ६ मार्च, १९६१ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

(२) उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१, जो १४ मार्च, १९६१ को लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था ।

**मंत्री द्वारा वक्तव्य** . . . . . २७८३–८४

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने मेडिकल कालेजों में आयुर्वेदिक अनुसंधान पाठयक्रमों के बारे में श्री प्रताप गंग देव तथा अन्य सदस्यों के तारांकित

विषय पृष्ठ

प्रश्न संख्या ४५ और उस पर श्री चन्द्र शंकर द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के १६ फरवरी, १९६१ को दिये गये उत्तरों को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

**सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा** . . . . २७८४—२८११

आय-व्ययक (सामान्य), १९६१-६२ पर सामान्य चर्चा जारी रही । वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

**लेखानुदान की मांगें** . . . . . २८११—१६

आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में वर्ष १९६१-६२ की निम्नलिखित लेखानुदान की मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

**विधेयक--पुरस्थापित किया गया** . . . . . २८१६-१७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१

**विधेयक--पारित किया गया** . . . . . २८१७

वित्त मंत्री (श्री मोराजी देसाई) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

**विधेयक--विचाराधीन** . . . . २८१७—१८

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि बीमा (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति** . . २८१८

उन्नीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

**गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--अस्वीकृत** . . . . २८१९—२२

सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्मिक संघ की कार्यवाहियों के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

**गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प--विचाराधीन** . . २८२२—३९

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिए देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**सोमवार, २० मार्च, १९६१/२९ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि**

शिक्षा मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

---

GMGIPND—L.S. III—2406(Ai) LSD—1-5-61—125.